उत्तराखण्ड शासन

सामाजार्थिक समीक्षा

कुमाऊँ मण्डल

वर्ष 2022

कार्यालय संयुक्त निदेशक,
अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ मण्डल

दूरभाष संख्या – 05946–293931

E – Mail - ddecostat@gmail.com

अध्याय – 1

मण्डल का ऐतिहासिक परिचय/भौगोलिक स्थिति

प्राकृतिक सौन्दर्य, सुरम्य घाटियों तथा धार्मिक व पौराणिक स्थलों से सुशोभित कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड प्रदेश की उत्तरी सीमा में स्थित है। उत्तर दिशा में तिब्बत, पूर्व दिशा में नेपाल की सीमायें, पश्चिम दिशा में चमोली, पौड़ी गढ़वाल तथा बिजनौर जनपद की सीमायें तथा दक्षिण दिशा में उ0प्र0 के जनपद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली तथा पीलीभीत की सीमायें हैं। भौगोलिक दृष्टि से मण्डल 28'7° से 30° उत्तरी अक्षांश तथा 78'7°से 81'1° पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। कुमाऊँ मण्डल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 21034 वर्ग किमी0 है, जो उत्तराखण्ड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 39.33 प्रतिशत है।

कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कुल 6 जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा चम्पावत हैं। जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है। जनपद चम्पावत के तीन विकास खण्ड लोहाघाट, पाटी एवं बाराकोट पूर्ण पर्वतीय तथा विकास खण्ड चम्पावत का कुछ क्षेत्र मैदानी है। जनपद नैनीताल में 6 विकास खण्ड पर्वतीय क्षेत्र तथा 2 विकास खण्ड हल्द्वानी तथा रामनगर भावर क्षेत्र में आते हैं। ऊधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग मैदानी क्षेत्र है।

मैदानी भाग भावर व तराई क्षेत्र में विभाजित है। पर्वतीय क्षेत्र के बाद तुरन्त ही एक पट्टी ऐसी पाई जाती है जहाँ पर्वतों के नीचे उतरने वाली नदियों ने बहुत दूर तक छोटे–बड़े शिलाखण्ड लाकर एकत्र कर दिये है। इस क्षेत्र में अधिक वन पाये जाते हैं। यहाँ भूमिगत जल का अभाव है। लगभग 50–60 मीटर गहराई तक भी जल प्रायः नहीं मिल पाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से विकास खण्ड हल्द्वानी, कोटाबाग तथा रामनगर आते हैं। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। जहाँ भूमिगत जल प्रायः 10 मीटर की गहराई तक उपलब्ध हो जाता है। यह भाग उत्तर प्रदेश के रूहेलखण्ड तथा मुरादाबाद मण्डलों के मैदानी क्षेत्र से लगा है।

तराई क्षेत्र पूर्व में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा से लेकर पश्चिम में विकास खण्ड जसपुर तक फैला है। इनमें ऊधमसिंहनगर के समस्त सात विकास खण्ड सम्मिलित हैं। यह भाग सामान्य उतार–चढ़ाव के साथ दक्षिण पूर्व की ओर ढ़ला हुआ है, जो उत्तम प्रकार की दोमट मिट्टी से भरपूर है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की चट्टानें या कंकरीली भूमि नहीं पायी जाती है। मण्डल मुख्यालय नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्र में ऊँची पर्वत श्रेणियाँ तथा घाटियाँ हैं। पर्वत श्रेणियों की अधिकतम ऊँचाई 26 हजार फुट तक है। सर्वाधिक ऊंची चोटियां पंचाचूली एवं त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विख्यात है। इस क्षेत्र में समतल भूमि बहुत कम है, जिसके कारण आवागमन में विशेष रूप से कठिनाई आती है। पर्वतीय क्षेत्र में भूमिगत जल प्रायः नगण्य है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिये बहुत कम भूमि उपलब्ध है। यह क्षेत्र वनों से आच्छादित है। केवल जनपद नैनीताल का भावर क्षेत्र तथा ऊधमसिंह नगर विकास की अग्रिम पंक्ति में है।

नैनीताल :– अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल नैनीताल जनपद में छोटे–बड़े अनेक ताल हैं, किन्तु सर्वाधिक प्रसिद्धि नैनीताल नगर में स्थित नैनीताल सरोवर ने प्राप्त की है। नीलमणी के नयनाभिराम ताल की सजग प्रहरियों के समान घिरे हुए सात पर्वतों से बनी रमणिक घाटी में नैनीताल बसा है। नैनीताल नगर का यह ताल कब और कैसे अस्तित्व में आया, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है स्कन्द पुराण के अनुसार किसी समय अत्रि, पुलस्त्य और पुलक नामक तीन ऋषि इस स्थान पर तपस्या किया करते थे। उन्होनें ही योगबल से इस सरोवर और स्थान का नाम त्रिरेश्वर रखा, परन्तु यह नाम न जाने कब लुप्त हो गया और "नैनीताल कहा जाने लगा"। नैनीताल

शहर वर्ष 1841 में बसने लगा। इसके पहले यहाँ जंगल था। नैना देवी के मन्दिर में मेला लगता था। सन् 1841 में मिस्टर बैरन ने इसे देखा। उससे पहले कुमाऊँ के दूसरे कमिश्नर मिस्टर ट्रेल ने भी देखा था। बैरन साहब ने ''हिम्मला'' नामक पुस्तक में लिखा है कि वहाँ के थोकदार नरसिंह, नैनीताल को पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, परन्तु मि0 ट्रेल ने नरसिंह को नाव में बैठाकर ताल में डुबाने की धमकी देकर नोटबुक में दस्तखत करा लिये। बाद में थोकदार नरसिंह पाँच रूपये मासिक वेतन पर नैनीताल के पटवारी बना दिये गये। नैनीताल देश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ बारह महीने पर्यटकों की आवाजाही रहती है।

अल्मोड़ा :– जनपद अल्मोड़ा प्राचीन शहरों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। ब्रिटिश काल में यह जनपद एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला था, जिसके अर्न्तगत वर्तमान में जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर जनपद थे। ब्रिटिश काल में अल्मोड़ा में कुमाऊँ कमिश्नरी का मुख्यालय था। कालान्तर में कुमाऊँ मण्डल की कमिश्नरी, जनपद नैनीताल स्थानान्तरित कर दी गयी। पाँच किमी0 लम्बी पहाड़ी पर बसा अल्मोड़ा नगर चन्द राजाओं के शासन के बाद गोरखाओं के आधिपत्य में रहा, बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया।

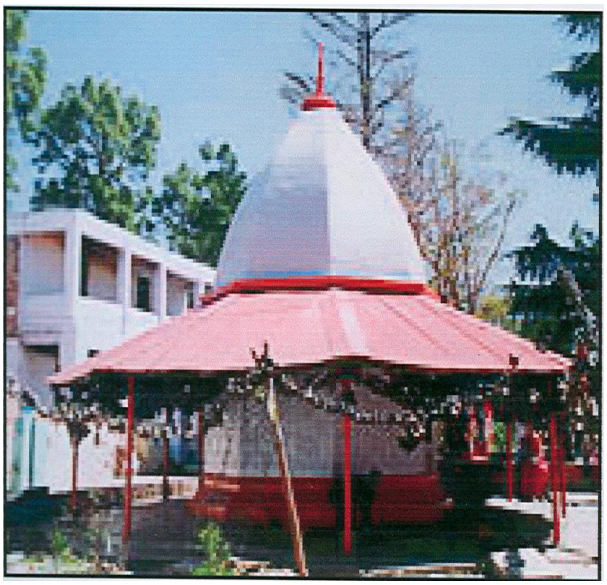

अल्मोड़ा अपनी बौद्धिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। प्राकृतिक वातावरण, हिमालय दर्शन के आकर्षण से स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी, पंडित नेहरू, लोहिया आदि राष्ट्रीय व्यक्तित्व यहाँ आये थे। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग से ग्लेशियरों तक पहुँचने वाले साहसी पर्यटकों के लिए अल्मोड़ा प्रारम्भिक पड़ाव है। ताम्र बर्तनों के पुश्तैनी व्यवसाय में कलश, परात, थाली और वाटर फिल्टर जैसी नवीन दस्तकारी में अल्मोड़ा अपनी पकड़ बनाये हुए है।

बागेश्वर :– जनपद बागेश्वर धार्मिक ही नहीं राष्ट्रीय तथा स्वराज आन्दोलन का भी केन्द्र रहा है। सन् 1921 में ब्राह्मण क्लब चामी के बुलावे पर राष्ट्रीय नेता श्री हरगोविन्द पन्त, श्री चिरंजीलाल तथा श्री बद्रीदत्त पाण्डेय बागेश्वर पहुंचे तथा सरयू नदी के तट पर कुली उतार आन्दोलन आरम्भ किया। राष्ट्र भक्त विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा स्वराज मन्दिर की नींव डाली गयी। सन् 1933 में देश भक्त मोहन जोशी के नेतृत्व में जबरदस्त स्वदेशी प्रदर्शनी हुई। बागेश्वर में बागनाथ मन्दिर तथा गरूड़ में बैजनाथ मन्दिर ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। देश–विदेश से लाखों की संख्या में लोग इन मन्दिरों के दर्शन तथा इनका ऐतिहासिक महत्व जानने के लिये आते हैं। बैजनाथ के समीप ही तैलीहाट है, जहाँ कभी कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ अभी भी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के मन्दिरों का समूह विद्यमान हैं। बागेश्वर में पावन सरयू, गोमती एवं अदृश्य भागीरथी नदी के संगम पर बागनाथ मन्दिर है। बताते हैं कि चन्दवंश के राजा लक्ष्मी चन्द द्वारा 1602 ई0 में पुनर्निर्माण के पश्चात् भगवान बागनाथ का भव्य मन्दिर बनाया गया। इस मन्दिर में सातवीं शताब्दी से लेकर

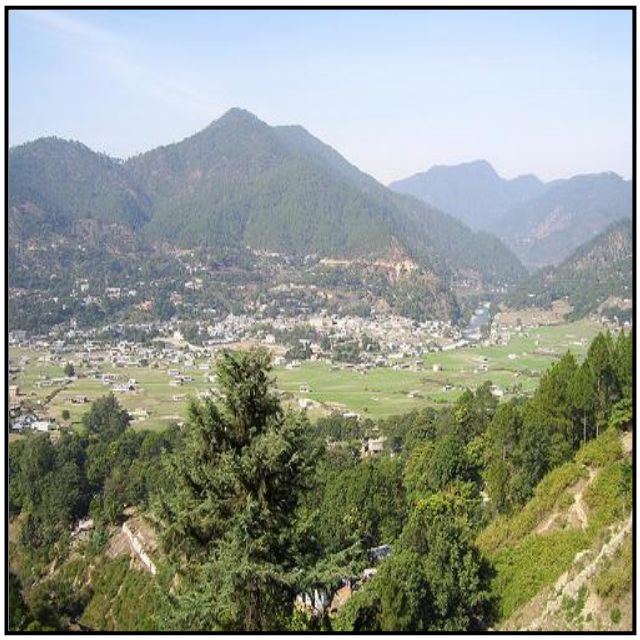

सोलहवीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ हैं। मन्दिर परिसर में ही अन्य देवी–देवताओं के अलग–अलग मन्दिर हैं। प्रतिवर्ष माह जनवरी में मकर संक्रान्ति को यहाँ भव्य मेला लगता है। जो उत्तरायणी का मेला नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन देश–विदेश के हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान कर भगवान बागनाथ के दर्शन करते हैं तथा एक सप्ताह तक व्यवसायिक, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं।

ऊधमसिंहनगर :– जनपद ऊधमसिंह नगर का सृजन सितम्बर, 1995 को जनपद नैनीताल के तराई सम्भाग को अलग कर किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व भगवान रूद्र के किसी भक्त या रूद्र नाम के किसी हिन्दू कबीले के मुखिया द्वारा बसाया गया। रूद्रपुर गाँव आज भौतिक विकास की पगडंडियों से चलकर विशाल रूद्रपुर नगर का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। जनपद ऊधमसिंहनगर का मुख्यालय बन जाने से रूद्रपुर का महत्व और बढ़ गया है। काशीपुर का औद्योगिकीकरण बहुत पहले हो चुका है। हाल के उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद रूद्रपुर तथा सितारगंज के सिडकुल क्षेत्र में औद्योगिकीकरण से जिला ऊद्यमसिंह नगर औद्योगिकी विकास के क्षेत्र में अग्रणी जनपद की श्रेणी में आ चुका है।

ब्रिटिश काल में 1861 में नैनीताल जनपद बन जाने के साथ ही 1864–65 में सम्पूर्ण तराई व भावर को "तराई व भावर गवर्नमेन्ट एक्ट" घोषित कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश राज मुकुट के अधीन हो गया। देश के विभाजन के तुरन्त बाद शरणार्थी समस्या विकराल रूप में उपस्थित हुई । बड़ी संख्या में देश के पश्चिमोत्तर व पूर्वी क्षेत्र से आये शरणार्थियों को तराई के मध्य 35 किमी0 परिक्षेत्र में 164.2 वर्ग मील भू क्षेत्र पर उपनिवेश योजना के अर्न्तगत पुर्नवासित किया गया। व्यक्तिगत आवासियों को क्राउन ग्रान्ट एक्ट के आधार पर भूमि आवंटित की गई। शरणार्थियों का पहला जत्था दिसम्बर 1948 में पहुँचा।

कश्मीर, पंजाब, केरल, पूर्वी उ0प्र0, गढ़वाल, कुमाऊँ, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, नेपाल और तमिलनाडू से लेकर भारत मूल के वर्मा प्रजातियों का समूह तराई में बसा है जो विभिन्न पेशों, धर्मों और जाति समूह के लोगों से मिलकर बना है। तराई का यह कोलोनाईजेशन क्षेत्र है और उसी का हृदय है, रूद्रपुर। इसीलिए 20–25 वर्ष पूर्व तराई को मिनी "हिन्दुस्तान" उपनाम से सम्बोधित किया था। जनपद ऊधमसिंह नगर कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में मण्डल/प्रदेश में अग्रिम पंक्ति पर है।

पिथौरागढ़ :– जनपद पिथौरागढ़ हिमालय की गोद में बसा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है। जनपद की उत्तरी तथा पूर्वी सीमायें क्रमशः तिब्बत तथा नेपाल से लगती हैं। उत्तरी सीमा पर गगनचुम्बी हिमाच्छादित गिरिमाल एक अभेद्य दीवार सी खड़ी है, जिसमें पंचाचूली और त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये विख्यात है। पर्वतारोहियों के लिए यह शिखर विशेष आकर्षक रहे हैं। त्रिशूल शिखर के नीचे स्थित मिलम ग्लेशियर सैलानियों को आकर्षित करता है। सुदूर मध्य हिमालय की दुर्गम बर्फीली चोटियों को अपने मस्तक पर धारण किये हुए है।

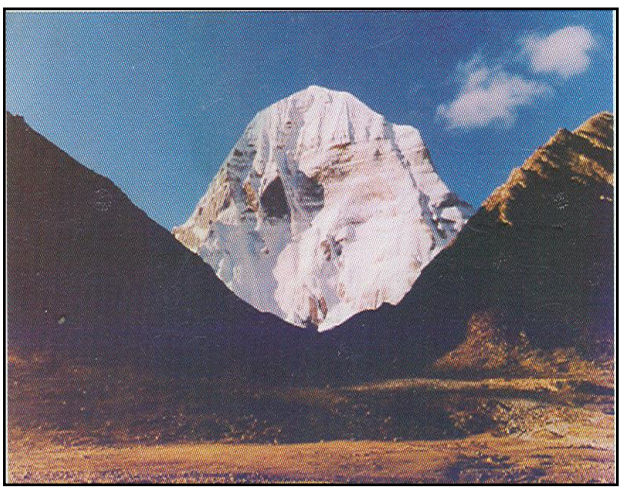

चम्पावत :– जनपद चम्पावत का सृजन सितम्बर, 1997 को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत तथा जनपद ऊधमसिंहनगर के विकास खण्ड खटीमा के 35 राजस्व ग्राम एवं जनगणना ग्राम बनबसा तथा नगर पालिका परिषद टनकपुर को सम्मिलित कर किया गया है।

जनपद चम्पावत पर्वतों एवं घाटियों का क्षेत्र हैं। यहाँ पर्वत श्रृंखलायें दक्षिण से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है। इन पर्वत मालाओं के मध्य कहीं–कहीं सुन्दर घाटियाँ भी हैं, जिनमें चम्पावत से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती हैं।

जनपद चम्पावत में चम्पावत, खेतीखान, देवीधूरा, मायावती आश्रम, श्यामलाताल, लोहाघाट एवं पंचेश्वर आदि अति सुन्दर एवं आकर्षक हैं। प्रमुख धार्मिक स्थल में पूर्णागिरी धाम जनपद चम्पावत के भूभाग में स्थित है। जनपद के विकास खण्ड चम्पावत में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल रीठा साहिब स्थित है। माँ बाराही मंदिर देवीधुरा में रक्षा बन्धन के दिन होने वाला बग्वाल मेला जिसे देखने लाखों लोग आते है, जनपद चम्पावत में ही स्थित है। जनपद चम्पावत प्राकृतिक सौन्दर्य का धनी है।

जनपद में प्रमुख मंदिर बालेश्वर, गुरू गोरखनाथ, गोलू देवता का जन्म स्थान गौरेलचौड़, मानेश्वर, रिखेश्वर आदि है जिसमें समय–समय पर मेले आदि लगते है। जनपद मुख्यालय के समीप निर्मित एक हथिया नौले के सम्बन्ध में कहा जाता है इस नौलें का निर्माण एक ऐसे कारीगर द्वारा किया गया था जिसके पास एक ही हाथ था इसलिए उसको एक हथिया नौला कहा जाता है।

अध्याय – 2

खनिज सम्पदा

कुमाऊँ मण्डल खनिज सम्पदा का परम्परागत इतिहास रहा है। यहाँ के स्थाई निवासी परम्परागत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह, ताँबा, स्वर्ण शीसा तथा चूना पत्थर, मिट्टी आदि का उत्खनन एवं शुद्धिकरण किया करते थे। औषधि के रूप में प्रयोग की जाने वाली शिलाजीत एवं अभ्रक का शुद्धिकरण भी यहाँ प्राचीनकाल से किया जाता रहा है।

इस मण्डल में खनिज के रूप में चूने का पत्थर, खड़िया, डोलामाइट, यूरेनाईट, पाइराइट व मैग्नासाइड आदि पाया जाता है, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा इसका निर्यात भी होता है। भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थर क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, स्लेट, रेता, गिट बोल्डर आदि भी व्यवसायिक स्तर पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कच्चा लोहा, ताँबा तथा जिप्सम आदि भी बहुत थोड़ी मात्रा में पाये जाते हैं, किन्तु इनका व्यवसायिक रूप से उपयोग अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। जनपद बागेश्वर में झिरोली नामक स्थान पर मैग्नेसाइट का एक कारखाना स्थापित है। झिरोली स्थित मैग्नासाइट खदान से भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर आदि इस्पात संयंत्रों को मैग्नेसाइट की आपूर्ति की जाती है।

खड़िया जो व्यवसायिक क्षेत्र में सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण खनिज है। मण्डल में खड़िया के वृहद भण्डार है। खड़िया जखेड़ा, हरपा, बिरखल, सुराग, कर्मी, चौड़ास्थल, लोहारखेत, लीती, चिंडग, तुपेड़, चौरा, रीमा, विजयपुर, काण्डा आदि जगहों पर प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय भाग में खनिज पदार्थो के उत्खनन तथा उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक नया आयाम दिया जा सकता है।

हिमालय क्षेत्र भूवैज्ञानीय दृष्टिकोण से अत्यन्त जटिल भू–संरचनात्मक क्षेत्र है। क्षेत्र की भूसंरचना इतनी जटिल है कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न शोध संस्थाओं के भूवैज्ञानिक इस क्षेत्र के अध्ययन हेतु कार्यरत हैं। उत्तराखण्ड राज्य में खनिजों की उपलब्धता एवं उनके भण्डारों के आंकलन हेतु विस्तृत अध्ययन एवं खनिज विकास तथा विनियमन हेतु उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का गठन किया गया है।

हिमालय क्षेत्र की जटिल भूगर्भीय संरचना तथा भूमि के गर्भ में होने वाले प्लेट विवर्तनिक संक्रियाओं के सक्रिय होने से क्षेत्र में भूकम्प, भूस्खलन, अतिवृष्टि, भूमि धंसाव जैसे विनाशकारी घटनाएं प्रायः घटित होती रहती हैं। जिनके विस्तृत अध्ययन से जन एवं धन की हानि को कमतर किया जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा भू–अभियांत्रिकीय कार्यो/दायित्वों का अतिरिक्त रूप से निर्वहन किया जाता है।

हिमालयी क्षेत्र में विभिन्न खनिज भण्डारों की अपार सम्भावनाओं के भी प्रमाण मिलते हैं जिनको चिन्हित कर विदोहन कराकर राजस्व प्राप्ति करने के उपरान्त प्रदेश को स्वावलम्भी बनाने में योगदान प्रदान किया जा सकता है। प्रदेश में उप खनिजों यथा बोल्डर, बजरी, बालू इत्यादि के अपार भण्डार हैं जिनके वैज्ञानिक विदोहन से अधिकाधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त कार्यों के कुशल सम्पादन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की विशिष्ट महत्ता है।

उत्तराखण्ड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून की भूमिका राज्य में उपलब्ध खनिज सम्पदा का अन्वेषण करना, उसका मूल्याँकन करना तथा वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिये है जिससे राज्य के विकास के साथ–साथ राजस्व की प्राप्ति भी होती है। उत्तराखण्ड राज्य में विभाग द्वारा खोजे/आँकलन किये गये खनिज सम्पदा के भण्डारों एवं नये खोजे जा रहे खनिजों का वैज्ञानिक ढंग से पर्यावरण को संरक्षित करते हुए विदोहन किया जाये तो राज्य का राजस्व प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर बढ़ने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियाँ शासन को प्रेषित करना है क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य हिमालय पर्वत के भूकम्पीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

विभाग राज्य की समृद्धि बढ़ाने के लिये उपरोक्तानुसार राजस्व वृद्धि एवं निर्माण कार्यों में योगदान देने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

विभाग के मुख्य कार्य/दायित्व

- **खनिज अन्वेशण कार्य** – खनिज अन्वेषण कार्य के अन्तर्गत भूवैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर खनिजों की उपलब्धता की सम्भावना का अध्ययन किया जाता है तथा अध्यनोपरान्त आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर क्षेत्र से चट्टानों के नमूने एकत्र कर उनका रासायनिक विष्लेशण, पेट्रोलोजिकल विष्लेशण आदि कराया जाता है तथा क्षेत्र में मानचित्रीकरण का कार्य कर मानचित्र तैयार किये जाते हैं तथा क्षेत्र का भू–भौतिकी विधा द्वारा भू–भौतिकी अध्ययन कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। उपरोक्त समस्त अध्यनों तथा परीक्षणों में आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर वेधन मशीन द्वारा वेधन कार्य सम्पन्न कराकर भूमिगत चट्टानों के प्रसार, प्रकार एवं खनिजों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर खनिज भण्डार की गुणवत्ता एवं मात्रा का आंकलन किया जाता है। राज्य गठन के उपरान्त इकाई के अन्तर्गत खनिज अन्वेषण का कार्य स्थगित है।

- **खनन प्रशासन कार्य –** खानों के विनियमन एवं खनिजों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा खनिज परिहार स्वीकृत किया जाता है। निकाले गये खनिजों की मात्रा के आधार पर स्वामित्व के रूप में प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। विभाग द्वारा खनिजों के परिहार स्वीकृत किये जाने से पूर्व तकनीकी परामर्श तथा खनिजों की खनन योजना का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

- **भू–अभियांत्रिकीय कार्य** – भू–अभियांत्रिकीय कार्य के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियाँ शासन को प्रेषित करना है।

- **पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना** – राजस्व बृद्धि तथा रोजगार के समुचित अवसर सृजित किये जाने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक उपखनिज क्षेत्रों की खोज/चिन्हित तथा आवश्यकतानुसार खनिज क्षेत्रों में पर्यावरणीय अध्ययन कराया जाना।

- **खनन सर्विलांस योजना –** खनन परिवहन/अवैध सर्विलांस हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त खनन कार्यकलापों की समस्त प्रक्रियायें ऑनलाईन किया जाना। गुणवत्ता एवं मात्रा का आंकलन किया जाता है। राज्य गठन के उपरान्त इकाई के अन्तर्गत खनिज अन्वेशण का कार्य स्थगित है।

विभाग के मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व

• विभिन्न खनिज अन्वेशणकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में खनिज कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार कर उसका क्रियान्वयन।

• खनिजों के वैज्ञानिक विधियों द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखते हुये विदोहन हेतु शासन के निर्देशानुसार व्यवहारिक नीतियों को प्रस्तावित करना।

• विभिन्न जनपद स्तरीय कार्यालयों के भू–अभियांत्रिकीय कार्यों की समीक्षा करना एवं प्रगति का संकलन करना।

• सेमीनार प्रदर्शनी आदि के माध्यम से स्थानीय खनिजों के विपणन प्रोत्साहन।

• खनिज विकास एवं अन्वेशण हेतु समन्वित राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय।

• खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराना।

• खनिजों के मद में देय धनराशि की समय से वसूली करने की मॉनीटरिंग तथा आय में वृद्धि के लिए प्रस्ताव करना/महालेखाकार द्वारा आपत्तियों को निस्तारित कराने का कार्य।

• खानों के वैज्ञानिक विकास की कार्यवाही एवं प्राप्त माइनिंग प्लान का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करना।

• क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला कार्यालय से प्राप्त संदर्भों का परीक्षण।

• खनन प्रशासन से संबंधित कार्यों को नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों/जिलाधिकारियों को मार्गदर्शन।

• क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये गये खनन प्रशासन कार्यों का मूल्यांकन।

• विभिन्न न्यायालयों में चल रहे खनन प्रशासन संबंधित वादों को निस्तारित करवाना।

• खनन प्रशासन संबंधी स्टाफ की प्रगति।

• जिलाधिकारियों से संपर्क करके उन्हें खनन प्रशासन कार्यों की प्रगति से अवगत करवाना।

• खानों को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करवाना।

• खनन कार्यों के संबंध में केन्द्रीय/प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।

• वार्षिक योजनाएं तैयार करना तथा योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार करना।

• विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन अधिष्ठान बजट का आवंटन एवं मानव संसाधन विकास।

• विभिन्न शोध एवं विकास संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश के विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।

• खनिजों की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु नये उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये उन्हें नियमानुसार पट्टे पर आवंटित किया जाना।

• प्रदेश में अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक Surveillance युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित करना तथा खनिजों के परिवहन हेतु लागू ई–रवन्ना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं वेब एप्लीकेशन माइनिंग गार्ड का प्रभावी स्तर से क्रियान्वित किया जाना।

• खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत जिला खनिज न्यास का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) सम्मिलित हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य कराया जाना।

• राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेशण कार्य हेतु पट्टा धारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/आंदान जमा कराये जाने के प्राविधान है। उक्त धनराशि से प्रदेश में मुख्य खनिजों की खोज किया जाना।

राज्य में पाये जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज

क्र0 सं0	खनिज	उपलब्धता (मिलियन टन में)	जनपदवार
1.	लाइम स्टोन	950	देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़
2.	डोलोमाइट	200	देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़
3.	मैग्नेसाइट	180	बागश्वेर, चमोली, पिथौरागढ़
4.	सोपस्टोन	160	अल्मोड़ा, बागेश्वर,चमोली, पिथौरागढ़
5.	फास्फोराइट	20	देहरादून, टिहरी गढ़वाल
6.	बेस मेटल्स	10	अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौडी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़
7.	बेराइट्स	--	देहरादून
8.	सिलिकासेण्ड	10000	उत्तरकाशी, देहरादून
9.	ग्रेफाइट	--	अल्मोड़ा, नैनीताल, पौडी़ गढवाल
10.	स्लेट्स	--	उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़
11.	मारबल्स	--	देहरादून
12	नदी तल उपखनिज	--	राज्य के सभी नदी तलों पर

वर्ष 2021–22 हेतु विभाग की रणनीति तथा प्रस्तावित कार्य योजना के मुख्य बिन्दु :

1. राज्य में बेसमेंटल तथा खनिज रॉक फॉस्फेट के चिन्हित खनन क्षेत्र में खनिज अन्वेशण कार्य हेतु भारत सरकार का उपक्रम MECL के साथ Bipartite Agreement किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

2. प्रदेश में खनिजों की बढ़ती मांग की पूर्ति तथा रोजगार सृजन व अपेक्षित राजस्व प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत जनपदों में राजस्व एवं वन क्षेत्र के अधिक से अधिक नये उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये उन्हें पट्टे पर आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

3. जांच अधिकारियों के स्थलीय निरीक्षण हेतु मोबाईल एप्लीकेशन तैयार किया जाना तथा परिवहन विभाग के ऑनलाईन साप्टवेयर से इन्टीग्रेट किया जाना।

4. खनन परिहार स्वीकृति की प्रक्रिया को ऑन लाईन किये जाने हेतु ई–एप्लीकेशन तैयार किया जाना।

5. ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन का 2.0 वर्जन तैयार किया जाना।

6. प्रदेश में उपखनिजों के चुगान हेतु ऐसी नीतियों को तैयार किया जाना, जिससे पर्यावरण को संरक्षित रखते हुये अधिक से अधिक राजस्व तथा रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर प्राप्त हो सके।

7. खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत जिला खनिज न्यास का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) सम्मिलित हैं। जिला खनिज न्यास (DMF) में जमा धनराशि से जनपदों में खनन प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक से अधिक विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय – 3

प्रशासनिक ढाँचा

भौगोलिक दृष्टि से कुमाऊँ मण्डल में 6 जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर व चम्पावत सम्मिलित है, जिनमें 52 तहसील, 10 उपतहसील एवं 41 विकास खण्ड है। मण्डल में 3 नगर निगम, 20 नगर पालिका परिषद, 3 छावनी क्षेत्र, 18 नगर पंचायत तथा 2 सेन्सस टाऊन हैं। मण्डल मुख्यालय नैनीताल में है। जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल में कुल 7457 ग्राम है। जिनमें से 6921 आबाद ग्राम, 279 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम तथा 116 गैर आबाद वन ग्राम हैं। जनगणना 2011 के उपरान्त कुछ ग्राम नगर क्षेत्र में स्थानान्तरित होने के कारण 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार मण्डल में कुल ग्रामों की संख्या 7299 हैं। जिसमें से 278 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम, 116 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6764 आबाद ग्राम हैं। न्याय पंचायतें 288 हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 3420 हैं। मण्डल में पुलिस स्टेशनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 34 व नगरीय क्षेत्र में 37 तथा 02 जी0आर0पी0 है।

मण्डल की मुख्य प्रशासनिक इकाईयॉ

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	तहसील
1.	अल्मोड़ा	1. स्याल्दे	1. स्याल्दे
		2. चौखुटिया	1. चौखुटिया
		3. भिक्यासैंण	1. भिक्यासैंण (आंशिक)
		4. ताड़ीखेत	1. रानीखेत (आंशिक)
		5. सल्ट	1. सल्ट
			2. भिक्यासैंण (आंशिक)
		6. द्वाराहाट	1. द्वाराहाट
			2 रानीखेत (आंशिक)
		7. ताकुला	1. सोमेश्वर (आंशिक)
			2. अल्मोड़ा (आंशिक)
		8. भैसियाछाना	1. .धौलछीना
			2. अल्मोड़ा (आंशिक)
		9. हवालबाग	1. सोमेश्वर (आंशिक)
			2. अल्मोड़ा (आंशिक)
		10. लमगड़ा	1. लमगड़ा
			2. जैती
		11. धौलादेवी	1. भनौली
			2. अल्मोड़ा (आंशिक)

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	तहसील
2.	बागेश्वर	1. कपकोट	1. कपकोट (आंशिक)
			2. काण्डा (आंशिक)
			3. दुग नाकुरी (आंशिक)
			4. बागेश्वर (आंशिक)
		2. बागेश्वर	1. काण्डा (आंशिक)
			2. दुग नाकुरी (आंशिक)
			3. बागेश्वर (आंशिक)
			4. कठपुड़ियाछीना
		3. गरूड़–बैजनाथ	1. गरूड़
3.	नैनीताल	1. रामनगर	1. रामनगर
		2. कोटाबाग	1. नैनीताल (आंशिक)
			2. कालाढूँगी
		3. रामगढ़	1. नैनीताल (आंशिक)
			2. कोश्याकुटोली (आंशिक)
		4. भीमताल	1. नैनीताल (आंशिक)
		5. बेतालघाट	1. बेतालघाट
			2. कोश्याकुटोली (आंशिक)
		6. धारी	1. धारी (आंशिक)
		7. ओखलकांडा	1. खनस्यूँ
			2. धारी (आंशिक)
		8. हल्द्वानी	1. हल्द्वानी
			2. लालकुऑ
4.	ऊधमसिंहनगर	1. जसपुर	1. जसपुर
		2. काशीपुर	1. काशीपुर
		3. बाजपुर	1. बाजपुर
		4. गदरपुर	1. गदरपुर
		5. रूद्रपुर	1. रूद्रपुर
			2. किच्छा
		6. सितारगंज	1. सितारगंज
			2. नानकमत्ता
		7. खटीमा	1. खटीमा
5.	पिथौरागढ़	1. मुनस्यारी	1. मुनस्यारी
			2. बंगापानी (आशिक)
			3. तेजम
		2. धारचूला	1. धारचूला
			2. बंगापानी (आशिक)
		3. बेरीनाग	1. बेरीनाग (आशिक)
			2. थल (आशिक)
		4. डीडीहाट	1. डीडीहाट
			2. थल (आशिक)
		5. कनालीछीना	1. कनालीछीना
			2. देवलथल
		6. गंगोलीहाट	1. गंगोलीहाट
			2. गणाई गंगोली
		7. पिथौरागढ़	1. पिथौरागढ़ (आशिक)
		8. मूनाकोट	1. पिथौरागढ़ (आशिक)
6.	चम्पावत	1. पाटी	1. पाटी
			2. लोहाघाट (आंशिक)
		2. बाराकोट	1. बाराकोट
		3. लोहाघाट	1. लोहाघाट (आंशिक)
		4. चम्पावत	1. चम्पावत
			2. श्री पूर्णागिरी

अध्याय - 4

जनसंख्या वितरण

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 10086292 में से कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या 4228998 है। कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 41.93 प्रतिशत है।

जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल के जनपदों की जनसंख्या निम्न प्रकार है :

क्र0 सं0	जनपद का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी0)	कुल जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी0	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या)	साक्षरता प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	पिथौरागढ़	7090	483439	239306	244133	68	1020	82.25
2	बागेश्वर	2246	259898	124326	135572	116	1090	80.01
3	अल्मोड़ा	3139	622506	291081	331425	198	1139	80.47
4	चम्पावत	1766	259648	131125	128523	147	980	79.83
5	नैनीताल	4251	954605	493666	460939	225	934	83.88
6	ऊधमसिंहनगर	2542	1648902	858783	790119	649	920	73.10
योग मण्डल		**21034**	**4228998**	**2138287**	**2090711**	**201**	**978**	**78.52**

कुमाऊँ मण्डल में क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ तथा जनसंख्या की दृष्टि से ऊधमसिंहनगर सबसे बड़ा जनपद है। मण्डल में सबसे कम क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला जनपद चम्पावत है। ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है, जबकि जनपद पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है, मण्डल के जनपदों में जनपद ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक तथा जनपद पिथौरागढ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मण्डल का जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है तथा उत्तराखण्ड की जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमाऊँ मण्डल में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है। जनपद पिथौरागढ़ में 82.25%, अल्मोड़ा में 80.47%, नैनीताल में 83.88%, बागेश्वर में 80.01%, चम्पावत में 79.83% तथा उधमसिंह नगर में 73.10% व्यक्ति साक्षर हैं।

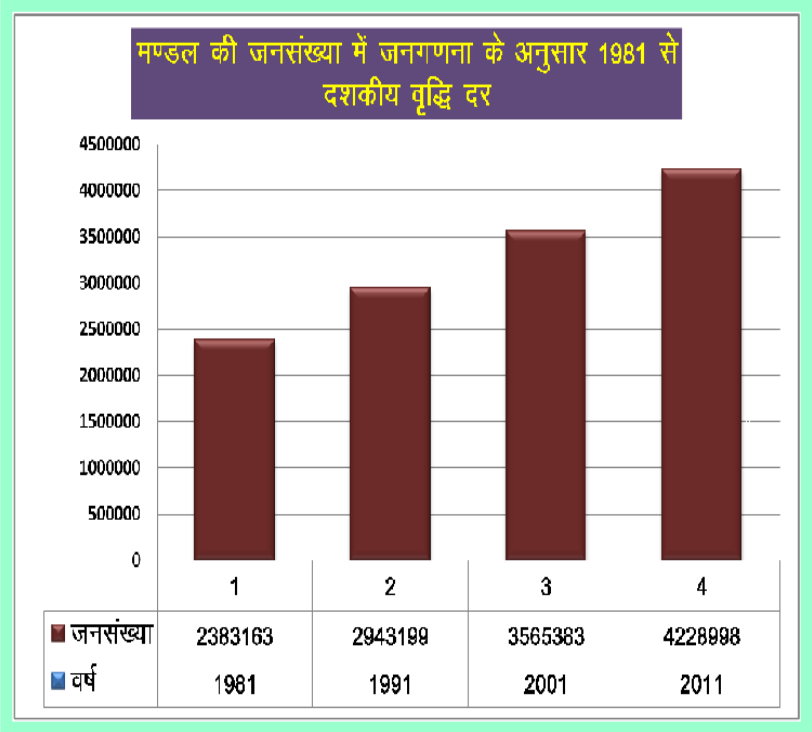

जनगणना 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में 1000 हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 978 है, जबकि उत्तराखण्ड में 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 963 है। कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़ में 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 1020, अल्मोड़ा में 1139, बागेश्वर में 1090, चम्पावत में 980, नैनीताल में 934 तथा ऊधमसिंह नगर में 920 है। पर्वतीय भू–भाग में निवास कर रहे अधिकांश पुरूष सेना में सेवारत रहने के कारण बाहर है तथा इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के साधनों की कमी के कारण रोजगार की तलाश में पर्वतीय क्षेत्र में निवास कर रहे पुरूष मैदानी भागों में रोजगार के लिये बाहर रहते है, जिस कारण पूर्णतः पर्वतीय जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है, जबकि मैदानी भाग में कम है।

कुमाऊँ मण्डल में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण जनगणना 2011 के अनुसार मुख्य कर्मकरों में कृषक 40.60%, कृषि श्रमिक 11.19%, पारिवारिक उद्योग 2.59% तथा अन्य कर्मकर 45.62%, पाये गये। इस प्रकार मुख्य कर्मकर 1234528 व सीमान्त कर्मकर 471016 को सम्मिलित करते हुए, कुल कर्मकरों की संख्या 1705544 है।

अध्याय – 5

कृषि

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में कुल कर्मकरों में से 44 प्रतिशत कर्मकर कृषि पर आश्रित है। यह अनुपात जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर पिथौरागढ़ तथा चम्पावत के लिये क्रमशः 69.62, 68.85, 36.56, 20.74, 63.44 तथा 60.25 प्रतिशत है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मण्डल में अर्थ व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग कृषि है परन्तु जिला ऊधमसिंह नगर में सम्पूर्ण भाग तथा जिला नैनीताल के मैदानी भाग को छोड़कर पर्वतीय भाग में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है।

खेत छोटे–छोटे तथा छिटके हैं, जिस कारण कृषि से बहुत कम आय अर्जित होती है। अतः कृषि विविधिकरण योजना के अन्तर्गत कृषकों को व्यवसायिक फसलों/गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सहायतित त्वरित सिंचाई लाभ योजना से असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। जिला योजना में पौध सुरक्षा कार्यक्रम, कृषि यंत्रों की योजना तथा उन्नत कृषि तकनीक हस्तान्तरण की योजनाओं से कृषि को लाभकारी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्र सहायतित योजना में धान्य विकास, दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, कृषि यंत्रों का वितरण की योजना संचालित हैं।

कृषि विभाग की स्थापना ब्रिटिशकालीन भारत में सन् 1875 में की गयी। प्रारम्भ में विभाग का कार्य कृषि ऑकडे एकत्रित करना एवं कुछ आदर्श फार्म स्थापित करने तक सीमित था। सन् 1980 में इसे भूमि अभिलेख विभाग से सम्बद्व किया गया। कालान्तर में GOVERNMENT OF INDIA ACT 1919 के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा कृषि नीति प्रतिपादित किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को दिनांक 01.12.1919 से स्वतंत्र विभाग बनाया गया। उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अधीन 09 नवम्बर 2000 से उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के साथ उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कृषि विभाग उत्तराखण्ड का पुर्नगठन किया गया। विभागीय विस्तार के फलस्वरूप वर्तमान में एकल खिडकी व्यवस्था के अर्न्तगत कृषि निवेश केन्द्र न्यायपंचायत स्तर पर स्थापित कर समस्त विभागीय कार्य न्यायपंचायत स्तर से सम्पादित किये जा रहे हैं।

वर्तमान में विभाग का कार्य जनपद में कृषकों की जोत कृषि भूमि की मृदा का परीक्षण प्रयोगशाला में कर कृषकों को उनकी मृदा के बारे में जानकारी एवं मृदा सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन्नतशील प्रजातियों के बीज, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराता है। कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी प्रशिक्षण/फसल प्रर्दशन के माध्यम से समय–समय पर उपलब्ध करायी जाती है। विभाग द्वारा दैवी आपदा एवं

अन्य कारणों से कृषि भूमि के कटाव/क्षरण होने की स्थिति में चैक डैम, ब्रस्टवाल, स्पर आदि के माध्यम से कृषि भूमि की सुरक्षा करते हुए जल संरक्षण कार्य भी सम्पादित करता है। कृषकों के रोजगार क्षमता में अतिरिक्त वृद्वि हेतु विभाग द्वारा बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक का निर्माण कर सिंचाई क्षमता में वृद्वि करते हुए कृषकों को मत्स्य पालन करने पालीहाउस से सब्जी उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करता है।

भूमि को कृषि की दृष्टि से सामान्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है प्रथम तलाऊ भूमि जो कि प्रायः समतल होती है और जिस पर सिंचाई साधन उपलब्ध है। 'तलाऊ' भूमि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है इसमें रवी, खरीफ जायद फसलें ऊगाई जाती है। फसलें जैसे आलू, प्याज अथवा सोयाबीन, जिसे 'भट्ट' भी कहा जाता है, नकदी फसलें उगाई जाती हैं। असिंचित क्षेत्र को 'उपराऊ' भूमि कहते है। यह दो भागों में बाटी जा सकती है– 1. अव्वल 2. दोयम। अव्वल में मिट्टी अच्छी होने के कारण उपज दोयम से अधिक होती हैं उपजाऊ भूमि में फसल चक्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि दो वर्षांत में एक न एक बार भूमि परती रखी जाती है। साधारणतया खरीफ में सभी कृषि क्षेत्र में फसल बोयी जाती है, परन्तु रवी में एक भू–भाग परती छोड़ना पड़ता है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु वित्तीय संसाधन सुलभ कराने के साथ साथ नवीनतम वैज्ञानिक कृषि विधियों एवं उपकरणों की आवश्यकता की जानकारी सुलभ कराने हेतु प्रदशर्नियों के आयोजन, बीज उर्वरक, कीटनाशक औषधियों आदि आवश्यक कृषि निवेशों की ससमय सम्पूर्ति की व्यवस्था, फसल सुरक्षा तथा आवश्यक कृषि निवेश जुटाने हेतु उत्पादन एवं ऋण की व्यवस्था जैसे अनेक उपाय किये जा रहे हैं।

कृषि जोतों का आकार :–

कृषि गणना 2015–16 के अनुसार कुमायूँ मण्डल के जनपदों में भूमि जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल हैक्टेयर में निम्न प्रकार है :–

कृषि गणनाः 2015–16

उत्तराखण्ड में जोत बर्गवार क्रियात्मक जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल

क्षेत्रफल है० में

क्र. सं.	जनपद	उप सीमान्त (0.5 है0 से कम)		सीमान्त (1 है0 से कम)		लघु (1 है0 से 2 है0)		लघु एवं सीमान्त (2 है0 तक)	
		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1	नैनीताल	20270	4979.513	32897	14143.703	9716	13595.067	42613	27738.770
2	उधमसिंहनगर	40758	9832.842	61401	24826.428	20180	28520.315	81581	53346.743
3	अल्मोड़ा	39246	11382.692	76258	38808.238	21490	29903.176	97748	68711.414
4	पिथौरागढ़	43261	12236.585	66686	28800.232	6063	8218.078	72749	37018.310
5	बागेश्वर	29837	8398.974	43959	18585.988	3381	4434.285	47340	23020.273
6	चम्पावत	14931	4684.642	25404	12583.996	5166	7513.075	30570	20097.071
कुमांऊ मण्डल		**188303**	**51515.248**	**306605**	**137748.585**	**65996**	**92183.996**	**372601**	**229932.581**

कृषि गणनाः 2015–16

उत्तराखण्ड में जोत बर्गवार क्रियात्मक जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल

क्षेत्रफल है० में

क्र. सं.	जनपद	लघु एवं सीमान्त (प्रतिशत में)		कुल		जोत का औसत क्षेत्रफल
		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	
1	नैनीताल	87.44	55.58	48733	49909.073	1.024
2	उधमसिंहनगर	79.23	37.23	102971	143298.073	1.392
3	अल्मोड़ा	95.61	85.30	102240	80555.454	0.788
4	पिथौरागढ़	98.65	92.87	73744	39859.546	0.541
5	बागेश्वर	99.62	97.72	47522	23556.717	0.496
6	चम्पावत	94.77	80.42	32257	24991.481	0.775
कुमांऊ मण्डल		**91.44**	**63.49**	**407467**	**362170.344**	**0.889**

जहॉ तक जोतों के आकार का प्रश्न है, पर्वतीय भू–भाग में एक ओर तो जोतें छोटी है दूसरी ओर जोत के अर्न्तगत आने वाले खेत भी छोटे–छोटे व ढालदार हैं।

कृषि गणना वर्ष 2015–16 के अनुसार मण्डल की लगभग 63.49 प्रतिशत जोतों का आकार लघु एवं सीमान्त श्रेणी की है। एक है0 तक की जोतों के अन्तर्गत 38.03 प्रतिशत क्षेत्रफल हैं, जबकि 25.45 प्रतिशत क्षेत्र एक से दो है0 क्षेत्रफल वाली जोतों के बीच है, एवं दो है0 से अधिक जोतों के अन्तर्गत 36.51 प्रतिशत क्षेत्रफल हैं।

संख्यात्मक रुप से एक है0 तक क्षेत्रफल वाली जोतों की संख्या 75.24 प्रतिशत, एक से दो है0 के बीच क्षेत्रफल वाली जोतों की संख्या लगभग 16.19 प्रतिशत एवं दो है0 से अधिक क्षेत्रफल वाली जोतों की संख्या 8.55 प्रतिशत है।

कुमाऊँ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर में प्रदेश के सबसे बड़े निजी कृषि फार्म एवं सार्वजनिक क्षेत्र के फार्म (कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर, सितारगंज जेल, हेमपुर आर्मी फार्म) स्थित है।

1. केन्द्रपोषित योजना :–

(अ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

जैविक कार्यक्रम :– जैविक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में जैविक संरचना निर्माण के अन्तर्गत क्रमश 417, 454, 723, 600, 400, 300 वर्मी कम्पोस्ट, क्रमश 268, 76, 392, 43, 79, 200 नाडेप एवं क्रमशः 40, 30, 65, 35, 16, 22 प्रशिक्षण कराये गये।

एकीकृत बहुद्देशीय जल सम्भरण योजना :– इस योजना अन्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर में क्रमश 2, 6, 3 बहुद्देशीय जल संभरण टैकों का निर्माण कराया गया जिसमें 35000 लीटर व 50000 लीटर की क्षमता के जल संभरण टैक निर्मित किए गए। जनपद उधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत द्वारा एच0डी0पी0ई0 पाईप (मी0) क्रमशः

750, 600, 10337, 500 का वितरण किया गया। साथ ही जनपद उधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, द्वारा क्रमशः 4, 1, 6 पॉलीहाउस का निर्माण किया गया।

घेरबाड़ योजना :– जंगली जानवरों के कृषि फसल के बचाव हेतु जनपद अन्तर्गत घेरबाड़ योजना संचालित की गयी वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में क्रमशः 6058, 5250, 7632, 2600 मी घेरबाड़ का निर्माण कराया गया।

फसलोत्पादन (धान) कार्यक्रम :– धान फसलोत्पादन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल एवं चम्पावत में क्रमशः 160, 70 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया। जनपद नैनीताल द्वारा 46 कु0 धान बीज, 732.8 है0 हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व, 2000 है0 हेतु कृषि रक्षा रसायन, 2000 मी0 जल संवहन पाईप का वितरण किया गया।

बीज उत्पादन कार्यक्रम :– जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में क्रमशः 10, 13.57, 24.88 है0 धान बीज उत्पादन, जनपद पिथौरागढ़ में 2 है0 में सोयाबीन बीज उत्पादन एवं 01 है0 गहत बीज उत्पादन तथा जनपद नैनीताल अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर में क्रमशः 70, 50, 51.2, 125.6 है0 में गेहूॅ बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गता जनपद नैनीताल, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ बागेश्वर एवं चम्पावत में क्रमशः 579.7, 73.7, 477.93, 205.55, 133.43, 133.58 लाख रू0 व्यय किये गये।

(ब) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल कार्यक्रम :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में क्रमशः 250, 160, 171 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया। अधिक उपजदायी बीज जनपद उधमसिंहनगर एवं पिथौरागढ़ में क्रमशः 686, 34 कु0 कृषकों को अनुदान के रूप में दिया गया। जनपद उधमसिंहनगर, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ पादप तथा मृदा प्रबन्धन/पौघ रक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण मद में क्रमशः 3365, 297, 311.57 है0 हेतु कृषि रक्षा रसायन अनुदान के रूप में कृषकों को अनुमन्य कराया गया। योजनान्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में क्रमशः 13, 4, 23 कृषि यंत्र वितरित किये गये। जनपद पिथौरागढ़ में एक 50 घन मी0 क्षमता का जल सम्भरण टैंक का निमाण कराया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ कार्यक्रम :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर में कलस्टर प्रदर्शन के अन्तर्गत क्रमशः 110, 200, 70, 69, 30 है0 क्षेत्र में प्रदर्शन का आयोजन किया गया। योजनान्तर्गत क्रमशः 297.9, 683, 137.05, 57, 42 कु0 अधिक उपजायी बीजो का वितरण किया गया। सूक्ष्म तत्व वितरण/पौघ रक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण हेतु क्रमशः 3224.9, 2187, 100, 170, 1015.3 है0 हेतु मूल्य पर अनुदान में कृषकों को उपलब्ध कराये गए। जल संवहन पाइप में क्रमशः 665, 0, 200, 1220, 0 मीटर पाइप कृषकों को अनुदान पर वितरण किया गया। जल पम्प मद में क्रमशः 1, 1, 0, 0, 1 जल पम्प कृषकों को 10000 रू0 प्रति जल पम्प की दर से वितरण किये गये। योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में क्रमशः 5, 1, 4, 9 आटा चक्की वितरित की गयी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन कार्यक्रम :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में दलहन कार्यक्रम के क्लस्टर प्रदर्शन मद में क्रमशः 80, 129, 190, 130, 60, 70 है0 क्षेत्र में क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये। योजनान्तर्गत जनपदो में क्रमशः 6.67, 61, 16, 58.88, 32.7, 0 कु0 अधिक उपजदायी प्रजाती के बीजो का अनुदान पर वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण अन्तर्गत 221, 600, 33, 0, 0, 100 है0 क्षेत्र में निवेश कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये गये। पौंध सुरक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण वितरण अन्तर्गत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर क्रमशः 450, 957, 83, 138.24, 332, 65 है0 हेतु निवेश अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये गये। कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः 10, 34, 0, 12, 2, 0, कृषि यंत्र वितरित किये गये। जनपद नैनीताल उधमसिंहनगर एवं चम्पावत द्वारा क्रमशः 600, 550, 300 मी0 जल संवहन पाईप कृषकों को अनुदान पर वितरण किया गया। जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में 50 धन मी क्षमता के जल सम्भरण टैंक का निर्माण कराया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अना**ज** कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, में उन्नतशील प्रजातियों के क्लस्टर प्रदर्शन मद 20, 10, 10 है0 क्षेत्र में क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये। जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत में क्रमशः 1.43, 4, 0.8, 1.08, 2 कु0 उन्नत बीजों पर अनुदान उपलब्ध कराया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पौष्टिक अनाज :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पौष्टिक अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में उन्नतशील प्रजातियों के क्लस्टर प्रदर्शन मद 360, 100, 70, 80 है0 क्षेत्र में क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये। जनपदों में क्रमशः 131, 31 38, 50 कु0 बीजों का वितरण किया गया। योजनान्तर्गत क्रमशः 369, 255.44, 390, 763 है0 हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराये गये। जनपद अल्मोडा में एक दलहन तथा मिलेट्स के ग्रेड एवं प्रोसेस के लिए 1 De stoner cum grader cum cleaner/flaking machine/Roaster पर अनुदान के रूप में रू0 3.36 लाख अनुदान दिया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन योजना :–योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्लस्टर प्रदर्शन के अन्तर्गत क्रमशः 20, 45, 20, 10, 10, 10 है0 क्षेत्र में तिलहन फसलों के क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये। योजनान्तर्गत जनपदो में क्रमशः 82.6, 25, 1.79, 2.02, 1.65, 6 कु0 बीज कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध करया गया। जनपर नैनीताल, उधमसिंहनगर, पिथौरागढ़ में क्रमशः 2, 14, 8 कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराये गये।

इस प्रकार राष्ट्रीय खद्य्य सुरक्षा भिशन योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः रू0 23.44, रू0 122.68, रू0 21.94, रू0 22.43, रू0 40.40, रू0 10.38 लाख धनराशि व्यय की गयी।

(स) नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी मिशन (नामेट):–

i. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एस0एम0ए0एम0) :– योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में निम्न कार्य सम्पादित कराये गये।

कस्टम हायरिंग केन्द्र :–इसके अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर में 18 कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये गए एवं 40 प्रति0 अनुदान की धनराशि कृषक समूहों के बैंक खाते में भुगतान की गयी।

फार्म मशीनरी बैंक :– इसके अन्तर्गत कृषकों के समूहों का गठन कर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की गयी। जिसमें ट्रैक्टर, पावर वीडर, थ्रेसर, ब्रशकटर आदि यंत्रों के कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 44, 4, 30, 24, 8, 7 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये गए एवं 80 प्रति0 अनुदान की धनराशि कृषक समूहों के बैंक खाते में भुगतान की गयी। उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुमन्य सीमा तक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चालित यंत्र, पावर टिलर, मानव/शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्र, थ्रैसर, एच0डी0पी0ई0 पाईप, ब्रश कटर, मल्टी क्रॉप थ्रैसर इत्यादि पर भी अनुदान उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार एस0एम0ए0एम0 योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः रू0 698.92, रू0 707.07, रू0 472.6, रू0 413.40 रू0 128.05, रू0 130.31 लाख धनराशि व्यय की गयी।

ii. नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी मिशन (नामेट–आत्मा) :–

आत्मा योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में वर्ष 2021–22 में क्रमशः 1709, 1659, 1964, 576, 169, 65 मैनडेज कृषक प्रशिक्षण, क्रमशः 587, 513, 788, 211, 45, 75 एक्सपोजर विजिट आयोजन

कराया गया एवं 1182, 820, 1460, 1350, 120, 575 फसल प्रदर्शन आयोजित कराये गये एवं 24, 21, 33, 24, 9, 12 फार्म स्कूल संचालित किये गए।
योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः रू0 101.58, रू0 78.66, रू0 94.72, रू0 89.16, रू0 28.09, रू0 57.06, लाख की धनराशि व्यय की गयी।

iii. सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिग मैटिरियल (एस0एम0एस0पी0) बीज ग्राम योजना :–
सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिग मैटिरियल (एस0एम0एस0पी0) बीज ग्राम योजना खरीफ वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में योजनान्तर्गत क्रमशः 44, 27, 95, 64, 35, 24 न्याय पंचायतों में क्रमशः 597, 2876, 2948, 1784, 971, 608 कृषकों को क्रमशः 224.70, 45.16, 143.39, 114.88 89.44, 37.23 कुन्तल बीज अनुदान पर वितरित किया गया। एवं तीन दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये गए।
इसी प्रकार सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिग मैटिरियल (एस0एम0एस0पी0) बीज ग्राम योजना रबी वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में योजनान्तर्गत क्रमशः 44, 27, 95, 64, 35, 24 न्याय पंचायतों में क्रमशः 2517, 8017, 1661, 519, 1386 958 कृषकों को क्रमशः 856.41, 3173.50, 488.06, 510.92, 242.27 242.63 कुन्तल बीज अनुदान पर वितरित किये गये। क्रमशः 01, 48, 30, 44, 9, 17 तीन दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित कर कृषकों को लाभान्वित किया गया।
योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः रू0 27.71, रू0 30.88, रू0 5.98, रू0 6.82, रू0 6.04, रू0 3.00, लाख की धनराशि व्यय की गयी।

(द) राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन :–

वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम :– इस योजना में वर्षा आधारित क्षेत्रों में विकास हेतु कृषि/कृषिवानिकी आधारित फसल प्रणाली/पशुपालन/दुग्ध आधारित फसल कार्यक्रम/उद्यान आधारित कार्यक्रम आयोजित किये गये है। जिसमें सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदर्शन आयोजित कराये गये है, वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्लस्टरों में कृषकों को लाभान्वित किया गया। उक्त कार्यक्रम में कृषकों को कृषि व रेखीय विभागों सम्बन्धी जानकारी हेतु, सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण/भ्रमण आयोजित कराये गये।
योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत क्रमशः रू0 18.04, रू0 51.73, रू0 36.12, रू0 21.30, रू0 75.05 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

परम्परागत कृषि विकास योजना :– परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत

में क्रमशः 187, 8, 217, 200, 122, 125 चयनित कलस्टरों में जैविक कलस्टर बनाने हेतु योजना का क्रियान्वयन किया गया। वर्ष 2021–22 में क्रमशः 3740, 160, 4340, 4000, 2440, 2500 है0 क्षेत्र में क्लस्टर गठन, प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण कार्य किया गया।
योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में क्रमशः रू0 490.33, रू0 10.12, रू0 308.82, रू0 283.18, रू0 170.69, रू0 137.98 लाख व्यय किया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 60, 0, 47, 43, 10, 33 सामुदायिक सिंचाई टैंक, क्रमशः 20, 0, 10, 16, 0, 23 चैकडैम, जनपद नैनीताल मे 62 डग आऊट तालाब एवं 26 छत वर्षा जल सम्भरण टैकं निर्मित/स्थापित किये गए। जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 420, 40, 500, 2000, 500, 1500, 5000 मी0 एच0डी0पी0ई0 पाईप अनुदान में वितरित किये गये। योजनान्तर्गत जनपदो में क्रमशः 4, 20, 5, 6, 15, 5 जल पम्प कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये गये।
योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः रू0 295.65, रू0 147.62, रू0 263.65, रू0 183.71, रू0 69.31, रू0 157.48, लाख की धनराशि व्यय की गयी।

2. राज्य सैक्टर योजना :–

(क) अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम :–इसके अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन, बहुउद्देशीय टैंक, कृषि यंत्र वितरण, प्रशिक्षण इत्यादि मद अन्तर्गत क्रमशः रू0 29.5, रू0 50.80, रू0 40.50, रू0 28.02, रू0 11.05, रू0 21.80 लाख व्यय किया गया।

(ख) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम :– इसके अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ एवं चम्पावत में बीज मिनीकिट वितरण, पौंध सुरक्षा कार्यक्रम, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन, बहुउद्देशीय टैंक, कृषि यंत्र वितरण, प्रशिक्षण इत्यादि मद अन्तर्गत क्रमशः रू0 104.6, रू0 32.72, रू0 9.10 लाख व्यय किया गया।

3. जिला योजना :–

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में चयनित ग्रामों में कृषकों/कृषक समूहों में बीज मिनिकिट वितरण, कृषि यंत्र वितरण एवं अतिरिक्त सिंचन क्षमता/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य सम्पादित कराये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

1. बीज मिनिकिट वितरण :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद चम्पावत़, ऊधमसिंह नगऱ, के चयनित ग्रामों में क्रमशः 1375, 110 कृषकों को विभिन्न फसलों की अधिक उपजदायी नवीनतम प्रजातियों के बीज मिनी किट वितरित किये गये।

2. कृषि यंत्र वितरण :– इस कार्यमद के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, उधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वऱ, चम्पावत़ के चयनित ग्रामों में कृषकों/कृषक समूहों को कृषि यंत्रों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रकार के मानव चालित बैल चालित एवं शक्ति चालित कृषि यंत्रों यथा विवेक स्याही हल, पावर वीडर, पावर टिलर, मड़ुवा थ्रेसर एवं नैपसैप स्प्रेयर आदि का 90 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा तक अनुमन्य अनुदान पर वितरण किया गया।

3. अतिरिक्त सिंचन क्षमता/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :– इस कार्य मद के अन्तर्गत उत्पादकता में वृद्धि लाने एवं चयनित ग्रामों के कृषकों/कृषक समूहों की आजीविका में सुधार लाने हेतु क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार बहुउद्देशीय टैकों का निर्माण, मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, गूल निर्माण एवं सुरक्षा दीवार आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये गये।

योजनान्तर्गत विभ्भिन्न मदों में जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वऱ, चम्पावत़ में क्रमशः रू0 169.85, रू0 325.00, रू0 156.24, रू0 156.00, रू0 134.75, रू0 73.13 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

अध्याय – 6

उद्यान

उद्यान के अन्तर्गत रोजगार सृजन की स्थिति एवं उद्यानीकरण का पर्यटन के सम्बन्ध में – विभाग द्वारा वर्तमान में उद्यानपतियों के यहॉ स्वरोजगार हेतु उद्यानों की स्थापना की जा रही है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के विभिन्न विकासखण्डो के अन्तर्गत सेव, आडू, प्लम, खुबानी, कीवी, आम, लीची, अमरूद, ड्रैगनफ्रूट, केला आदि के उद्यान लगाये जा रहे है, जिससे उद्यानपतियों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। इसके साथ आलू, शिमला, मिर्च, बन्दगाभी, फूलगोभी, टमाटर, मटर एवं पॉलीहाउसों में उच्च गुणवत्तायुक्त पुष्प उत्पादन कार्य किया जा रहा है। जिससे युवाओं/उद्यानपतियों को रोजगार एवं अच्छी आय प्राप्त हो रही है। जनपदों में स्थापित उद्यानों एवं पॉलीहाउसों में उत्पादित सब्जी एवं पुष्प उत्पादन का अवलोकन पर्यटकों द्वारा किया जा रहा है। औद्यानिक विकास हेतु 36 राजकीय उद्यान, 127 उद्यान सचल दल केन्द्र एवं 21 फल संरक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। कृषि कार्य आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद न होने के कारण जनपद उद्यान विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। औद्यानिक कार्यक्रम से लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। इन उद्यानों की मुख्य समस्या समीपस्थ विपणन केन्द्रों का न होना है। जिससे उद्यान पतियों/सब्जी उत्पादकों एवं पुष्प उत्पादकों को अपना उत्पादन बिक्री हेतु दूरस्थ बाजारों में ले जाना पड़ता है। मौसमी फलों/सब्जियों आदि के उचित भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण भी उद्यानपतियों को उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त नही हो पा रहा है। जिस कारण उद्यानपतियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

उद्यान एवं सब्जी उत्पादन में अवस्थापनाओं व नर्सरी संचालन में व्यय की गई धनराशि का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	व्यय धनराशि (रू0 लाख में)
1.	नैनीताल	39.24
2.	अल्मोड़ा	30.27
3.	उधमसिंह नगर	100.66
4.	पिथौरागढ़	25.385
5.	बागेश्वर	9.705
6.	चम्पावत	0.00
	योग	**205.26**

मण्डल में विकास कार्य हेतु राजकीय उद्यान, उद्यान सचल दल केन्द्र/फल संरक्षण केन्द्र की स्थापना का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	राजकीय उद्यान (संख्या)	उद्यान सचल दल केन्द्र (संख्या)	फल संरक्षण केन्द्र (संख्या)
1.	नैनीताल	9	31	5
2.	अल्मोड़ा	3	36	6
3.	उधमसिंह नगर	3	14	3
4.	पिथौरागढ़	15	24	3
5.	बागेश्वर	0	10	1
6.	चम्पावत	6	12	3
	योग	**36**	**127**	**21**

जिला योजना–

स्पेशल कम्पोनेंट योजना :– जिला योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास के अन्तर्गत 50% राज सहायता पर 73831 फलपौधो का रोपण, 60% राज सहायता पर 1031.86 है0 में पौध सुरक्षा कार्य तथा 90% राज सहायता पर 232 पॉलीहाउस निर्माण कार्य एवं 117.95 कु0 आलू बीज का वितरण किया गया। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के अन्तर्गत 119.40 कु0 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण किया गया एवं प्रसंस्करण हेतु 1079 उद्यानपतियों/युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया।

स्पेशल कम्पोनैट प्लान के अन्तर्गत विभिन्न औद्यानिक कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	50% राज सहायता पर फल पौध रोपण		60% राज सहायता पर पौध सुरक्षा कार्य		90% राज सहायता पर पॉलीहाउस निमार्ण	
		फल पौध संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	लाभान्वित कृषक संख्या	संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1.	नैनीताल	17552	1741	225.00	510	68	68
2.	अल्मोड़ा	21420	4297	314.00	1436	15	15
3.	उधमसिंह नगर	9110	91	58.00	62	20	20
4.	पिथौरागढ़	14502	230	10.00	120	24	24
5.	बागेश्वर	6083	1851	286.65	832	62	62
6.	चम्पावत	5164	172	140.00	159	43	43
	योग	**73831**	**8382**	**1033.65**	**3119**	**232**	**232**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण		आलू बीज वितरण	
		प्रसंस्करण कु0 में	प्रशिक्षणाथी संख्या	मात्रा (कु0 में)	कृषक संख्या
1.	नैनीताल	48.07	462	222.00	110
2.	अल्मोड़ा	34.53	97	173.00	230
3.	उधमसिंह नगर	9.42	125	0.00	0
4.	पिथौरागढ़	22.23	264	282.50	73
5.	बागेश्वर	3.90	109	250.00	692
6.	चम्पावत	1.25	22	90.45	71
	योग	**119.40**	**1079**	**1017.95**	**1176**

सामान्य योजनाः– योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में जनपदवार किये गये औद्यानिक कार्यों का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	50% राज सहायता पर फल पौध रोपण		60% राज सहायता पर पौध सुरक्षा कार्य		90% राज सहायता पर पॉलीहाउस निमार्ण	
		फल पौध संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	लाभान्वित कृषक संख्या	संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1.	नैनीताल	109704	1694	1246.00	2838	150	150
2.	अल्मोड़ा	85655	17186	1283.00	8620	155	155
3.	उधमसिंह नगर	113997	9902	978.45	805	130	130
4.	पिथौरागढ़	21498	540	14.00	165	102	102
5.	बागेश्वर	38285	8556	664.65	1288	353	353
6.	चम्पावत	15718	523	515.00	502	141	141
	योग	**384857**	**38401**	**4701.1**	**14218**	**1031**	**1031**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण		आलू बीज वितरण	
		प्रसंस्करण (कु0में)	प्रशिक्षणाथी संख्या	मात्रा (कु0में)	कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	नैनीताल	267.11	2572	1298	978
2.	अल्मोड़ा	342.99	361	693.00	918
3.	उधमसिंह नगर	81.67	1077	0.00	0.00
4.	पिथौरागढ़	92.42	740	889.00	2257
5.	बागेश्वर	69.35	1224	0.00	0
6.	चम्पावत	114.31	1424	409.45	376
	योग	**970.85**	**7402**	**3294.45**	**4535**

राज्य सैक्टर :– राज्य सैक्टर के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में मण्डल में जनपदों के अन्तर्गत 70 कृषको के पूर्व स्थापित उद्यानों को जंगली जानवरों/पालतू जानवरों से सुरक्षा हेतु 45.00 हैक्टयेर में 50% राज सहायता प्रदान की गई है तथा मण्डल में कुल 5839 (उद्यान कार्ड) उद्यानपति पंजीकृत किये गये।

उद्यानों का घेरबाड़ :–उद्यानों का घेरबाड़ के अन्तर्गत 45.00 हैक्टेयर क्षेत्र में पुराने उद्यानों का घेरबाड़ कार्य करवाया गया। जिसमें 70 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

ग्रीन हाउस की पालीथीन बदलाव योजना :– ग्रीन हाउस की पालीथीन बदवाल योजना के अन्तर्गत रू0 17.22 लाख धनराशि व्यय कर **34127.00** वर्ग मी0 में पुराने पाली हाउसों की पालीथीन का बदलाव कर 62 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

वृहद फल पौध रोपण :– वृहद फल पौध रोपण के अन्तर्गत 1.95654 लाख निःशुक्ल फल पौध का 596.26 हैक्टेयर में रोपण कर 51787 कृषको को लाभन्वित किया गया। योजना के अन्तर्गत 121.45 लाख धनराशि व्यय की गई।

वर्मी कम्पोस्ट :– वर्मी कम्पोस्ट योजनान्तर्गत 201 वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण कर 201 कृषको को लाभान्वित किया गया, जिस पर रू0 47.37 लाख व्यय किया गया।

औद्यानिक संयत्र :– योजनान्तर्गत 2203 औद्यानिक यंत्रो का वितरण कर 2197 कृषको को लाभान्वित किया गया, जिस पर रू0 20.08 लाख धनराशि व्यय की गई।

पौध सुरक्षा कार्य :– 5108.25 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फसलों पर कीट एवं व्याधि की रोकथाम कर 12775 कृषको को लाभान्वित किया गया। योजना के अन्तर्गत 40.34 लाख धनराशि व्यय की गई।

हार्टिकल्चर टेक्नोलाजी मिशन (HMNEH) :– फल पौध क्षेत्रफल विस्तार:–एच0एम0एन0ई0एच योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में निम्नानुसार औद्यानिक कार्य करवाये गये।

फल पौध क्षेत्रफल विस्तार :– इस योजना के अन्तर्गत 301.92 है0 क्षेत्रफल में आम, लीची, अमरूद, सेव आड़ू, प्लम, खुबानी आदि फल पौधो का रोपण कर 1122 कृषको को लाभान्वित किया गया, जिस पर रू0 81.64 लाख धनराशि व्यय की गई।

सब्जी क्षेत्रफल विस्तार :– हाइब्रिड सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना में टमाटर, बन्दगोभी, शिमला मिर्च तथा फूलगोभी हाईब्रीड सब्जी बीज का वितरण कर 507.00 है0 क्षेत्रफल में सब्जी उत्पादन किया गया तथा 6041 कृषको को लाभान्वित किया गया।

मसाला क्षेत्रफल विस्तार :– योजना के अन्तर्गत 354.00 है0 क्षेत्रफल में मसाला मिर्च, अदरख, हल्दी मसाला उत्पादन का कार्य करवाया गया, जिससे 2038 कृषको को लाभान्वित किया गया।

पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार :– 54.00 है0 क्षेत्रफल में आम के पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार करवाया गया, जिससे 85 कृषक लाभान्वित किये गये।

पॉलीहाउस निर्माण – पॉलीहाउस निर्माण योजनान्तर्गत 24700.00 वर्ग मी0 में पॉलीहाउस का निर्माण कर 91 कृषको को लाभान्वित किय गया है।

मौन पालन :– राज्य में शहद उत्पादन तथा परपरागण द्वारा फलो एवं सब्जियों की उत्पादकता बढाने के लिए मौनपालन विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जनपद नैनीताल में स्थित मौन पालन केन्द्र द्वारा 635 मौन बक्स का वितरण कर 13.66 लाख धनराशि व्यय की गई।

क्र0 सं0	जनपद	मौनपालकों की संख्या	मौन कलौनियों की संख्या	शहद उत्पादन मै0 टन
1.	नैनीताल	1215	24340	27.16
2.	अल्मोड़ा	897	5724	7.68
3.	उधमसिंह नगर	45	1215	96.45
4.	पिथौरागढ़	854	4605	4.20
5.	बागेश्वर	256	653	1.25
6.	चम्पावत	435	2265	7.63
	योग	**3702**	**38802**	**144.37**

मशरूम उत्पादनः– जिला योजना के अन्तर्गत कास्तकारों को 80 प्रतिशत राज्य सहायता पर स्पान (मशरूम बीज) एवं पाश्चुराज्ड कम्पोस्ट वितरित किया गया है साथ ही ग्राम स्तर पर मशरूम उत्पादन पैंकिग तथा वितरण सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल के ज्यौलीकोट तथा भवाली में एक–एक कम्पोस्ट इकाई स्थापित है। योजनान्तर्गत मशरूम उत्पादको को 80 प्रतिशत राजसहायता पर विजाईयुक्त 187.50 टन मशरूम कम्पोस्ट का वितरण कर 115 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया, जिस पर रू0 15.00 लाख मात्र धनराशि व्यय की गई।

वर्ष 2021–22

क्र0सं0	जनपद	वितरित कम्पोस्ट (टन)	कृषको की संख्या	बटन मशरूम ईकाइया	प्रशिक्षणार्थी संख्या
1.	नैनीताल	128.20	133	133	290
2.	अल्मोड़ा	80.00	51.00	51	93
3.	उधमसिंह नगर	200.00	87	87	87
4.	पिथौरागढ़	40.00	19	0	0
5.	बागेश्वर	11.97	18	18	27
6.	चम्पावत	7.00	8	8	15
	योग	**467.17**	**316**	**297**	**512**

फसल/उद्यान बीमा योजना –

क्र0 सं0	जनपद	फसल बीमा के अन्तर्गत बीमित कृषक			लाभान्वित कृषक			व्यय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2019–20	20–21	21–22	2019–20	20–21	21–22	21–22
1.	नैनीताल	32047	30951	28176	32047	30951	28176	**267.68**
2.	अल्मोड़ा	6583	7178	6765	6583	7178	6765	**0.00**
3.	उधमसिंह नगर	0	41	0	0	41	0	**0.00**
4.	पिथौरागढ़	0	0	0	0	0	0	**0.00**
5.	बागेश्वर	3471	3490	3209	3471	3490	3209	**0.00**
6.	चम्पावत	4227	4359	4894	4227	4359	4894	**0.00**
	योग	**46328**	**46019**	**43044**	**46328**	**46019**	**43044**	**267.68**

मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना :– इस योजना के अन्तर्गत जनपदों में 304 कृषकों को लाभान्वित कर 304 पॉलीहाउस निर्मित किये गये जिसमें कृषकों को 30 प्रतिशत राजसहायता पर रू0 219.45 लाख व्यय किया गया तथा 50 प्रतिशत राजसहायता का भुगतान एच0एम0एन0इ0एच योजना से किया गया।

आत्मा परियोजना :– वर्ष 2021–22 में आत्मा योजनार्न्तगत 422 कृषकों को सब्जी बीज वितरण एवं एम्सपोजर विजिट कराकर रू0 1.185 लाख व्यय किया गया।

उन्नत किस्म की रोपण सामग्री हेतु पौधालय प्रक्षेत्रों का विकास – इस योजना के अर्न्तगत जनपदों में औद्यानिक विकास को गति प्रदान करने हेतु संचालित विभिन्न राजसहायता की योजनाएं सम्मिलित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष हेतु रू0 205.26 लाख धनराशि व्यय की गई।

जिला योजना– जिला योजनान्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में जनपदो में निम्नानुसार योजनाओं में कृषकों को लाभान्वित किये जाने हेतु निवेश वितरण एवं निवेशों का ढुलान किया जाता है, जिस पर रू0 1537.28 लाख धनराशि का व्यय निम्नानुसार मदवार किया गया।

फल पौध, सब्जी बीज एवं पौध, आलू बीज वितरण पर राज सहायता :– इस योजना का उद्देश्य सभी उद्यानपतियों को फल पौध, सब्जी बीज व पौध रसायनिक दवायें/औजार एक ही दर पर उपलब्ध कराना है। अतः उक्त इनपुटस् को उद्यान सचल दल केन्द्रों/विकास खण्ड़ स्तर तक पहुंचाने हेतु ढुलान पर शत–प्रतिशत राज सहायता दी जाती है।

औद्यानिक फसलों पर कीट व्याधि की रोकथाम :– इस योजनान्तर्गत जनपदों के फल/सब्जी उत्पादकों को उनकी फसलों को कीट–व्याधि से बचाने हेतु 60 प्रतिशत राज सहायता पर कीट–व्याधि रसायन कृषकों की मांगानुसार निकटतम उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं, जिस हेतु वर्ष 2021–22 में रू0 40.34 लाख व्यय किया गया एवं 5108.25 है0 क्षेत्र में कीट/व्याधि की रोकथाम कर 12775 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

औद्यानिक औजार संयंत्रों पर राज सहायता :– इस योजनान्तर्गत औद्यानिक कार्यों जैसे कटाई, छटाई एवं कीट व्याधि के छिडकाव आदि कार्यों हेतु कृषकों को उन्नत किस्म के औद्यानिक औजार/संयंत्र 50 प्रतिशत राज सहायता पर उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषक अपने उद्यानों में आवश्यक कटाई, छटाई का कार्य सुगमतापूर्वक कर सकेगें। इस वर्ष रू0 20.08 लाख व्यय किया गया, जिससे 2197 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

कुरमुला कीट की रोकथाम :– जनपदों के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खण्ड़ों में कुरमुला कीट बहुतायत में पाया जाता है। जिस कारण कृषकों की आलू एवं सब्जियों की फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है। अतः आलू/सब्जी फसल को कुरमुला कीट के नुकसान से बचाने के लियें कीटनाशक रसायन 60 प्रतिशत राज सहायता पर उपलब्ध कराये जाते हैं जिस हेतु रू0 9.58 लाख व्यय कर 3502 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

फल/सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना – इस योजनान्तर्गत 02 योजनाएं सम्मिलित की गई है जिसके अन्तर्गत फल/सब्जी को सुखाकर कर प्रसंस्करण कार्य तथा फलों एवं सब्जियों के विक्रय हेतु पैंकिंग मैटिरियल वितरित किया जाता है।

फलों की पैकिंग में कोरोगेटेड बक्सों का प्रोत्साहन :–जनपदों में उत्पादित किये जा रहे फलो के विपणन हेतु देश–प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में भेजा जाता है। वर्तमान में फलों की पैकिंग हेतु लकड़ी के बक्सों का प्रयोग हो रहा है चूंकि लकड़ी की उपलब्धता बहुत कम हो गई है। अतः लकड़ी के बक्सों के स्थान पर कोरोगेटेड बक्से उपलब्ध कराये गये। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन स्तर से (फील्ड से) गोदाम तक फलो/सब्जियों को सुरक्षित लाने हेतु 50 प्रतिशत राजसहायता पर प्लास्टिक क्रेट्स 4098 एवं 100117 कोरोगेटेड बाक्स क्रय कर उपलब्ध कराये गये, जिससे 48546 कृषकों को लाभान्वित किया गया, जिस पर रू0 13.17 लाख धनराशि व्यय की गई।

फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण में प्रशिक्षण :– कृषकों/उद्यापतियों को फल सब्जियों के प्रसंस्करण पर विभागीय फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण का प्राविधान है। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत रू0 2.00 लाख व्यय किया गया, जिससे 2955 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 851.62 कुन्तल फल एवं सब्जी का प्रसंस्करण कर 9351 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

औद्यानिक औजार वितरण पर 50% राजसहायता :– औद्यानिक फसलों के उत्पादन में काम आने वाले सभी प्रकार के औजार व संयन्त्रों जैसे स्प्रे मशीन, स्केटियर, आरी, बडिंग ग्राफटिंग चाकू आदि संयंत्र 50%राजसहायता पर कृषकों को जनपदों में स्थित उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं। जनपदों में औद्यानिक कार्यों की गुणात्मक प्रगति के कारण औद्यानिक औजार/संयंत्रों की मॉग प्रतिवर्ष बढ़ रही है। वर्ष 2021–22 में रू0 20.08 लाख धनराशि व्यय कर 2197 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फल पट्टी का समुचित विकास :– इस योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल में वर्ष 2021–22 में 36.60 है0 क्षेत्रफल में फल–पौधो का रोपण किया गया है जिसमें रू0 3.89 लाख व्यय किया गया तथा जनपद चम्पावत में 50.00 है0 क्षेत्रफल में योजनान्तर्गत पौध रोपण कार्य किया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY) : पी0एम0के0एस0वाई0 योजनान्तर्गत औद्यानिक फसलों में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिचाई हेतु ड्रिप एवं स्प्रिंगक्लर स्थापित की जाती है। जिससे पानी की बचत के साथ–साथ फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। आलोच्य वर्ष 2021–22 में ड्रिप इरिगेशन में 22.60 हैक्टेयर, पौटेबल स्प्रिंगक्लर द्वारा 197.00 हैक्टेयर, मिनी स्प्रिंगक्लर से 40.80 हैक्टेयर तथा रेनगन से 24.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किया गया।

अध्याय – 7

रेशम

रेशम उद्योग कृषि पर आधारित एक सहायक उद्योग है। कृषि से सम्बन्धित समस्त उद्योगों में रेशम उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखण्ड राज्य में 90 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र व 10 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है ऐसे में रेशम उद्योग राज्य में अल्प पूंजी निवेश से अधिक आय सर्जन का साधन है, जो समस्त आयु एवं आय वर्ग के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराता है। उत्तराखण्ड राज्य के दूरस्थ, पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के साथ–साथ संवेदनशील पर्यावरण के संरक्षण व सम्वर्धन हेतु रेशम उद्योग काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊॅ मण्डल में रेशम उत्पादन हेतु अनुकूल वातावरण है, जिसके कारण यहॉ सभी प्रकार के रेशम जैसे– शहतूती, टसर, मूंगा एवं एरी रेशम पैदावार की अपार सम्भावनायें है।

रेशम उद्योग की स्थापना करने में कृषक के स्तर पर बहुत ही न्यून धनराशि लगती है। वास्तव में कृषक की मेहनत ही मुख्य रूप से इस उद्योग को चलाती है एवं यह उद्योग किसी भी सीमा तक कृषक द्वारा बढ़ाया जा सकता है जिसके फलस्वरूप उसकी आमदनी की भी उसी अनुपात में बढ़ोत्तरी सम्भव है।

वर्तमान में कुमाऊॅ मण्डल में, चम्पावत जनपद को छोड़कर शेष सभी जनपदों में रेशम उद्योग की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। रेशम उद्योग को अपनाने वाले कृषक अतिरिक्त आमदनी रेशम उद्योग से प्राप्त कर रहे हैं। कुमाऊॅ मण्डल के आच्छादित जनपदों के कुछ विकास खण्डों में रेशम उद्योग को बड़े पैमाने पर कृषकों द्वारा स्वीकार किया गया है, उदाहरणार्थ जनपद नैनीताल के कोटाबाग एवं रामनगर विकास खण्ड जनपद उधमसिंह नगर के गदरपुर, जसपुर, बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज विकास खण्डों में शहतूती रेशम कार्य का काफी विकास हुआ है। कुमाऊॅ मण्डल के पर्वतीय जनपदों बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में ओक तसर रेशम के लिये वृहद परियोजना वर्तमान में स्वीकृत हुयी है, जिसके माध्यम से पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले कृषकों को रेशम उत्पादन के माध्यम से स्थानीय रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है जिससे न सिर्फ उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि पलायन रोकने में भी कारगर है।

कुमाऊॅ मण्डल के विभिन्न जनपदों में वर्ष 2021–22 में रेशम विभाग की निम्नानुसार योजनायें संचालित की गयी।

1. **जिला योजना–** वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के विभिन्न जनपदों हेतु (जनपद चम्पावत को छोड़कर) जिला योजना के अन्तर्गत रू0 114.20 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी, जिसका पूर्ण व्यय कर लिया गया है, इससे जनपदों में स्थापित कुल 24 राजकीय शहतूत उद्यानों का रख–रखाव, रेशम कीटपालकों के लिये सामग्री, औषधियों, विशुद्धिकारकों का क्रय किया जाता है। इससे ग्रामीणों को उनके आवास के निकट रोजगार प्राप्त होता है।

2. **राज्य सैक्टर योजना–** वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के विभिन्न जनपदों हेतु (जनपद चम्पावत को छोड़कर) राज्य सैक्टर योजना के अन्तर्गत रू0 41.196 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी, जिसके अन्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के विभिन्न जनपदों में वृक्षारोपण कार्य, जैविक रेशम विकास सम्बन्धी कार्य, कृषकों को विभिन्न तकनीकी विषयों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्य तथा वान्या रेशम जैसे एरी, मूंगा, टसर आदि के प्रसार, रेशम कोया बाजारों का उच्चीकरण हेतु कार्यों का सम्पादन किया गया।

रेशम उद्योग की उपरोक्त सभी योजनायें समाज के निर्धनतम् व्यक्ति से सीधी जुड़ी हुई है और उन्हें रोजगार के अतिरिक्त, आमदनी उपलब्ध कराती है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से इस उद्योग के प्रति कृषकों का रूझान बढ़ा है। जिससे कुमाऊॅ मण्डल में रेशम उद्योग के क्रियाकलापों में गति आयी है।

अध्याय – 8

सहकारिता

कुमाऊॅ मण्डल में 283 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां, 17 क्रय–विक्रय सहकारी समितियां, 33 संयुक्त कृषि सहकारी समितियॉ, 57 मत्स्य सहकारी समितियॉ, 108 बुनकर सहकारी समितियॉ, 45 प्रा0 औद्यौगिक सहकारी समितियॉ, 206 श्रम संविदा सहकारी समितियां, 101 उपभोक्ता सहकारी समितियां, 04 केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार, 50 वेतनभोगी सहकारी समितियां, 04 जिला सहकारी बैंक एवं 125 सहकारी बैंक की शाखाऐं, 03 अरबन को–आपरेटिव बैंक एवं अरबन बैंक की 74 शाखाऐं तथा 902 स्वायत्त सहकारिताएं आदि ऋण एवं कृषि वानिकी क्षेत्र में सुविधायें प्रदान करने हेतु संचालित हैं। कुमाऊॅ मण्डल की सहकारी समितियां अपने कृषक सदस्यों/गैर कृषक सदस्यों को विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण, उर्वरक वितरण, उपभोक्ता व्यवसाय के साथ–साथ बैंकिंग सुविधायें 351 ग्रामीण बचत केन्द्र/विस्तार पटलों के माध्यम से कुमाऊॅ मण्डल के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवायें उपलब्ध करा रही हैं।

विभाग द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से कुमाऊॅ मण्डल में संचालित किये जा रहे मुख्य कार्यक्रम अल्पकालीन ऋण वितरण, मध्यकालीन ऋण वितरण, दीर्घकालीन ऋण वितरण, नये सदस्यों के प्रवेश से सहकारिता का आच्छादन, उपभोक्ता व्यवसाय, उर्वरक व्यवसाय, कृषि निवेशों एवं कृषि रक्षा रसायनों की आपूर्ति सम्बन्धी व्यवसाय, सहकारी देयों की वसूली, किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण, महिला समूहों का गठन, विविध प्रयोजनों हेतु बैंक द्वारा ऋण वितरण, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना द्वारा सहकारी समितियों में ग्रामीण गोदामों का निर्माण, प्रारम्भिक सहकारी समितियों को स्वाश्रयी बनाने हेतु कार्य योजना, जिला योजना द्वारा सहकारी समितियों के बुनियादी ढॉचे को मजबूत करने हेतु साज–सज्जा एवं प्रबन्धकीय व्यय की सहायता, सहकारी समितियों के जर्जर भवनों/गोदामों आदि के निर्माण हेतु शत–प्रतिशत अनुदान सहायता आदि है।

बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों में सदस्यता वृद्वि :–कुमाऊॅ मण्डल में स्थापित सहकारी समितियां अपने सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके आर्थिक उन्नयन के लिए ऋण सुविधा प्रदान कर रही हैं। न्याय पंचायत स्तर पर गठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती हैं। क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति जो विधि के अनुसार संविदा करने योग्य है समिति का सदस्य बन सकता है। वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल में 11312 सदस्यों ने सहकारी समितियों की सदस्यता ग्रहण की जिसमें से 3273 सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं। मण्डल में 31 मार्च 2022 को सहकारी समितियों में कुल सदस्य संख्या 446111 है।

अंशधन में वृद्वि :– कुमाऊॅ मण्डल की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां अपने सदस्यों को कृषि ऋण, मध्यकालीन ऋण, व्यवसायिक ऋण प्रदत्त कराती हैं। समितियां सदस्यों को उनके द्वारा धारित अंश के 20 गुना तक ऋण देने की सुविधा प्रदान करती हैं। विभाग द्वारा निर्धारित किये गये अंशधन मु0 840.00 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2021–22 में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा 535.03 लाख रू0 अंशधन जमा किया गया है।

ग्रामीण बचत केन्द्र :–सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों में बचत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण बचत केन्द्रों की स्थापना की गई है। कुमाऊॅ मण्डल में वर्तमान में ग्रामीण बचत केन्द्र/विस्तार पटलों की संख्या 351 है। वर्ष 2021–22 के अन्त में ग्रामीण बचत केन्द्रों में 179148 खाता धारकों का मु0 28540.98 लाख रू0 जमा है तथा जिला सहकारी बैंकों में सावधि खातों में मु0 29950.62 तथा बचत खातों में मु0 1929.99 लाख रू0 कुल 31880.61 लाख रू0 विनियोजित हैं। समितियों द्वारा ग्रामीण बचत केन्द्रों में जमा धनराशि का विनियोजन जिला सहकारी बैंकों में सावधि एवं बचत खातों में किया जा रहा है। सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार समय–समय पर ग्रामीण बचत केन्द्रों से धनराशि आहरित करते रहते हैं।

फसली अल्पकालीन ऋण वितरण योजना :–कुमाऊॅ मण्डल में स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कृषि कार्य हेतु अपने कृषक सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन ऋण वितरण करती हैं। वर्ष 2021–22 में विभाग द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य मु0 141000.00 लाख रू0 के सापेक्ष 115883 कृषकों को मु0 80068.97 लाख रू0 अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया गया। कृषकों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना का अक्टूबर–2017 में शुभारम्भ किया गया है। रबी/खरीफ फसलों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा कृषक सदस्यों को समितियां जिला सहकारी बैंक की शाखाओं से अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करा रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियां अपने लघु–सीमान्त, बी0पी0एल0 एवं सामान्य कृषक सदस्यों को मु0 1.00 लाख रू0 तक का ब्याज मुक्त ऋण कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत कृषक सदस्यों को समितियों के द्वारा वर्ष 2021–22 में 69372 कृषक सदस्यों को मु0 36191.95 लाख रू0 अल्पकालीन ऋण वितरण कर वित्त पोषित किया गया है।

मध्यकालीन ऋण वितरण योजना :– प्रदेश सरकार द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु एक महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का अक्टूबर–2017 में शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियां द्वारा अपने लघु एवं सीमान्त बी0पी0एल0 तथा सामान्य सदस्यों को व्यक्तिगत ऋण मु0 3.00 लाख रू0 तक का ब्याज मुक्त ऋण विभिन्न योजनाओं में रोजगार परक एवं कृषियेत्तर कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही स्वंय सहायता समूहों को रू0 5.00 लाख तक ब्याज रहित ऋण उक्त योजनान्तर्गत इस उद्देश्य से प्रदान कराया जा रहा है कि दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत लाभान्वित सदस्यों की आय में वृद्वि होगी जिससे उनका आर्थिक उत्थान होगा। समितियों के द्वारा वर्ष 2021–22 में 4867 व्यक्तिगत सदस्यों को मु0 3843.62 लाख रू0 तथा समितियों एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से 514 स्वंय सहायता समूहों को मु0 1529.20 लाख रू0 मध्यकालीन ऋण वितरण कर वित्त पोषित किया गया है।

उर्वरक वितरण योजना :–कुमाऊॅ मण्डल में स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्वि लाने के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों के वितरण का कार्य कर रही हैं। समिति कृषक सदस्यों को उनकी मांग के अनुसार उत्तराखण्ड सहकारी संघ के माध्यम से इफकों के उर्वरकों की आपूर्ति करती हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान कुमाऊॅ मण्डल की समितियों द्वारा कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उपज हेतु कुल 49698.000

मैट्रिक टन यूरिया, 6633.000 मैट्रिक टन डी0ए0पी0, 15471.000 मैट्रिक टन एन0पी0के0 तथा 128.000 मैट्रिक टन एम0ओ0पी0 एवं अन्य प्रकार की उर्वरक व रसायन का वितरण कर महत्वपूर्ण योगदान किया है।

उपभोक्ता व्यवसाय :–कुमाऊॅ मण्डल की सहकारी समितियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में खुली बाजार व्यवस्था और प्रतिस्पर्धा के कारण समितियों के इस व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2021–22 के दौरान कुमाऊॅ मण्डल की समितियों द्वारा मु0 3498.79 लाख रू0 का उपभोक्ता व्यवसाय किया गया।

सहकारी ऋण वसूली :–सहकारिता क्षेत्र में ऋण वसूली एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। सहकारी समितियॉ जिला सहकारी बैंको से ऋण प्राप्त कर अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करती हैं जिसकी समय से वसूली न होने पर ऋण वितरण पर भी विपरीत प्रभाव पडता हैं। इसलिए समितियॉ अपने सदस्यों को वितरित किये गये ऋणों की वसूली पर विशेष ध्यान देती हैं। इस कार्य में सहकारिता विभाग, जिला सहकारी बैंक व राजस्व, संग्रह विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर वसूली अभियान चलाकर समितियों की ऋण वसूली करते हैं। समिति सदस्य को सरलीकरण की सुविधा प्राप्त है कि वह अपना ऋण समिति व बैंक जहां उसे सुविधा हो जमा कर सकता है, परन्तु वरीयता के रूप में समिति में ऋण वसूली की धनराशि जमा करनी चाहिए क्योंकि त्रुटि की आशंका नहीं रहती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल की समिति/सदस्य के मध्ये मूलधन एवं ब्याज की कुल मांग मु0 91499.00 लाख रू0 के सापेक्ष मु0 53977.00 की वसूली की गई है जो कुल मांग के सापेक्ष मु0 59 प्रतिशत है इसी प्रकार बैंक/समिति के मध्य मूलधन एवं ब्याज की कुल मॉग मु0 80251.00 लाख रू0 के सापेक्ष मु0 51108.00 लाख रू0 ऋण वसूल कर समितियों द्वारा बैंक में जमा किया गया है जो कुल मांग का 63 प्रतिशत है।

वेतनभोगी सहकारी समितियां :– कुमाऊॅ मण्डल में 50 कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। वेतनभोगी सहकारी समितियां अपने कर्मचारी सदस्यों को मूलवेतन का 24 गुना अधिकतम 15.00 लाख रू0 तक का ऋण पांच वर्ष की अवधि का उनके नियोजकों की संस्तुति के आधार पर ऋण वितरण कर रही है। कर्मचारी सदस्यों को वितरित ऋण की वसूली उनके वेतन से मासिक कटौती द्वारा की जाती है।

स्वायत्त सहकारितायें – उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2003 में उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2003 लागू किया गया इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित की गयी स्वायत्त सहकारिताओं को कार्य करने की पूरी स्वायत्ता प्राप्त है। स्वायत्त सहकारितायें अपना प्रबन्धन स्वयं करती हैं इस अधिनियम के अन्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के समस्त जनपदों में 902 स्वायत्त सहकारितायें गठित हैं।

मूल्य समर्थन योजना :– कुमाऊॅ मण्डल में सहकारी संस्थाओं के द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत स्थानीय कृषकों से वित्तीय वर्ष 2021–22 में 76632.15 मैं0टन गेहूॅ एवं 138517.23 मै0टन धान क्रय किया गया।

बीज वितरण :– मण्डल की बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के द्वारा अपने कृषक सदस्यों को उन्नत किस्म के गेहूँ/धान बीज का वितरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 3982.40 कुन्तल उन्नत किस्म का गेहूँ बीज एवं 374.70 कुन्तल उन्नत किस्म का धान बीज स्थानीय कृषकों को वितरित किया गया।

जिला योजना :– जिला योजनान्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा प्राविधानित निम्न योजनाओं/मदों के माध्यम से बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को विकसित करने हेतु वित पोषित किया जा रहा है–

1–सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना – इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय जनपदों में कार्यरत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में कार्यरत कैडर सचिवों के वेतन आहरण के प्राविधान के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के ऋणी सदस्यों को राहत हेतु ब्याज पर 3 प्रतिशत तथा उनकी बॉरोइंग पावर में वृद्वि हेतु निर्धारित सीमा तक अंश क्रय हेतु जिला योजना में प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में मु0 195.84 लाख रू0 का प्राविधान किया गया जिसका शत–प्रतिशत उपयोग उक्त मदों में किया जा चुका है।

2–सहकारी उपभोक्ता योजना – इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार/जिला सहकारी संघों एवं लीड बैंकों को यातायात अनुदान, पैक्स/लैम्पस् को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु यातायात अनुदान व केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार को मूल्य उतार–चढाव अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में मु0 2.65 लाख रू0 का प्राविधान किया गया जिसका शत– प्रतिशत उपयोग कर लिया गया है।

3–**सहकारी क्रय–विक्रय एवं भण्डारण योजना –** जिला योजना में सहकारी समितियों के भवन, गोदाम निर्माण, मरम्मत, भंडारण क्षमता में वृद्वि हेतु सहकारी समितियों को लाभान्वित करने का भी प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में मु0 110.41 लाख रू0 का प्राविधान किया गया जिसका शत–प्रतिशत उपयोग उक्त मदों में किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपदों की कुल जिला योजना मु0 308.90 लाख रू0 का प्राविधान किया गया था जिसके विरूद्व शासन द्वारा मु0 308.90 लाख रू0 की धनराशि स्वीकृत की गई थी। समस्त स्वीकृत धनराशि का कुमाऊॅ मण्डल के जनपदों द्वारा आहरित कर समितियों की कार्ययोजना के अनुसार धनराशि उपलब्ध करा दी गई है।

राज्य समेकित विकास परियोजना

उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिताओं के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य समेकित विकास परियोजना लागू की गयी है। सहकारिता विभाग द्वारा निबन्धित सहकारी समितियॉ रेशम, भेड–बकरी पालन, मत्स्य पालन, एवं अन्य प्रकार की सहकारी समितियों के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊॅ मण्डल में रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के प्रयास किये जा रहे है जिससे स्थानीय लोगो का पलायन नहीं होगा। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों व कृषि उत्पादकता की संम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए समितियों के माध्यम से संचालित किये जाने वाले व्यवसायों के प्रोजेक्ट तैयार कराये जा रहे है जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार प्रदान कर स्वालम्बी बनाया जायेगा। इस योजनान्तर्गत मण्डल के अन्तर्गत संचालित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से ऑर्गेनिक एवं सामूहिक सहकारी खेती के प्रोजेक्ट भी तैयार कराये जा रहे है।

अध्याय – 9

पशुपालन

पशुपालन इतिहास का सर्वाधिक प्राचीन व्यवसाय है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो यह व्यवसाय कृषि के बाद दूसरा मुख्य व्यवसाय है। औसतन यहां लगभग हर घर में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते आदि पालतू जानवरों को पाला जाता रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों की भौगौलिक स्थिति के अनुसार उत्तराखण्ड में कृषि एवं पशुपालन आय के मुख्य स्त्रोत हैं। उत्तराखण्ड राज्य में पशुपालन का अति विशेष स्थान है। पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा, सेवा, चिकित्सा व कुशल प्रबन्धन एवं पशुओं से अधिक उत्पादन के लिये पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड पशुपालकों को सुविधायें एवं सेवा उपलब्ध कराता है।

पशुपालकों के पशुओं से बेहतर उत्पादन हेतु पशुपालन विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में नवीनतम व वैज्ञानिक जानकारी का समावेश किया जाता है। पशुपालन विभाग का उद्वेश्य पशुपालकों के पास उपलब्ध पशुधन के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करवाया जाना एवं विभिन्न स्वरोजगारपरक विभागीय योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं उनके कौशल में अभिवृद्वि करना है।

भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन करके विश्व में शीर्ष स्थान पर है, जो कि उपलब्ध पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे–मवेशियों की नस्ल, पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबन्धन इत्यादि में किये गये अनुसंधान एवं उसके प्रचार–प्रसार का परिणाम है, लेकिन आज भी कुछ अन्य देशों की तुलना में हमारे पशुओं का दुग्ध उत्पादन अत्यन्त कम है और इस दिशा में सुधार की बहुत सम्भावनायें हैं। छोटे, भूमिहीन तथा सीमान्त किसान जिनके पास फसल उगाने एवं बड़े पशु पालने के अवसर सीमित हैं, उनके लिये छोटे पशुओं जैसे–भेड़, बकरियां, सूकर एवं मुर्गीपालन रोजी–रोटी का साधन व गरीबी से निपटने का आधार है।

विश्व में बकरियों की संख्या में हमारा स्थान दूसरा, भेड़ों की संख्या में तीसरा एवं कुक्कुट की संख्या में सातवां है। कम खर्चे में, कम स्थान एवं कम मेहनत से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिये छोटे पशुओं का योगदान

अहम है। इससे सम्बन्धित उपलब्ध नवीनतम तकनीकियों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय तो निःसन्देह ये छोटे पशु गरीबों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। छोटे व सीमान्त किसानों के पास कुल कृषि भूमि की 30 प्रतिशत जोत है, इसमें 70 प्रतिशत कृषक पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं जिनके पास कुल पशुधन का 80 प्रतिशत भाग मौजूद है। स्पष्ट हैं कि देश का अधिकांश पशुधन आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के पास है।

विभिन्न पशुओं, जैसे बैल, भैंसे एवं ऊंट आदि का हल चलाने, पाटा चलाने, सिंचाई करने, बोझा ढोने, गन्ना पेरने, भूसे से दाना अलग करने, विक्रय योग्य उत्पादन को मण्डी ले जाने में योगदान है। दूध, मांस, घी, अण्डा, ऊन, हड्डियों एवं चमड़े पर आधारित उद्योग सीधे रूप से पशुओं पर निर्भर करते हैं। पशुओं से प्राप्त होने वाले चमड़े से उत्तम गुणों वाले सुन्दर जूते, भेड़ों के ऊन से ऊनी वस्त्र, कम्बल, शाल तथा कालीन आदि बनाकर निर्यात किया जाता है जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक लाभदायक एवं उत्तम स्त्रोत है विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिकों को वर्ष भर रोजगार प्रदान करता है। पशुजन्य उत्पादन जैसे–गाय, भैस, बकरी का दूध, घी, मक्खन, पनीर एवं खोया तथा मुर्गी, भेड़ एंव बकरी के मांस का हमारे भोजन के रूप में प्रयोग होता है। विभागीय कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने एवं पशुपालकों को सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने हेतु कुमाऊॅ मण्डल में पशुपालन विभाग का सशक्त एवं सुसंगठित सेवातंत्र उपलब्ध है।

पशुपालन विभाग, कुमाऊॅ मण्डल के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 की मदवार विभागीय प्रगति का विवरण निम्नवत हैः–

<u>पशु चिकित्सा सेवा एवं स्वास्थ्य</u> :– कुमाऊॅ मण्डल में कुल 143 पशु चिकित्सालय, 6 सचल पशु चिकित्सालय, 390 पशु सेवा केन्द, 369 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र एवं 04 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित हैं। जिसके माध्यम से वर्ष 2021–22 में 2297665 पशुओं को चिकित्सा एवं 667487 पशुओं को संक्रमण रोगों से बचाव हेतु टीके लगाये गये। मण्डल में स्थित पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के माध्यम से पशुपालकों को पशु चिकित्सा सेवा के अतिरिक्त निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं :–

<u>बधियाकरण</u> :– बधियाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि कार्य हेतु नर बछड़ों का बधियाकरण कर बैलों का उत्पादन करना एवं न्यून उत्पादन वाले नर बछड़ों को बधिया कर अवांछनीय प्रजनन कार्यो से रोकना है। नर मैमनों का बधियाकरण उच्च श्रेणी का मांस उत्पादन करने की दृष्टि से किया जाता है। वर्ष 2021–22 में लक्ष्य 70000 के सापेक्ष 81304 पूर्ति अर्जित की गई।

<u>टीकाकरण</u> :– पशु टीकाकरण अन्तर्गत पशुओं में समय–समय पर होने वाली प्रमुख सम्भावित बीमारियां जैसे–एच0एस0, बी0क्यू0, एफ0एम0डी0, पी0पी0आर0, आर0डी0, एफ0पी0, ब्रूसैला आदि बीमारियों से बचाव हेतु निरन्तर पशु टीकाकरण का कार्य किया जाता है। विगत 7 वर्ष से केन्द्र सहायतित योजना एस्केड (ASCAD) के अन्तर्गत प्रतिवर्ष वृहद् पशु टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में 667487 पूर्ति अर्जित की गई है।

<u>F.M.D.C.P टीकाकरण</u> – कुमाऊॅ मण्डल में एफ0एम0डी0सी0पी0 योजनान्तर्गत सातवें चरण हेतु कुल लक्ष्य 1205872 के सापेक्ष प्रगति 916400 रही जो लक्ष्य के सापेक्ष 76.00 प्रतिशत है। एफ0एम0डी0सी0पी0 राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपेक्षित टीकाकरण कार्य में अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्तापूर्ण व लक्ष्योन्मुखी कार्य का संचालन किया गया।

<u>बांझपन शिविरों का आयोजन</u> :– बांझपन चिकित्सा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में विभागीय संस्थाओं के माध्यम से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के बांझ पशुओं की जांच कर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल में कुल लक्ष्य 700 के सापेक्ष 1646 बांझपन निवारण शिविर आयोजित कर 101784 बांझ पशुओं की चिकित्सा की गई।

<u>पशु प्रदर्शनी का आयोजन</u> :– मण्डल के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में विभिन्न जनपदों में 17 पशु प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु धनराशि अवमुक्त हुई एवं 17 पशु प्रदर्शनी का आयोजन कर शतप्रतिशत पूर्ति प्राप्त की गई, जिनके माध्यम से पशुओं की चिकित्सा तथा पशुपालकों को औषधि वितरण कर लाभान्वित किया गया।

<u>पशुचिकित्सा शिविर / गोष्ठियां / सेमिनार का आयोजन</u> :– पशुपालकों में जागरूकता उत्पन्न करने, पशुपालन को बेहतर करने तथा पशुपालन के विभिन्न आयामों को अपनाये जाने के उद्वेश्य से समय–समय पर जनपदों में विभाग के माध्यम से आवश्यकतानुसार पशु चिकित्सा शिविर, गोष्ठियां एवं सेमिनार का आयोजन किया जाता है।

<u>प्रचार प्रसार कार्य</u> – मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में 17 पशु प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त मण्डल स्तर पर प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के साथ ही पशुपालकों हेतु व्यवहारिक जानकारी का साहित्य प्रकाशित एवं वितरित किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में आंवटित लक्ष्यों की भी पूर्ति की गई।

सचल पशु चिकित्सा – मण्डल में स्थित 06 सचल पशु चिकित्सालयों के माध्यम से सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं जिसमें विभिन्न मदों में वर्ष 2021–22 में कुल 55448 पशुओं को लाभान्वित किया गया।

शल्य चिकित्सालय – शल्य चिकित्सालयों के माध्यम से पिथौरागढ़, चम्पावत (टनकपुर), तथा उधमसिंहनगर की इकाईयों द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से पशु रोग नियंत्रण व शल्य चिकित्सा कार्यो द्वारा पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।

दुग्ध समितियों के मार्गो पर चिकित्सा सुविधा – कुमाऊॅ मण्डल में गठित 1256 दुग्ध समितियों पर वर्ष 2021–22 में 158677 पशुओं को पशु चिकित्सा आदि की सुविधा प्रदान की गई।

पशुधन विकास/नस्ल सुधार एवं कृत्रिम गर्भाधान :–वर्ष 2020–21 में कुमाऊॅ मण्डल में स्थित 362 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/उपकेन्द्रों के माध्यम से पशु प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराई गयी। वर्ष 2021–22 में 171680 गाय/भैसों को प्रजनन सुविधा दी गई तथा सामान्य तथा लिंग वर्गीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया गया।

वर्ष 2020–21 में कुमाऊॅ मण्डल में कृत्रिम गर्भाधान (गाय+भैंस) में लक्ष्य 180700 के सापेक्ष पूर्ति 171680 रही, जो लक्ष्य का 95.01 प्रतिशत है। कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति गाय+भैंस में लक्ष्य 72280 के सापेक्ष पूर्ति 79361 रही है, जो लक्ष्य का 109.80 प्रतिशत है।

प्राकृतिक गर्भाधान/उत्पन्न संतति :– कुमाऊॅ मण्डल के अन्तर्गत प्राकृतिक गर्भाधान (गाय+भैंस) में वर्ष 2021–22 में लक्ष्य 11200 के सापेक्ष पूर्ति 11571 रही तथा प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न संतति में लक्ष्य 5850 के सापेक्ष पूर्ति 6354 रही, जो लक्ष्य का 108.62 प्रतिशत है।

लिंग वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम :– मण्डल के समस्त जनपदों में माह सितम्बर 2019 से पशुपालकों के दुधारू पशुओं से बछिया उत्पादन एवं कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न नर बछड़ों से होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किये जाने हेतु लिंग वर्गीकृत वीर्य (**SSS**) से कृत्रिम गर्भाधान अन्तर्गत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। लिंग वर्गीकृत वीर्य (Sex Sorted Semen) का उपयोग कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके उपयोग से पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में भी वृद्वि होगी। चालू वित्तीय वर्ष में तथा आगामी वर्षो में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बढ़ोत्तरी किया जाना प्रस्तावित है जिसके फलस्वरूप दूरगामी परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। उन्नत नस्ल के पशुधन होने के साथ उत्पादन मे बढ़ोत्तरी होगी एवं पशुधन व्यवसाय स्वरोजगार की

दृष्टि से लाभकारी व्यवसाय सिद्व होगा जिसके फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र को होने वाले पलायन पर विराम लगने की संभावना है।

स्थानीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार कर पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है। मण्डल के पॉच जनपदों में पशुओं की नस्ल सुधार हेतु दिनांक 15.09.2019 से दिनांक 31.05..2020 तक राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का प्रथम चरण संचालित किया गया है, जिसमें पशुपालकों के पशुओं में निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया गया। पशुपालकों के दुधारू पशुओं से बछिया उत्पादन हेतु लिंग वर्गीकृत वीर्य (Sex Sorted Semen) का उपयोग समस्त जनपदों के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी प्रगति निम्नानुसार हैः–

राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम फेज–1
लिंग वर्गीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान

मण्डल का नाम	कुल कृत्रिम गर्भाधान			अनुश्रवण			कुल गर्भित पशु			उत्पन्न संतति						
										गाय			भैंस			कुल योग
	गाय	भैंस	कुल	गाय	भैंस	कुल	गाय	भैंस	कुल	मादा	नर	कुल	मादा	नर	कुल	
कुमाऊ मण्डल	**7688**	**1471**	**9159**	**7511**	**1275**	**8786**	**3320**	**478**	**3798**	**2374**	**153**	**2527**	**349**	**24**	**373**	**2900**

सामान्य वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान

मण्डल का नाम	AS PER STATE RECORD			गर्भ जॉच संख्या	गर्भित पशु	अगर्भित पशु	उत्पन्न संतति		
	कृत्रिम गर्भाधान किये गये पशुओं की संख्या	कुल कृत्रिम गर्भाधान	इनाफ इन्ट्रीज की संख्या				नर	मादा	कुल
कुमाऊॅ मण्डल	**59058**	**63522**	**49354**	**62244**	**31084**	**31160**	**13516**	**12497**	**26013**

राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम फेज–२

लिंग वर्गीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान (दिनांक 01-08-20 से 13-06-22 तक)

मण्डल का नाम	कुल कृत्रिम गर्भाधान			अनुश्रवण किये गये पशु			03 माह बाद गर्भित पाये गये पशु			उत्पन्न संतति				
										गाय		भैस		कुल योग
	गाय	भैस	योग	गाय	भैस	योग	गाय	भैस	योग	नर	मादा	नर	मादा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कुमाऊॅ मण्डल	**72593**	**25577**	**98170**	**67634**	**23147**	**90781**	**27269**	**9675**	**36944**	**620**	**21154**	**271**	**7615**	**29660**

सामान्य वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान (दिनांक 01-08-20 से 13 -06-22 तक)

मण्डल का नाम	कृत्रिम गर्भाधान			अनुश्रवण किये गये पशु			03 माह बाद गर्भित पाये गये पशु			उत्पन्न संतति				
	गाय	भैस	योग	गाय	भैस	योग	गाय	भैस	योग	गाय	भैस	कुल योग		
										नर	मादा	नर	मादा	योग
कुमाऊॅ मण्डल	**165716**	**70741**	**236457**	**152937**	**62268**	**215205**	**77979**	**32042**	**110021**	**32444**	**30625**	**14043**	**12945**	**90057**
कुल योग :– **(NORMAL+SSS)**			**334627**	कुल अनुश्रवण किये गये पशुओं की सं0			**305986**	कुल गर्भित पशुओं की सं0		**146965**	कुल उत्पन्न संतति			**119717**

राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधन कार्यक्रम फेज–३

लिंग वर्गीकृत वीर्य से (दिनांक 01-08-2021 से 31-03-2022 तक की)

मण्डल का नाम	चयनित ग्राम	कृत्रिम गर्भाधान			अनुश्रवण किये गये पशु			03 माह बाद गर्भित पाये गये पशु			उत्पन्न संतति
		गाय	भैस	योग	गाय	भैस	योग	गाय	भैस	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
कुमाऊॅ मण्डल	**3000**	**37228**	**14695**	**51923**	**16604**	**6565**	**23169**	**7707**	**3144**	**10851**	**0**

(लिंग अवर्गीकृत वीर्य से)

मण्डल का नाम	चयनित ग्राम	कृत्रिम गर्भाधान			अनुश्रवण किये गये पशु			03 माह बाद गर्भित पाये गये पशु			उत्पन्न संतति
		गाय	भैस	योग	गाय	भैस	योग	गाय	भैस	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
कुमाऊॅ मण्डल	**3000**	**93106**	**41922**	**135028**	**37193**	**16919**	**44112**	**20922**	**9112**	**30034**	**0**
कुल कृत्रिम गर्भाधानः–**(NORMAL+SSS)**:–			**186951**		अनुश्रवण किये गये कुल पशु			**77281**	कुल गर्भित पशु		**40885**

कुक्कुट विकास कार्यक्रम:– कुमाऊॅ मण्डल में 1500–1500 कुक्कुट पक्षियों की क्षमता वाले तीन राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र क्रमशः जनपद–अल्मोड़ा, पिथौरागढ तथाा ऊधमसिहनगऱ में स्थापित हैं। कुमाऊॅ मण्डल में 4 जनपद–नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोड़ा, ऊधमसिहनगर में सधन कुक्कुट विकास परियोजना चलाई जा रही है। कुक्कुट प्रक्षेत्रों से वर्ष 2021–22 में 371674 क्रायलर प्रजाति के कुक्कुट चूजों का वितरण किया

गया।

<u>**कुक्कुट वितरण**</u> **:–** कुमाऊँ मण्डल में स्थित विभागीय पौल्ट्री फार्मों में चूजा उत्पादन कर विभागीय संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपालकों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। कुमाऊँ मण्डल में वर्ष 2021–22 में कुक्कुट वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य 2157000 के सापेक्ष पूर्ति 2239395 रही जो लक्ष्य का 103.82 प्रतिशत है।

<u>**कुक्कुट प्रक्षेत्रों की प्रगति**</u> – मण्डल के अन्तर्गत स्थापित विण, रूद्रपुर, हवालबाग कुक्कुट प्रक्षेत्रों में वर्तमान में क्रमशः 3101, 1510, 714 कुक्कुट पक्षी (पेरेन्ट स्टॉक) उत्पादन पर है। प्रक्षेत्रों को विभिन्न जनपदों से बैकयार्ड कुक्कुट पालन, आजीविका बी0ए0डी0पी0 योजनाओं से पर्याप्त मात्रा में मांग उपलब्ध है। मांग के अनुरूप पूर्ति हेतु उत्पादन कार्य प्रगति पर है।

<u>**कुक्कुट इकाई की स्थापना:– बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना**</u> **:–** कुमाऊँ मण्डल में वर्ष 2021–22 में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु स्वरोजगारपरक योजनान्तर्गत बैकयार्ड कुक्कुट (क्रायलर) पालन हेतु प्राप्त धनराशि रू0 235.64 लाख से अब तक 5200 इकाईयां स्थापित कर 5200 परिवारों को लाभान्वित किया गया। जिसमें 4190 अनुसूचित जाति तथा 670 अनुसूचित जनजाति एवं 340 सामान्य जाति के परिवार लाभान्वित हुये। उक्त योजना में SC/ST के लाभार्थियों को निःशुल्क चूजा वितरण किया जाता है।

<u>**चारा विकास कार्यक्रम :–**</u> कुमाऊँ मण्डल में जनपद–अल्मोड़ा में एक चारा अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं। प्रक्षेत्र पर विभिन्न बहुवर्षीय उन्नतशील चारा घासों जैसे दोलनी, गुच्छी, ब्रोम, राई घासों के बीज/रूट स्टाक के साथ ही नैपियर घासों के रूट स्टाक का उत्पादन किया जाता है। प्रक्षेत्र पर चाराबीज, हरा चारा, सूखा चारा उत्पादन एवं जड़– क्लोन्स/रूट, स्टाक रूम द्वारा वितरण/विक्रय विभिन्न राजकीय विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

चाराविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में स्थित विभागीय संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को मौसमी चारा घासों के बीज समय–समय पर निःशुल्क वितरित किये जाते हैं। बहुवर्षीय चारा उत्पादन/नैपियर घास रोपण, राष्ट्रीय पशुधन मिशन एवं ग्रासलैण्ड डवलपमेंन्ट योजनान्तर्गत की जाती है।

चारा बीज वितरण :– इस कार्यक्रम के अर्न्तगत पशुपालकों को पशु चिकित्सालय के माध्यम से उन्नतशील चारा बीज मिनी किट्स पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध कराकर चारा प्रदर्शन कराया जाता है। विभिन्न मौसमी चारा घासों, मुख्यतः जई, मक्का, लोबिया, बरसीम, एम0पी0चरी आदि चाराबीजों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल में कुल 432.52 कु0 विभिन्न मौसमी चाराबीजों का वितरण किया गया तथा कुल 3839 चारा मिनिकिट वितरित किये गये।

चारा बैंक :– मण्डल में कुल 51 उपचारा बैंक स्थापित हैं, जिनके माध्यम से वर्ष 2021–22 में 23086 कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक व 2825 चाटन भेली का विक्रय किया गया है। क्षेत्र में चारे की कमी को दूर करने हेतु चारा बैंक अग्रणी भूमिका निभा रहे है।

भेड़ एवं ऊन विकास:– कुमाऊॅ मण्डल के जनपद–पिथौरागढ एवं बागेश्वर में स्थित भेड़ फार्मो में उन्नत नस्ल की भेड़ों का संवर्धन कर प्रजनन कराया जाता है एवं उत्पन्न संतति (नर मेढ़ों) को ग्रामीण क्षेत्रों के भेड़ पालकों को मेढ़ा केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय नस्ल सुधार हेतु वितरित किया जाता है। विभागीय प्रक्षेत्रों के माध्यम से स्थानीय भेड़ पालकों के भेड़ों की नस्ल में ऊन एंव मांस के सुधार हेतु विभागीय कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। स्वरोजगार की दृष्टि से जनपदों के माध्यम से भेड़ एवं बकरीपालन व्यवसाय को बढ़ावा दिये जाने हेतु निर्धन महिला पशुपालकों को बकरासाड़ वितरण, महिला

बकरीपालन, अहिल्याबाई होलकर बकरीपालन योजनाओं में आच्छादित कर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में मण्डल में कुल 4 भेड़ फार्म हैं, जिसमें दो भेड़ फार्म जनपद–बागेश्वर तथा दो भेड़ फार्म जनपद–पिथौरागढ़ में संचालित किये जा रहे हैं।

भेड़ों में सामूहिक दवापान – वर्ष 2021–22 में लक्ष्य 230000 के सापेक्ष पूर्ति 302364 रही जो लक्ष्य का 131.46 प्रतिशत है।

भेड़ों में सामूहिक रूप से दवास्नान – वर्ष 2021–22 में लक्ष्य 230000 के सापेक्ष पूर्ति 289435 रही जो लक्ष्य का 125.84 प्रतिशत है।

बकरी पालन/भेड़ पालन/गौ पालन योजना – वर्ष 2021–22 में राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु क्रमशः बकरी पालन इकाईयों हेतु रू0 152.46 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके अन्तर्गत 242 बकरी पालन यूनिटों, भेड़ पालन इकाईयों हेतु रू0 9.45 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष 15 यूनिटें एवं गौपालन हेतु रू0 88.92 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष 247 यूनिटें स्थापित कर वर्तमान तक कुल 219 अनुसूचित जाति एवं 28 अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया गया।

महिला बकरीपालन योजना:– महिला बकरीपालन योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में रू0 46.55 लाख की धनराशि के सापेक्ष 133 बकरीपालन यूनिटें वितरित कर परिवारों को लाभान्वित किया गया।

मण्डल में स्थित अन्य विकास कार्यक्रमों की प्रगति :-

प्रयोगशालाओं की प्रगति– रूद्रपुर में स्थापित विभागीय रोग निदान प्रयोगशाला व अल्मोड़ा में स्थापित विभागीय मण्डलीय प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न पशुरोगों के रोग निदान हेतु विशेष योगदान किया गया है। प्रयोगशालाओं के माध्यम से पशु पक्षियों के विभिन्न रोगों यथा ग्लेण्डर्स, एफ0एम0डी0सी0पी, बर्डफ्लू आदि बीमारियों के नमूने हिसार, मुक्तेश्वर व बंगलूरू को भेजे गये हैं। इस प्रकार प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये कार्यों से मण्डल में रोग नियंत्रण में है व कोई महामारी का प्रकोप दृष्टिगत नहीं हुआ है।

वर्ष 2021–22 में प्रयोगशालाओं की प्रगति निम्नानुसार हैः–

प्रयोगशाला का नाम	कुल परीक्षण नमूनों की संख्या	थनैला हेतु पशु का परीक्षण	त्वचा खुरचन परीक्षण	मल परीक्षण	मूत्र परीक्षण	रक्त परीक्षण	शोध प्रयोगशाला को भेजे गये नमूने
मण्डलीय प्रयोगशाला, हवालबाग	6194	119	112	599	214	331	3895
रोग अनु0 प्रयोगशाला, रूद्रपुर	12570	144	1512	5202	204	1392	2177

नरियालगांव प्रक्षेत्र– उत्तराखण्ड में पायी जाने वाली स्थानीय नस्ल की बद्री गाय के संवर्धन व संरक्षण हेतु कार्य किया जा रहा है। यह योजना पर्वतीय क्षेत्र में बद्री गाय के संरक्षण व संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगी जिससे स्थानीय युवकों को स्वरोजगार के अवसर व आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होगा। प्रक्षेत्र में वर्ष 2021–22 के अन्त में कुल गाय–163, औसर–56, सांड–3, नर बछड़े–71, मादा बछड़े–100 कुल पशुधन– 393 है। वर्ष 2021–22 में प्रक्षेत्र पर विभिन्न मदों में निम्न राजस्व की प्राप्ति हुईः–

राजस्व प्राप्ति/जमा विवरण

क्र0 सं0	राजस्व प्राप्ति मद	राजस्व प्राप्ति विवरण	राजस्व जमा विवरण
1	दुग्ध विक्रय से	1677318	1677318
2	गोबर विक्रय से	14884.00	14884.00
3	वर्मी कम्पोस्ट विक्रय से	2406.00	2406.00
4	गौमूत्र विक्रय से	5600.00	5600.00
5	अन्य स्त्रोत से	–	–
कुल योग		1700208.00	1700208.00

अंगोरा प्रजनन प्रक्षेत्र– चम्पावत:– मण्डल में एक अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र, जनपद–चम्पावत में स्थापित हैं। जिनके माध्यम से शशकों के नस्ल सुधार व रोजगार हेतु इकाईयों की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। अंगोरा प्रजनन प्रक्षेत्र चम्पावत में कुल नर–44, मादा–54, नर बच्चे–2, कुल–100 है।

पशुधन बीमा योजना:–

पशुधन बीमा योजना माह मार्च 2015 से ही प्रारम्भ की गई है, योजना के अन्तर्गत पशुओं की आकस्मिक मृत्यु/क्षति होने पर बीमित राशि का पूर्ण भुगतान पशुपालक को किया जाता है। उक्त योजना में एक पशुपालक के 5 बड़े पशु व 50 छोटे पशुओं का रियायती दरों पर बीमा किया जाता है। बीमा की सभी औपचारिकतायें व प्रीमियम राशि पशुपालकों से प्राप्त कर पशु चिकित्साधिकारी (नोडल अधिकारी) द्वारा जमा की जाती है। पशुधन बीमा की वर्ष 2021–22 की प्रगति निम्नानुसार है:–

पशुधन बीमा की प्रगति

क्र0 सं0	जनपद का नाम	माह मार्च, 2022 (वर्ष 2021–22)				
		लक्ष्य	पूर्ति	छोटे पशु	बडे पशु	लम्बित प्रकरण
1	नैनीताल	9600	1534	1930	5886	0
2	ऊधमसिंह नगर	14100	1596	999	6058	0
3	अल्मोडा	3990	442	2114	2740	94
4	बागेश्वर	3990	710	1357	2392	0
5	पिथौरागढ	6550	2348	3652	2616	0
6	चम्पावत	3350	1159	1223	1652	0
योग–		**41580**	**7789**	**11375**	**21344**	**94**

पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम धनराशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र0 स0	पशुपालक का विवरण	क्षेत्रीय दर विवरण (प्रीमियम अंशदान प्रतिशत में)	
		पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र
1	बी0पी0एल0/अनु0जाति/जनजाति/ महिला पशुपालक	20%	40%
2	ए0पी0एल0/सामान्य	40%	50%

पशुओं का बीमा 1 वर्ष व 3 वर्ष के लिये किया जाता है, बीमा प्रीमियम दर निम्नानुसार है–

01 वर्ष के लिये 2.93% एंव 03 वर्ष के लिये 7.42% है।(पी0टी0डी सम्मिलित नही)

01 वर्ष के लिये 3.30% एवं 03 वर्ष के लिये 7.50% (पी0टी0डी0 सम्मिलित)

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना** :– महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत विगत वर्ष 2021–22 में मण्डल के समस्त जनपदों में निम्नानुसार कार्य संचालित किये गये हैं:–

धनराशि लाख रू0

मण्डल का नाम	क्रेन्द्राभिसरण की जा रही योजना/ कार्यक्रम का नाम	अनुमोदित कार्ययोजना			वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			
		महात्मा गांधी नरेगा का अंश	विभागीय अंश	कुल धनराशि	महात्मा गांधी नरेगा अंश	विभागीय अंश	कुल धन राशि	कुल अनुमोदित कार्य	प्रारम्भ किये गये कुल कार्य	पूर्ण कार्य	कुल लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुमाऊॅ मण्डल	**गौपालन/ बकरी पालन/चारा विकास/ सिल्पीकल्चर एवं ग्रासलैण्ड विकास योजना**	**76.855**	**7.22**	**84.075**	**25.642**	**16.795**	**42.437**	**191**	**134**	**60**	**108**

आर्थिक समस्यायें एवं सुझाव:-

उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊॅ मण्डल में स्थित छः जनपदों में जनपद–ऊधमसिहनगर को छोड़कर शेष पॉच जनपद पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले पशुपालकों की आजीविका का स्त्रोत कृषि/बागवानी एवं पशुपालन मुख्यतः है। वर्तमान में मण्डल के पशुपालकों द्वारा दुग्ध उत्पादन हेतु पाले जाने वाले दुधारू पशुओं में अधिकांशतः स्थानीय देशी नस्ल के पशुओं को पाला जा रहा है। यद्वपि विभाग द्वारा स्थानीय नस्ल के सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रम चलाकर भरसक प्रयास किये जा रहे हैं तथा जिसके परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। स्वरोजगार की दृष्टि से पशुपालन व्यवसाय को अपनाकर दुग्ध उत्पादन कर पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किये जाने की व्यापक सम्भावनायें हैं। दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त मुर्गीपालन व्यवसाय, भेड़ एवं बकरीपालन व्यवसाय तथा अंगोरा पालन से स्वरोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। पशुपालन व्यवसाय को अपनाये जाने हेतु ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

पशुपालन के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन हो रही वैज्ञानिक खोज को पशुपालक के द्वार तक पहुंचाया जा रहा है, जैसे लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग कर नर बछड़ों से होने वाली परेशानी को दूर किया जा रहा है। अच्छे एवं गुणवत्तापूर्ण पशुओं के पालन पोषण एवं रख–रखाव हेतु चारे की कमी को दूर करने हेतु आवश्यक संशाधनों की आवश्यकता है। पशुधन विकास के लिये देशी नस्लों से उत्तम जातियां प्राप्त करने हेतु उन्नतशील कृत्रिम विधियों का उपयोग कर पशुओं की उन्नत किस्मों की नस्लें पैदा की जा सकती हैं जिससे जनपद की पशु शक्ति में वृद्धि हो सके तथा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की समस्याओं का निदान भी हो सके, साथ ही ग्रामीण जनता को चारे की उन्नत किस्मों एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देकर लाभान्वित किया जा सकता है।

अध्याय –10

वन

जनपद में वनों की स्थिति की रिपोर्ट वर्ग किमी में

जनपद	भौगोलिक क्षेत्रफल	2017–18				भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत
		अति सघन वन	मध्यम सघन वन	खुले वन	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
नैनीताल	4251	765	1742	541	3048	71.70
ऊधमसिंह नगर	2542	150	193	93	436	17.15
चम्पावत	1766	367	593	264	1224	69.31
अल्मोड़ा	3144	199	837	682	1718	54.64
बागेश्वर	2241	162	762	337	1261	56.27
पिथौरागढ़	7090	505	965	608	2078	29.31

श्रोत– वन सांख्यिकीय पुस्तिका 2017–18

वन उत्पादन :– पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किस्म के वृक्ष पाये जाते हैं, जिसमें चीड़, बाज, देवदार, तुन, बुरूश, काफल, अयारपांगर आदि प्रमुख हैं। भाबर क्षेत्र में साल, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस, पापुलर, सेमल, गुटेर एवं बाकुली की प्रजातियों के वृक्ष प्रमुख हैं। चीड़ के वृक्ष से लीसा निकाल कर इसका निर्यात व्यापक रूप से होता है। लीसा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है जिससे तारपीन का तेल व विरोजा तैयार किया जाता है इसके अतिरिक्त चीड़ की लकड़ी गृह निर्माण, फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। बांज की पत्तियां पशुचारा के रूप में प्रयुक्त होती है तथा लकड़ी से कोयला बनाया जाता है। बांज का वृक्ष जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खैर की लकड़ी कत्था उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साल, शीशम एवं सागौन, चीड़, देवदार इमारती लकड़ी के रूप में प्रयुक्त होते है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले वृक्षो का अधिकांश भाग मण्डल से बाहर भेजा जाता है जिसके कारण वन आधारित उद्यम इस क्षेत्र में विकसित नहीं हुए हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का विकास आर्थिक उन्नति हेतु आवश्यक है। वनों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की जड़ी–बूटियॉ भी पाई जाती हैं। जिसमें तेज पत्ता, कपूर कवली, समीघा, पाषण भेद, वन हल्दी, गुणवन्ता, कुटकी, बण्डा, सालमसंजा, सालम मिश्री एवं गंधारामण आदि प्रमुख है। ये अधिकांश मात्रा में मण्डल से बाहर निर्यात की जाती है। उत्तराखण्ड राज्य में जड़ी

बूटी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन विभाग जड़ी बूटी के रोपण का कार्य बृहत रूप से कर रहा है।

घने जंगलों में पशु पाये जाते है जिसमें बाघ, भालू, घुरड़, काकड़, हिरन प्रमुख हैं। पहले इन जंगलों में शेर तथा हाथी भी काफी संख्या में पाये जाते थे किन्तु धीरे–धीरे जंगलों के कटने व इनके निकट बस्तियॉ हो जाने तथा जंगलों के बीच लोगों का आवागमन हो जाने से अब जंगली पशुओं की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। वन विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा के लिये कई प्रबन्ध किये गये हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। जिसमें कार्बेट नेशनल पार्क ढिकाला (रामनगर) एक प्रमुख सुरक्षित क्षेत्र है जो देश–विदेश के पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र है। जनपद अल्मोड़ा में बिनसर अभ्यारण्य तथा पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। नैनीताल तथा अल्मोड़ा में चिड़ियाघर भी स्थापित हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

वन राजस्व – वन क्षेत्र में सूखे, गिरे पेडों के प्रकाष्ठ, लीसा विदोहन, जडी बूटी से प्राप्त राजस्व, अवैध वाहनों के प्रवेश, अवैध कटान एवं चुगान आदि पर जुर्माना वन विभाग की आय का प्रमुख श्रोत है।

हक हकूक – पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों को वन प्रभाग द्वारा ग्रामीणों की आवश्यक्तानुसार उनका हक हकूक दिया जाता है।

प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निस्तारण में लागू नये नियम/अधिनियम – भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओ/उपधाराओं के प्राविधानों के अनुसार वनों का रखरखाव किया जाता है। बढती जनसंख्या एवं बढते हुए जैविक दबाव के फलस्वरूप घटते हुए वन तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु वनों पर निर्भरता पर्यावरण संरक्षण में प्रतिकूल परिस्थितियां है। इस क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं संशोधित अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों हेतु भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तराखण्ड वन नियमावली 2001 – उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग 3155/1–व0ग्रा0वि 2001–बी(15) 2001 देहरादून दिनांक जुलाई, 3. 2001, द्वारा लागू है। जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के अधीन पंचायत वन नियमावली 1976 का अतिक्रमण कर नई नियमावली लागू की गई है। पंचायती वनों का रखरखाव व नियंत्रण की जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों व सरपंचों को दी गई है, जो जिला वन पंचायत विकास अधिकारी के सहयोग से पंचायती वनों का विकास एवं संवर्द्धन करेंगे।

भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2001 – उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 240 विभागीय एवं संसदीय कार्य 2002 देहरादून 1 अगस्त 2002 के विविध अधिसूचना अन्तर्गत भारत संविधान के अनुच्छेद 2000 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2001 को दिनांक 17.07.2002 को अनुमति प्रदान की।

इसके अन्तर्गत अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2002 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं 26, 33, 42, 52, 53, 55, 58, 60, 65, 68, 70, 77, 79, 82 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी को अवैध कार्यों में लिप्त वाहनों के अधिग्रहण सम्बन्धी एवं अतिक्रमित भूमि में बेदखली सम्बन्धी कार्य हेतु मजिस्ट्रेटी अधिकार प्रदत किए गए हैं।

अध्याय –11

जल सम्पूर्ति

राजकीय सिंचाई

सिंचाई खण्ड हल्द्वानी

राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड कार्यरत हैं। इन खण्डों द्वारा राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत निर्मित नहरों का अनुरक्षण, नई योजनाओं का निर्माण कार्य, बाढ़ कार्यों का रख–रखाव सर्वेक्षण एवं निर्माण आदि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ सिंचाई की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों को भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

राजकीय सिंचाई :– वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के इस संगठन के कार्यक्षेत्र जनपद नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः 284 एवं 247 संख्या नहरें/टैंक योजनायें निर्मित हैं, जिनकी कुल लम्बाई क्रमशः 2546.75 एवं 1227.994 कि.मी. तथा सी.सी.ए. क्रमशः 37942 एवं 107876 हैक्टेयर है।

जिला सैक्टर :– जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः रु. 110.00 लाख, रु. 372.50 लाख की धनराशि अनुमोदित थी, जिसके सापेक्ष क्रमशः रु. 109.86 लाख, रु. 372.50 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, के सापेक्ष रु. 109.86 लाख, रु. 372.50 लाख व्यय किया गया, जिसके अन्तर्गत क्रमशः 72 एवं 175 योजनाओं में 16.144 कि.मी., नहरों का निर्माण/जीर्णोद्धार/16 संख्या पुलिया, 01 संख्या स्पर का निर्माण कर 03 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की गई। इसके अतिरिक्त बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को भी पूर्ण किया गया।

- **राज्य सैक्टर (अनापेक्षित/नदी में कटाव सुधार कार्य)** जनपद नैनीताल में 05 योजनाओं पर रू0 14.25 लाख रू0 व्यय कर क्यूनेट खुदान/सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया एवं उधमसिंहनगर के अन्तर्गत रु.145.68 लाख व्यय कर 9.338 किमी0 नदियों को चैनेलाईजेशन करने व मिट्टी सिल्ट हटाने का कार्य किया गया, जिससे काश्तकारों की कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा प्रदान की गई।

- **राज्य सैक्टर (मानसून अवधि/दैवीय आपदा)** जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत 27 योजनाओं में रु. 330.19 लाख व्यय कर वर्ष 2017–18, 2018–19 की योजनायें पूर्ण की गई। नदियों के बाढ़ सुरक्षा हेतु नदियों के किनारें सुरक्षा दीवार, चैनेलाईजेशन कर सिल्ट, मिट्टी हटाये जाने का कार्य किया गया।

- **राज्य सैक्टर (बॉध/बैराज)** बॉध/बैराज मद के अन्तर्गत गौला बैराज में रू0 141.31 लाख व्यय कर योजना पूर्ण की गई एवं जनपद उधमसिंहनगर के ढेला बैराज/फीका बैराज/हरिपुरा जलाशय का पुनरोद्धार के अन्तर्गत रु. 410.88 लाख व्यय कर 281

संख्या सी0सी0 ब्लाक 475 मी0 भाखडा फीडर की लाईनिंग 543 मी0 लम्बाई में पुर्ननिर्माण कार्य किया गया।

- **राज्य सैक्टर (टी.एस.पी)** के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल जनपद उधमसिंहनगर के नालों का निर्माण कर रु. 74.41 लाख व्यय करते हुए 0.800 किमी0 सुरक्षा दीवार पूर्ण कर काश्तकारों की कृषि भूमि की सुरक्षा की गई।

- **राज्य सैक्टर एस0सी0एस0पी0 मद** :– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रू0 3.94 लाख व्यय कर 44 मी0 बाढ़ सुरक्षा दीवार का निर्माण एवं जनपद उधमसिंहनगर द्वारा रू0 25.47 लाख व्यय कर 0.650 किमी0 नहरों की लाईनिंग का कार्य किया गया।

- **राज्य सैक्टर नैनीझील का पुर्नजीविकरण एवं निर्माण कार्य मद** :– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत निर्मित नालों का रू0 199.36 लाख व्यय कर 170 मी0 लम्बाई में नालों का पुर्नजीविकरण कार्य किया गया।

- **राज्य सैक्टर :–**जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बलियानाला के उपचार मद में रू0 100.29 लाख व्यय कर योजना पूर्ण की गई।

- **राज्य सैक्टर (नाबार्ड नहर)** :– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत नहरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु क्रमशः रु. 223.26, रु. 279.10 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष रु 203.86, रु. 240.94 लाख व्यय कर 8.43 कि.मी. एवं 1.315 कि.मी. लम्बाई में कार्य करते हुए 03 योजनायें पूर्ण करते हुए 05 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की गई।

- **राज्य सैक्टर (नाबार्ड बाढ़ कार्य)** इसके अन्तर्गत जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के अन्तर्गत रु. 161.70, रु. 701.33 लाख के आबंटन के सापेक्ष क्रमशः रु. 161.70, रु. 701.33 लाख व्यय कर 0.700 कि.मी. 144 सी0सी0 ब्लाक एवं 0.660 किमी0 लम्बी सुरक्षा दीवार, 03 स्पर, 426 मी0 वटरस वॉल, 50.235 किमी0 चैनेलाईजेशन का निर्माण करते हुए 04 योजनायें पूर्ण की गई तथा काश्तकारों की कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा प्रदान की गई।

- **केन्द्रपोषित (ए0आई0बी0पी0 कार्य)** इसके अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रु. 489.23 लाख व्यय कर 02 योजनायें पूर्ण की गई।

सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा

राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड लघु डाल खण्ड, एवं सिचाई निर्माण खण्ड कार्यरत है। इन खण्डों द्वारा राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत निर्मित नहरों /पम्प योजनाओं, बाढ़ योजनाओं एवं निर्मित जलाशयों का अनुरक्षण किया जाता है। खण्डों द्वारा नहर, बाढ़ योजना एवं

जलाशयों का अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य तथा उपयुक्त पाये जाने पर नई नहर, बाढ़ एवं जलाशय का निर्माण कार्य किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहॉ सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों को भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जा रहे है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

राजकीय सिंचाई वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः 207, 216, 99, 139 नहरे निर्मित है। जिनकी कुल लम्बाई क्रमशः 500.375, 703.921, 284.600, 459.56 किमी0 तथा सी0सी0ए0 क्रमशः 5126.00, 5563.60, 2361.30, 3576.00 हैक्टेयर है।

जिला सैक्टर :– जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के लिए क्रमशः रू0 231.34, 197.71, 164.03, 416.76 की धनराशि अनुमोदित की गई थी, जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 231.17, 197.71, 164.03, 416.76 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई, अवमुक्त धनराशि द्वारा नहरों का निर्माण एवं नहरों के जीर्णोद्धार से क्रमशः 23, 0, 5, 0 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन एवं क्रमशः 104, 144, 0, 188 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित की गई। इसके अतिरिक्त क्रमशः 11, 0, 13, 25 संख्या छोटी–छोटी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का निर्माण किया गया।

राज्य सेक्टर

(अ) नाबार्ड नहर :– इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 5.15, 106.54, 0, 349.91 लाख की धनराशि व्यय कर क्रमशः 0.150, 6.359, 0, 10.860 किमी0 लम्बाई की नहरों का जीर्णोद्धार कर क्रमशः 0, 30, 0, 393 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नजीवित करायी गई है।

(ब) नाबार्ड बाढ :– इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 597.99, 193.44, 293.85, 111.48 लाख कि धनराशि व्यय कर क्रमशः 8, 1, 2, 6, संख्या बृहद बाढ़ सुरक्षा योजनाओं में निर्माण कार्य किया गया है। इनमें से क्रमशः 2, 0, 0, 4 संख्या बृहद बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को भी पूर्ण कर लिया गया है।

(स) नाबार्ड जलाशय :– इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 738.62, 205.24, 969.94, 0 लाख की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई। जिसके सापेक्ष 738.62, 205.24, 969.94, 0 लाख की धनराशि व्यय कर 03 संख्या जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राज्य सैक्टर नहर निर्माण :– इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के लिए क्रमशः रू0 42.54, 0, 0, 0 लाख रूपये की धनराशि धनराशि अवमुक्त की गई, अवमुक्त धनराशि द्वारा नहरों का निर्माण कर क्रमशः 10, 0, 0, 0 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित की गई। इसके अतिरिक्त क्रमशः 3, 0, 0, 0 संख्या नहर निर्माण योजनाओं को भी पूर्ण किया गया।

राज्य सैक्टर अनुसंधान एवं सर्वेक्षण :– वर्ष 2021–22 में अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के अन्तर्गत जनपद चम्पावत को वर्ष 2021–22 में 03 संख्या झील के डी0पी0आर0 के निर्माण हेतु रू0 77.60 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष रू0 77.60 लाख की धनराशि व्यय कर 03 संख्या झील के डी0पी0आर0 का निर्माण कार्य प्रगति में है।

राज्य सैक्टर जल संवर्धन :– वर्ष 2021–22 में जल संवर्धन के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा को वर्ष 2021–22 में क्रमशः 01, 02 संख्या जलाशयों के निर्माण हेतु क्रमशः रू0 0, 2.50 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 0, 2.50 लाख की धनराशि व्यय कर 03 संख्या जलाशयों का निर्माण कार्य प्रगति में है।

राज्य सैक्टर रीवर ट्रेनिंग :– वर्ष 2021–22 में राज्य सैक्टर रीवर ट्रेनिंग मद के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़, अल्मोडा, चम्पावत एवं बागेश्वर में क्रमशः रू0 0, 19.36, 0, 0.73 की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 0, 19.36, 0, 0.73 की धनराशि व्यय कर क्रमशः 0, 2, 0, 0 संख्या रीवर ट्रेनिंग योजनाओं को पूर्ण किया गया।

राज्य सैक्टर मानसून अवधि मे बाढ़ सुरक्षा कार्य :– वर्ष 2021–22 में राज्य सैक्टर मानसून अवधि में बाढ़ सुरक्षा कार्य के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में रू0 981.09 लाख की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई जिसके सापेक्ष रू0 981.09 लाख की धनराशि व्यय कर 06 संख्या योजनाओं को पूर्ण किया गया।

राज्य सैक्टर राजस्वलेखा 20/2711 :– वर्ष 2021–22 में राज्य सैक्टर राजस्वलेखा 20/2711 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में रू0 15.50 लाख की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 15.50 लाख की धनराशि व्यय कर 04 संख्या योजनाओं में निर्माण कार्य किया गया।

राज्य सैक्टर एस0सी0एस0पी0 राजस्वलेखा 30/2711 :– वर्ष 2021–22 में राज्य सैक्टर एस0सी0एस0पी0 राजस्वलेखा 30/2711 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में रू0 28.54 लाख की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई जिसके सापेक्ष रू0 28.54 लाख की धनराशि व्यय कर 05 संख्या योजनाओं में निर्माण कार्य किया गया।

केन्द्र पोषित (ए0आई0बी0पी0) :– ए0आई0बी0पी0 मद के अन्तर्गत 02 संख्या नहरों के निर्माण हेतु रू0 53.21 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई जिसके सापेक्ष रू0 53.21 लाख की धनराशि व्यय कर 21 है0 सिंचन क्षमता सृजित की गई।

इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री घोषणाओं के अनुपालन में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत 03 स्थानों पर घाटों के निर्माण कार्य किये गये। जिनमें रू0 72.04 लाख की धनराशि व्यय कर 01 सं0 घाट का निर्माण कार्य भी पूर्ण किया गया। शेष 02 सं0 घाट का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

नलकूप मण्डल (यॉ0) हल्द्वानी

राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत इस मण्डल में नलकूप खण्ड, हल्द्वानी, नलकूप खण्ड, बाजपुर एवं नलकूप खण्ड टनकपुर कार्यरत है। खण्डों द्वारा निर्मित नलकूपों एवं लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का रख–रखाव तथा नई योजनाओं का सर्वेक्षण तथा निर्माण कार्य सम्पादित किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाडी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहॉ सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नही है। नलूकप विभाग द्वारा कृषकों को भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहें है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष 2021–22 तक इस मण्डल के जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी क्षेत्र में 192 नलकूप एवं विकास खण्ड भीमताल में 03 संख्या लिफ्ट सिंचाई योजना सिंचाईरत है, जिन पर क्रमशः 498.472 एवं 13.765 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली निर्मित है, जिसका सी.सी.ए. क्रमशः 14163 एवं 161 हेक्टेयर है। जनपद ऊधमसिंह नगर में 418 नलकूप सिंचाईरत है, जिनका सी.सी.ए. 35883.00 हेक्टेयर है, जिन पर 1007.141 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली निर्मित है। जनपद चम्पावत में 37 संख्या नलकूप एवं 08 संख्या लिफ्ट सिंचाई योजना सिंचाईरत है, जिनका सी.सी.ए. क्रमशः 2688 एवं 257 हेक्टेयर है, जिन पर क्रमशः 88.75 एवं 19.455 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली निर्मित है।

जिला योजना

जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2021–22 में जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी हेतु रू0 115.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित था, जिसके सापेक्ष रू0 115.00 लाख अवमुक्त हुआ। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण व्यय करते हुए निर्मित नलकूपों पर 6.417 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण/जीर्णोद्वार किया गया, जिससे 55 हेक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नजीवित की गयी। जनपद ऊधमसिंह नगर के लिए रू0 243.30 लाख का परिव्यय अनुमोदित था, जिसके सापेक्ष रू0 243.30 लाख की धनराशि अवमुक्त/व्यय हुई, जिससे 02 संख्या नलकूपों का ऊर्जीकरण एवं 11.087 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण/जीर्णोद्वार किया गया तथा 150 हैक्टे0 सिंचन क्षमता का सृजन एवं 375 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का पुर्नसृजन किया गया। जनपद चम्पावत में रू0 195.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित था, जिसके सापेक्ष रू0 195.00 लाख अवमुक्त/व्यय हुआ, जिससे 01 सं0 लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण तथा 7.108 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण/जीर्णोद्वार कर 130 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन एवं 73 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का पुर्नसृजन किया गया।

वाह्य सहायतित (नाबार्ड)

वर्ष 2021–22 में नलकूप खण्ड, टनकपुर में 01 संख्या योजना निर्माणाधीन थी, जिनकी कुल लागत रू0 192.73 लाख थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 54.93 लाख का आवंटन/व्यय कर नलकूपों के जीर्णोद्वार हेतु सामग्री प्रबन्धन किया गया। से

राज्य योजना

वर्ष 2021–22 में नलकूप खण्ड बाजपुर के अन्तर्गत राज्य सैक्टर टी.एस.पी. मद में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड सितारगंज में 03 संख्या नलकूपों के निर्माण की योजना लागत रू0 197.74 लाख में से रू0 120.00 लाख आवंटित/व्यय कर 3.20 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण किया गया तथा राज्य सैक्टर मद में नलकूप खण्ड हल्द्वानी के अन्तर्गत विकास खण्ड हल्द्वानी में कुल 08 संख्या राजकीय नलकपों के निर्माण/पुर्ननिर्माण की

योजनाऐं चलित है, जिनकी कुल लागत रू0 960.73 लाख है। नलकूप खण्ड हल्द्वानी में इन योजनाओं पर रू0 387.00 लाख का आवंटन हुआ, जिसके सापेक्ष रू0 221.33 लाख व्यय कर 04 छिद्रण, 03 विकसन एवं सामग्री प्रबन्धन करते हुए अवशेष धनराशि रू0 155.67 लाख सर्मपण किया गया।

केन्द्र पोषित (टी0एस0पी0)

वर्ष 2021–22 में नलकूप खण्ड बाजपुर के अन्तर्गत केन्द्र पोषित टी.एस.पी. मद में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड बाजपुर में 05 संख्या नलकूपों के निर्माण की योजना लागत रू0 295.00 लाख के सापेक्ष रू0 295.00 लाख एकमुश्त आवंटित हुआ, जिसमें से रू0 248.28 लाख व्यय कर तथा 02 संख्या नलकूपों का ऊर्जीकरण एवं 6.703 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण करते हुए 150 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

नलकूप मण्डल (यॉ0) अल्मोड़ा

राजकीय सिंचाई के अर्न्तगत नलकूप मण्डल (यॉ0), अल्मोड़ा द्वारा नलकूपों, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाते हैं। मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहॉ सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नही है। विभाग द्वारा कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

राजकीय सिंचाई :– वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा बागेश्वर के अर्न्तगत क्रमशः 204, 7, 2, 3, कुल 216 नलकूप तथा क्रमशः 21, 19, 69, 33 कुल 142 लिफ्ट सिंचाई योजनाऐं निर्मित है। जिनकी जल वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई 647.89 किमी0 तथा सी0सी0ए0 कुल 19824 हैक्टेयर है नलकूप खण्ड रामनगर में 01 संख्या नलकूप अपनी आयु पूर्ण होने के उपरान्त फेल घोषित कर दिया गया है, पुनः निर्माण हेतु प्रायोजना गठन कर शासन को प्रेषित कर दी गयी है।

जिला सैक्टर :– जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा पिथौरागढ़, तथा बागेश्वर के अर्न्तगत क्रमशः रू0 135.00 लाख, रू0 85 लाख, रू0 90 लाख तथा रू0 261.67 लाख कुल रूपया 571.67 लाख नलकूप/ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के निमार्ण हेतु अनुमोदित थी जिसके सापेक्ष 100 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त हुई एवं 100 प्रतिशत ही व्यय कर नलकूप/ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धर कर 212.144 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया ।

राज्य योजना (नाबार्ड) :– इस योजना के अन्तर्गत राज्य योजना के तहत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा बागेश्वर के अर्न्तगत क्रमशः रू0 446.604 लाख, 464.17 लाख एवं 430.459 लाख कुल रूपया 1341.233 लाख की धनराशि व्यय कर मण्डल के अर्न्तगत 06 संख्या लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का कार्य निर्माणाधीन है एवं 01 संख्या लिफ्ट योजना का कार्य एवं 04 संख्या नलकूप का निर्माण पूर्ण कर 284 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया तथा नलकूप खण्ड रामनगर द्वारा 14.310 किमी0 जल वितरण प्रणाली बिछायी गयी।

राज्य योजना (एस0सी0पी0):– इस योजना के अन्तर्गत नलकूप खण्ड, रामनगर में 2021–22 हेतु कुल रू0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुयी, जिसके सापेक्ष 50.00 लाख का व्यय कर 01 संख्या राजकीय नलकूप का छिद्रण एवं विकसन कार्य किया गया तथा 2.250 किमी0 जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य किया गया।

निक्षेप मद :– इस योजना के अन्तर्गत नलकूप खण्ड रामनगर में 2021–22 हेतु रू0 107.94 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी जिसके सापेक्ष रू0 49.09 लाख का व्यय कर 01 संख्या राजकीय नलकूप का छिद्रण एवं विकसन कार्य किया गया तथा 2.250 मीटर पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया गया, जिससे 40 है0 सिंचन क्षमता सृजित की गई ।

लघु सिंचाई

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, हल्द्वानी

लघु सिंचाई विभाग द्वारा लघु कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोडा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 92, 41, 0 हौज, क्रमशः 28.204, 21.44, 10.834 किमी0 गूल, क्रमशः 0, 0, 76 पम्पसेट एवं उधमसिंहनगर के 50 आर्टीजन का निर्माण कर क्रमशः 934.00, 158.88, 1021.55 है0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित गूल/हौज निर्माण की क्रमशः 2, 14, 0 योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर लगभग क्रमशः 5.00, 43.05, 0.00 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नस्थापित की गयी।

हाईड्रम सुदृढीकरण/अन्य व्यय :– हाईड्रम/आर्टीजन योजनाओं के संचालन हेतु आंशिक आपरेटर की व्यवस्था की जाती है तथा निर्मित योजनाओं के सापेक्ष मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है, जिला योजना वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः रू0 48.32, 2.448, 0.00 लाख धनराशि व्यय की गई।

गूल मरम्मत/जीर्णोद्धार :– पूर्व निर्मित सामूहिक सिंचाई गूल/हौज निर्माण योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर जिला योजना वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, उधमसिंहनगर में क्रमशः रू0 5.39, 35.41, 76.50 लाख धनराशि व्यय की गई। जिसमें से क्रमशः.रू0 0.00, 0.00, 9.50 लाख धनराशि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय की गई।

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पिथौरागढ़

लघु सिचाई विभाग द्वारा लघु कृषको को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, में क्रमशः 04, 39, 44 हौज, क्रमशः 2.25, 11.24, 3.84 किमी0 गूल, 01 सोलर पम्पसेट का निर्माण 24.60 है0

(पिथौरागढ़) का निर्माण कर क्रमशः 30, 403.07, 110.70 है0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत़, बागेश्वऱ, में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित गूल/हौज निर्माण की क्रमशः 0, 58, 44 योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर लगभग क्रमशः 59.75, 118, 3.84 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नस्थापित की गयी।

हाईड्रम सुदृढीकरण/अन्य व्यय :– हाईड्रम योजनाओं के संचालन हेतु आंशिक आपरेटर की व्यवस्था की जाती है तथा निर्मित योजनाओं के सापेक्ष मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है, जिला योजना वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत़, बागेश्वऱ में क्रमशः.रू0 10.15, 7.10, 11.58 धनराशि व्यय की गई।

गूल मरम्मत/जीर्णोद्धार :– पूर्व निर्मित सामूहिक सिंचाई गूल/हौज निर्माण योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत़, बागेश्वऱ, में क्रमशः 54.81, .35.00, 12.23 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नस्थापित की गयी। जिला योजना वर्ष 2021–22 में क्रमशः रू0 54.85, 15.90, 34.02 धनराशि व्यय की गई। जिसमें में क्रमशः.रू0 16.00, 0, 9.10 धनराशि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय की गई।

उत्तराखण्ड जल संस्थान

नैनीताल परिक्षेत्र

जल संस्थान का मुख्य उद्देश्य जल सम्भरण की योजनाऐं बनाना उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना के साथ–साथ जल संस्थान के निम्न कृत्य हैः–

1. जहॉ साध्य हो वहॉ सीवर व्यवस्था, सीवेज सम्बन्धी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रर्वतन।
2. जल सम्भरण की योजनाएं बनाना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना।
3. अपने कार्य कलापों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य प्रद जल मिल सके और जहॉ साध्य हो वहॉ दक्ष सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था की जा सके।
4. ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।
5. ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट के अधिसूचना द्वारा उसे सौपे जा सके।

उत्तराखण्ड जल संस्थान की शक्तियाँ :

1. उस क्षेत्र के, जो उसकी अधिकारिता के अन्तर्गत हो, जल सम्भरण, सीवर–व्यवस्था और सीवरेज सम्बन्धी निस्तारण से सम्बन्धित सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करना।
2. भूमि तथा अन्य सम्पत्ति अर्जित करना, उन पर आधिपत्य रखना और उन्हें धारित करना और किसी राज मार्ग, सड़क, मार्ग स्थान से होकर, उसके आर–पार, ऊपर या नीचे से और स्वामी या अध्यासी को युक्ति–युक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी भवन या भूमि में, उससे होकर, उसके ऊपर या नीचे से कोई जल या सीवर–व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण कार्य करना।
3. किसी प्राकृतिक स्रोत से जल और उच्छिष्ट जल का निस्तारण करना।
4. किसी व्यक्ति या निकाय के साथ ऐसी संविदा या करार करना जिसे जल संस्थान आवश्यक समझे।
5. प्रतिवर्ष अपना बजट अभीस्वीकृत करना।
6. राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुये जल सम्भरण तथा सीवर–व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिए ऐसे टैरिफ लगाना या उसमें संशोधन करना और इन सेवाओं के लिए ऐसे सभी कर तथा प्रभार वसूल करना जो विहित किए जायें।
7. व्यय करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना।
8. राज्य सरकार से ऋण, अग्रिम, वित्तीय सहायता तथा अनुदान प्राप्त करना।

जल संसाधन एवं प्रबंधन

जनपद में नमामि गंगे परियोजना की कार्यविधिः– नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत यह परियोजना विभाग द्वारा संचालित नहीं है।

जनपद में चाल–खाल परियोजना की स्थिति :– वर्ष 2021–22 तक नैनीताल परिक्षेत्रान्तर्गत जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः **91, 179, 11** चाल–खाल निर्मित किये गये हैं।

नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजना की स्थिति :–

वर्ष 2021–22 तक नैनीताल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 07, 04, 16 नगरीय व क्रमशः 322, 639, 41 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है। योजनाओं की मार्च 2022 तक की स्थिति निम्नानुसार हैः–

नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजना की स्थिति

क्र0सं0	जनपद का नाम	शाखा का नाम	नगरीय योजनायें	ग्रामीण योजनायें	योग			पूर्णतया चालू			आंशिक योजना			बन्द योजना		
					कुल योजनाओं की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	कुल तोकों की संख्या	योजनायें	राजस्व ग्राम	तोक	योजना	रा0ग्रा0	उप0ग्रा0	योजना	रा0ग्रा0	उप0ग्रा0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	नैनीताल	नैनीताल	3	261	264	482	1133	264	482	1133	0	0	0	0	0	0
2		हल्द्वानी	2	20	22	227	22	22	227	22	0	0	0	0	0	0
3		लालकुऑ	1	14	15	29	0	15	29	0	0	0	0	0	0	0
4		रामनगर	1	27	28	181	13	28	181	2	0	0	0	0	0	0
	योग (क)		**7**	**322**	**329**	**919**	**1168**	**329**	**919**	**1168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	ऊधम सिंह नगर	ऊधम सिहनगर	8	15	23	208	173	23	208	173	0	0	0	0	0	0
6		रामनगर	4	9	13	105	32	13	105	32	0	0	0	0	0	0
7		खटीमा	4	17	21	215	296	13	51	71	7	82	111	1	13	17
	योग (ख)		**16**	**41**	**57**	**528**	**501**	**49**	**364**	**276**	**7**	**82**	**111**	**1**	**13**	**17**
8	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	1	310	311	587	612	310	582	610	1	5	2	0	0	0
9		रानीखेत	3	246	249	703	1044	249	703	1044	0	0	0	0	0	0
10		श्रामनगर	0	80	80	173	107	80	173	107	0	0	0	0	0	0
	योग (ग)		**4**	**636**	**640**	**1463**	**1763**	**639**	**1458**	**1761**	**1**	**5**	**2**	**0**	**0**	**0**
महायोग (क+ख+ग)			**27**	**999**	**1026**	**2910**	**3432**	**1017**	**2741**	**3205**	**8**	**87**	**113**	**1**	**13**	**17**

जनपद में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य पेयजल निगम के अतिरिक्त जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, स्वजल, मण्डी परिषद, एग्रो आदि द्वारा भी कराया जाता है, जिससे जनपद में खराब हैण्डपम्पों की सही जानकारी विभाग को नहीं मिल पाती है, यह कार्य एक ही विभाग द्वारा कराये जाते तो कार्य की गुणवत्ता के साथ–साथ जनता को योजना का पूरा लाभ प्राप्त हो जायेगा। जनपद की समस्त पूर्व निर्मित पूर्ण पाईप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर जल संस्थान को हस्तगत कर दी गई है।

<u>उत्तरांचल कूप</u> :– विभाग द्वारा उत्तरांचल कूपों का अधिष्ठापन किया जाता है, जिससे जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वर्ष 2021–22 में नैनीताल परिक्षेत्रान्तर्गत जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः **114, 394, 0** नग उत्तरांचल कूप स्थापित किये गयैं

<u>स्टील इन्टेक चैम्बर</u> :– जनपद के अन्तर्गत जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद के अर्न्तगत स्टील इन्टेक चैम्बरों का विभिन्न स्रोतों पर अधिष्ठापन कार्य कराया गया। वर्ष 2021–22 तक नैनीताल परिक्षेत्रान्तर्गत जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 34, 304, 0 नग स्टील इंटेक चैम्बर अधिष्ठापित किये गये है।

<u>ग्रामीण पेयजल योजना</u> :– माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा घोषित जल जीवन मिशन–''हर घर नल से जल'' कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक राजस्व ग्राम में प्रत्येक परिवार को क्रियाशील घरेलू जल संयोजन प्रदान करने हेतु विभिन्न चरणों के सर्वेक्षण कार्यों की कार्यवाही गतिमान है। जनपद उधमसिंह नगर में कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक राजस्व ग्राम में प्रत्येक परिवार को क्रियाशील घरेलू जल संयोजन प्रदान करने हेतु शाखा ऊधमसिंह नगर द्वारा लक्षित 52 पे0यो0 की डी0पी0आर0 के सापेक्ष 36 पे0यो0 की डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी है, 16 डी0पी0आर0

शेष है। 03 पे0यो0 प्रगति पर है तथा 07 पे0यो0 के कार्यादेश की कार्यवाही प्रगति पर है। शेष 26 पे0यो0 की निविदा स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही गतिमान है।

पिथौरागढ़ परिक्षेत्र

उत्तराखण्ड जल संस्थान परिक्षेत्र पिथौरागढ़ के कार्यक्षेत्र जनपद पिथौरागढ़, जनपद चम्पावत एवं जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कुल 04 शाखा कार्यालय संचालित हैं। इन 04 शाखाओं में 895 पेयजल योजनायें अनुरक्षित रही है। इन पेयजल योजनाओं में 18 पम्पिंग पेयजल योजनायें है। अनुरक्षित पेयजल योजनाओं में 1574 ग्राम एवं 2288 तोक पेयजल से लाभान्वित है। अनुरक्षित पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 40571 निजी जल संयोजन संचालित रहे, जिनके विरुद्ध जलमूल्य की बिलिंग की जा रही है। पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत 2176 हैण्ड पम्प एवं 436 चाल–खाल संचालित है।

सीवरेज योजना का संचालन एवं रखरखाव : पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत धारचूला नगर, पिथौरागढ़ नगर एवं टनकपुर नगर में सीवरेज योजना संचालित है, जिनसे 15310 जनसंख्या लाभान्वित होती है। इन सीवरेज योजनाओं से 1617 सीवर संयोजन संचालित है।

जिला योजना : पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना वर्ष 2021–22 में रु. 1454.81 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसका पूर्ण रूप से व्यय किया गया। जिला योजना के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव कार्य के साथ 10 पेयजल योजनाओं की मरम्मत व 208 हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य किया गया।

राज्य योजना : पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना वर्ष 2021–22 में रु. 8.37 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसका पूर्ण रूप से व्यय किया गया। राज्य योजना के अन्तर्गत 03 नग हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य किया गया।

दैवीय आपदा : पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत दैवीय आपदा वर्ष 2021–22 में रु. 320.33 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसके सापेक्ष रु. 221.54 लाख व्यय किया गया है। व्यय धनराशि के विरुद्ध 64 पेयजल योजनाओं का मरम्मत कार्य किया गया है।

मुख्यमन्त्री घोषणा : पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यमन्त्री घोषणा वर्ष 2021–22 में रु. 292.15 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसके सापेक्ष रु. 147.15 लाख व्यय किया गया है। व्यय धनराशि के विरुद्ध 15 कार्यों को पूर्ण किया गया है।

जल जीवन मिशन : वित्तीय वर्ष 2021–22 में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रु. 3791.48 लाख का व्यय हुआ, जिसके सापेक्ष 979 ग्रामों में 10955 क्रियाशील घरेलू जल संयोजन अधिष्ठापित किये गये तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जल परीक्षण हेतु 725 राजस्व ग्रामों में फील्ड टैस्टिंग किट वितरित कर पोर्टल में अपलोड़ किया गया। पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत चारों शाखा कार्यालयों में जल गुणवत्ता एवं निगरानी प्रयोगशाला संचालित है। इन प्रयोगशाला द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 8033 जल नमूनों का रासायनिक परीक्षण तथा 9517 जल नमूनों का जैविक परीक्षण किया गया तथा परीक्षण आख्या को पोर्टल पर अपलोड़ किया गया।

अध्याय – 12

उद्योग

1. **उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्र :**

- भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लागू औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन।
- औद्योगिक नीति के निर्धारण हेतु राज्य सरकार को समय–समय पर समुचित प्रस्ताव एवं सुझाव प्रस्तुत करना।
- उद्योग क्षेत्र, जिनमें ग्रामीण एवं लघु उद्योग, हथकरघा, खनन और बृहत उद्योग सम्मिलित हैं, के विकास हेतु वार्षिक व पंचवर्षीय योजनायें तैयार कर योजना आयोग के स्तर पर प्रस्तुतिकरण।
- उद्योग निदेशालय, भूतत्व व खनिकर्म, राजकीय मुद्रणालय, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, सिडकुल तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के कार्यों/योजनाओं के संचालन हेतु वार्षिक बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना, अनुमोदित बजट प्रस्तावों पर शासन से जारी स्वीकृतियों का निर्गमन तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित करना।
- एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता व्यवस्था का क्रियान्वयन।
- राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के सचिवालयी कार्य।
- राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु समय–समय पर नीतियों को तैयार करना।
- भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2015 से पूरे देश में उद्यमियों द्वारा उद्योग आधार मैमोरेण्डम ऑनलाइन फाईल करने की व्यवस्था के स्थान पर भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राजपत्र दिनांक 26 जून, 2020 से सम्पूर्ण देश में 1 जुलाई, 2020 के पश्चात् सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण हेतु "उद्यम रजिस्ट्रीकरण" (https://udyamregistration.gov.in) की व्यवस्था की गई है, जो एमएसएमई की सभी सुविधाओं हेतु अनिवार्य है।
- केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की औद्योगिक विकास नीति–2017 का क्रियान्वयन।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र विशेष में सम्भाव्य विशिष्ट चिन्हित आर्थिक गतिविधि को आवश्यक इनपुट्स एवं वित्तीय प्रोत्साहन देकर विकसित किया जायेगा, जिससे इनके उत्पाद एवं सेवायें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर सृजन के उद्देश्य *से ग्रोथ सेन्टर योजना* लागू की गई है, का क्रियान्वयन।
- राज्य की नई *स्टार्टअप नीति*–2018 का क्रियान्वयन।
- "ईज आफ डूईंग बिजनेस" के अन्तर्गत राज्य में निवेश प्रोत्साहन हेतु "निवेश प्रोत्साहन सुविधा केन्द्र" के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा उद्यमियों को परामर्श प्रदान करना।
- उत्तराखण्ड मेंटरशिप कार्यक्रम का ऑनलाईन अनुश्रवण।
- उत्तराखण्ड की लैण्ड लीजिंग पॉलिसी के अन्तर्गत ऑनलाईन व्यवस्था का क्रियान्वयन।
- रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन हेतु बी.आई.एफ.आर. से सम्बन्धित कार्य।
- उद्यमिता एवं कौशल विकास।
- पंजीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों का ऑकड़ों का संग्रहण, संकलन तथा अनुप्रेषण।
- औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
- विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/ कार्यक्रमों

का क्रियान्वयन।

- विकास आयुक्त (हथकरघा) एवं विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- औद्योगिक विकास हेतु समन्वित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे सिडबी, एन0एस0आई0सी0, यू0एन0डी0पी0, नाबार्ड, सी0जी0एफ0टी0आई, से समन्वय तथा उनकी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन।
- औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को विभिन्न सहूलियतों, सहायताओं, सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- एमएसएमई नीति–2015 के अन्तर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु घोषित योजनाओं का निर्माण/क्रियान्वयन/अनुश्रवण।
- उत्तराखण्ड राज्य सुकरता परिषद से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- औद्योगिक विकास में आने वाली समस्याओं, जटिलताओं का निराकरण करना।
- स्थापित उद्योगों, विशेष रूप से ग्रामीण, कुटीर एवं लघु उद्योगों को विपणन सहायता।
- औद्योगिक, हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
- विभिन्न शोध–विकास संस्थाओं के साथ समन्वय कर प्रदेश के औद्योगिक विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।
- उद्योग विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन एवं मानव संसाधन विकास।
- औद्योगिक श्रमिकों/प्रबन्धकों के लिए प्राथमिक जागरूकता हेतु सम्बन्धित संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- "उत्तराखण्ड माटी कला बोर्ड" के माध्यम से माटी कला व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य सम्बन्धी कुटीर उद्योग के समुचित महत्व को पारम्परिक शिल्पकला के संरक्षण के साथ ही शिल्पियों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता कौशल विकसित करने हेतु तथा कारीगरों को तकनीकी कौशल, आर्थिक एवं विपणन सहायता।

2- उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के मुख्य कार्य :

- राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास हेतु राज्य सरकार की शीर्ष संस्था के दायित्वों का निर्वहन।
- राज्य सरकार द्वारा मेला एवं प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु नोडल एजेन्सी नामित।
- विकास आयुक्त (हथकरघा) एवं विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन।
- शिल्पों के विपणन प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेलों का आयोजन एवं प्रतिभाग।
- भारत सरकार की ''एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना'' के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के 11 जनपदों के 15 विकासखण्डों के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के शिल्पियों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से शिल्पियों को विभिन्न शिल्पों में डिजाइन वर्कशॉप, प्रदर्शनी, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, मार्केटिंग वर्कशाप, बॉयर–सेलर मीट एवं शिल्प में कार्य करने हेतु शिल्पियों को टूल किट उपलब्ध कराना।
- उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत शिल्प कला के सरंक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्य बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से शिल्पियों को उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न

पुरस्कार।

- राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के परम्परागत शिल्पों के प्रोत्साहन हेतु गरूड़ाबांज, अल्मोड़ा में हरिप्रसाद पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना। संस्थान के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण का कार्य।
- मेला/प्रदर्शनी/शो–रूम आदि के माध्यम से स्थानीय उत्पादों का विपणन प्रोत्साहन।
- विभिन्न लघु उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग कलस्टरों हेतु समन्वित विकास के कार्यक्रम।
- हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन हेतु ''हिमाद्रि'' शो–रूमों का संचालन एवं उत्पादों के ऑनलाईन मार्केटिंग में Amazon (अमेजन) के साथ टाईअप।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन।

3- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्य :

- प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना, इसका संगठन विकास एवं विनियमन करना तथा अपने द्वारा बनायी गयी योजनाओं को क्रियान्वयवित करना।
- खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योगो मे लगे हुए अथवा उसमें अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा उनका संगठन करना।
- कच्चे माल तथा उपकरण की व्यवस्था के लिए सुरक्षित भण्डार बनवाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग मेंलगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितब्ययी दरों पर देना जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हो।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय विक्रय की व्यवस्था करना।
- खादी उत्पादन की विधियों में अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के विकास हेतु स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण करना या उनके अनुरक्षण में सहायता करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कार्य करना, उनके लिए सहायता देना और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियॉ भी है, से समन्वय करना।
- खादी निर्माताओं द्वारा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों से सहकारी प्रयास का बढ़ावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।
- किसी अन्य विषय का कार्यान्वयन जो राज्य सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय।
- आवश्यकता अनुसार बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, मार्केटिग, उत्पाद के पैकेजिंग, हाथ कागज, खादी डिजायनिंग या अन्य खादी एवं ग्रामोद्योग के विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञों/सलाहकारों की सेवायें प्राप्त करना।

1–भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई :

- खनिज अन्वेषण कार्य – खनिज अन्वेषण कार्य के अन्तर्गत भूवैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर खनिजों की उपलब्धता की सम्भावना का अध्ययन किया जाता है तथा अध्ययनोपरान्त आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर क्षेत्र से चट्टानों के नमूने एकत्र कर उनका रासायनिक विश्लेषण, पेट्रोलोजिकल विश्लेषण आदि कराया जाता है तथा क्षेत्र में मानचित्रीकरण का कार्य कर मानचित्र तैयार किये जाते हैं तथा क्षेत्र का भू–भौतिकी विधा द्वारा भू–भौतिकी अध्ययन कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। उपरोक्त समस्त अध्ययनों तथा परीक्षणों

में आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर वेधन मशीन द्वारा वेधन कार्य सम्पन्न कराकर भूमिगत चट्टानों के प्रसार, प्रकार एवं खनिजों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर खनिज भण्डार की गुणवत्ता एवं मात्रा का आंकलन किया जाता है। राज्य गठन के उपरान्त इकाई के अन्तर्गत खनिज अन्वेषण का कार्य स्थगित है।

- खनन प्रशासन कार्य – खानों के विनियमन एवं खनिजों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा खनिज परिहार स्वीकृत किया जाता है। निकाले गये खनिजों की मात्रा के आधार पर स्वामित्व के रूप में प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। विभाग द्वारा खनिजों के परिहार स्वीकृत किये जाने से पूर्व तकनीकी परामर्श तथा खनिजों की खनन योजना का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
- भूअभियांत्रिकीय कार्य – भूअभियांत्रिकीय कार्य के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियाँ शासन को प्रेषित करना है।
- पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना – राजस्व व वन क्षेत्र के अधिक से अधिक रिक्त उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये ई–नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने के उपरान्त स्वीकृत क्षेत्रों में पर्यावरणीय अध्ययन/मॉनीटरिंग कार्य कराया जाना।
- खनन सर्विलांस योजना– प्रदेश में अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक सर्विलांस युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित करना तथा खनिजों के परिवहन हेतु लागू ई–रवन्ना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, वेब एप्लीकेशन एवं माइनिंग गार्ड का क्रियान्वयन तथा ऑन लाईन राजस्व जमा हेतु पेमेंट गेट वे से सम्बन्धित कार्यो के क्रियान्वयन/संचालन तथा खनन कार्यकलापों के अन्तर्गत समस्त प्रक्रियायें ऑन लाईन किये जाने की कार्यवाही।
- विभिन्न खनिज अन्वेषणकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में खनिज अन्वेषण कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार कर उसका क्रियान्वयन।
- खनिजों के वैज्ञानिक विधियों द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखते हुये विदोहन हेतु शासन के निर्देशानुसार व्यवहारिक नीतियों को प्रस्तावित करना।
- विभिन्न जनपद स्तरीय कार्यालयों के भू–अभियांत्रिकीय कार्यों की समीक्षा करना एवं प्रगति का संकलन करना।
- सेमीनार प्रदर्शनी आदि के माध्यम से स्थानीय खनिजों के विपणन प्रोत्साहन।
- खनिज विकास एवं अन्वेषण हेतु समन्वित राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय।
- खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराना।
- खनिजों के मद में देय धनराशि की समय से वसूली करने की मॉनीटरिंग तथा आय में वृद्धि के लिए प्रस्ताव करना /महालेखाकार द्वारा आपत्तियों को निस्तारित कराने का कार्य।
- खानों के वैज्ञानिक विकास की कार्यवाही एवं प्राप्त माइनिंग प्लान का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करना।
- क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला कार्यालय से प्राप्त संदर्भों का परीक्षण।
- खनन प्रशासन से संबंधित कार्यों को नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों / जिलाधिकारियों को मार्गदर्शन।
- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये गये खनन प्रशासन कार्यों का मूल्यांकन।
- विभिन्न न्यायालयों में चल रहे खनन प्रशासन संबंधित वादों को निस्तारित करवाना।
- खनन प्रशासन संबंधी स्टाफ की प्रगति।

- जिलाधिकारियों से संपर्क करके उन्हें खनन प्रशासन कार्यों की प्रगति से अवगत करवाना।
- खानों को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करवाना।
- खनन कार्यों के संबंध में केन्द्रीय/प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।
- वार्षिक योजनाएं तैयार करना तथा योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार करना।
- विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन अधिष्ठान बजट का आवंटन एवं मानव संसाधन विकास।
- विभिन्न शोध एवं विकास संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश के विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।
- खनिजों की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु नये उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा पट्टे पर आवंटित खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय मॉनीटरिंग/अध्ययन का कार्य किया जाता है।
- प्रदेश में अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक सर्विलांस युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित करना तथा खनिजों के परिवहन हेतु लागू ई–रवन्ना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं वेब एप्लीकेशन माइनिंग गार्ड का क्रियान्वित किया जाना।
- खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत जिला खनिज न्यास का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) सम्मिलित हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर खनिज प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य कराया जाना।
- राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्य हेतु पट्टा धारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/अंशदान जमा कराये जाने के प्राविधान है। उक्त धनराशि से प्रदेश में खनिजों की खोज किया जाना।

2- राजकीय मुद्रणालय उत्तरांखण्ड, रुड़की के मुख्य कार्य :

- राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की, निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड के नियन्त्रण में है, तथा उत्तरांखण्ड शासन औद्योगिक विकास विभाग के लिये उत्तरदायी है। यह राज्य सरकार का एक मात्र मुद्रणालय है।
- सरकारी साधारण तथा असाधारण गजट का प्रकाशन/मुद्रण/वितरण।
- उत्तराखण्ड सरकार का वार्षिक बजट/अनुपूरक बजट का मुद्रण एवं सम्पूर्ति।
- उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद से कार्यालय में प्रयोग होने वाली प्रपत्रों/रजिस्टर का मुद्रण/निर्माण एवं परीक्षा में प्रयोग होने वाली सादी उत्तर पुस्तिकाओं का निर्माण कर राज्य के समस्त जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षकों को वितरण करना। प्राविधिक शिक्षा परिषद की परीक्षा हेतु सादी उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रपत्रों का मुद्रण।
- राज्य के समस्त विभागों जैसे सेवायोजन, विधिक माप विज्ञान, व्यापार कर, चिकित्सा, सिडकुल, परिवहन विभाग, निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, महालेखाकार, प्रपत्र तथा उनके द्वारा तैयार निर्देश/नीति प्रकाशनों का मुद्रण।
- पंजीकृत प्रपत्रों की श्रृंखला में कोषागार प्रान्तीय, विविध, एच0सी0जे0, पुलिस, भुलेख व जैड0ए0 से सम्बन्धित प्रपत्रों/ रजिस्टर आदि मुद्रण कर राज्य के सभी विभागों/कार्यालयों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क/सशुल्क आधार पर मांगानुसार मुद्रण कर सम्पूर्ति की जाती है।
- मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल से सम्बन्धित प्रपत्रों/लिफाफों व फाइल कवर का मुद्रण/सम्पूर्ति।

- मा0 लोक आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन/रिपोर्ट का मुद्रण।
- सचिवालय में प्रयोग होने वाले प्रवेश पत्रों का मुद्रण/सम्पूर्ति।
- उत्तराखण्ड विधान सभा–की कार्यवाहियों का मुद्रण/सम्पूर्ति।
- सचिवालय से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के प्रपत्र जैसे चरित्र पंजिका, आई.ए.एस. ग्रेडेशन लिस्ट इत्यादि का मुद्रण/ सम्पूर्ति।
- शासन द्वारा जारी शासनादेशों का संकलन पुस्तकों का मुद्रण।

3- उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास निगम लि. के मुख्य कार्य :

- उद्योग स्थापना हेतु औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं प्रबन्धन।
- बृहद उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित कार्य।
- बृहद उद्योग की रूग्ण इकाईयों के पुर्नवासन हेतु बी.आई.एफ.आर. से सम्बन्धित पैकेज का अनुश्रवण कार्य।
- औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के अभिकरण के रूप में कार्य।
- प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन का कार्य।
- निर्यात प्रोत्साहन एवं भारत सरकार के पैकेज के लिये नोडल अभिकरण के रूप में कार्य।

राज्य के औद्योगिक विकास का वर्तमान परिदृश्य नवम्बर, 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक होकर नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य का यह भू–भाग वास्तविक रूप से ''शून्य उद्योग'' क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। राज्य गठन के पश्चात् भी आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास को प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के अवसर उपलब्ध नहीं थे, जिसका प्रमुख कारण अवस्थापना सुविधाओं की कमी होने से निवेशकों का निवेश हेतु आकर्षित न होना था। उत्तराखण्ड राज्य के लिए घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज जनवरी, 2003 से लागू किये जाने के फलस्वरूप, राज्य में औद्योगिकीकरण के नये युग का सूत्रपात हुआ।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 1999–2000 में द्वितीयक सैक्टर का अंश मात्र 19.2 प्रतिशत था, जो वर्ष 2019–20 में 49 प्रतिशत से अधिक हो गया है (जिसमें मुख्य रूप से उद्योग सैक्टर सम्मिलित है)। इससे स्पष्ट है कि पृथक राज्य बनने के पश्चात् प्रदेश में औद्योगिक विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ है और राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में इस सैक्टर का योगदान तेजी से बढ़ा है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का योगदान लगभग 36 प्रतिशत है।

राज्य में देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों द्वारा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की गई है और इस समय ऑटो, फार्मा एवं एफएमसीजी क्षेत्र में देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित ब्राण्ड के उत्पाद राज्य में बन रहे हैं। अधिकतर औद्योगिक समूहों का मानना है कि उत्तराखण्ड राज्य का औद्योगिक वातावरण सर्वाधिक उपयुक्त है। इसलिये इन उद्योग समूहों द्वारा लगातार अपने निवेश में वृद्धि की जा रही है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिये 1 अप्रैल, 2017 से औद्योगिक विकास योजना–2017 लागू की गई है। यह योजना 31 मार्च, 2022 तक प्रवृत्त रहेगी। इस योजना में नये तथा विस्तारीकरण के उत्पादक सेवा उद्यमों को प्लाण्ट व मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश 30 प्रतिशत अधिकतम रू0 5 करोड़ का उपादान तथा भवन व मशीनरी के बीमा के प्रीमियम में 5 वर्ष तक शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार औद्योगिक नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक

गतिविधियों एवं अवस्थापना कार्यकलापों को गतिशील बनाये जाने हेतु प्रयासरत है। उद्यमियों के लिये अनुकूल वातावरण का सृजन राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा गत वर्ष आयोजित ''उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट'' के अपने उद्‌बोधन में उत्तराखण्ड को उसके प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति एवं परम्पराओं तथा इस क्षेत्र में उत्तराखण्ड की प्रबल सम्भावनाओं के दृष्टिगत ''स्प्रीचुअल इकोनोमिक जोन'' के रूप में विकसित करने का आह्‌वान किया गया था। विगत वर्षों के राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों के साथ संवाद तथा निवेश प्रोत्साहन के क्षेत्र में राज्य के अनुभवों के आधार पर 6 फोकस क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। मैन्यूफैक्चरिंग के अलावा पर्यटन एवं हॉस्पिटेलिटी, वेलनेस एवं आयुष, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग, वैकल्पिक ऊर्जा (सौर ऊर्जा) एवं भविष्योन्मुख क्षेत्र जैसेः आईटी, फिनटेक, शिक्षा आदि सम्मिलित हैं। ये सैक्टर राज्य की क्षमताओं, पर्यावरण एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चिन्हित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 2020 में वेलनेस समिट का आयोजन प्रस्तावित किया गया था एवं इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई थी। कोच्चि, मुम्बई एवं दिल्ली में रोड शो भी आयोजित किये गये थे एवं निवेशकों का अच्छा रूझान भी दिखा था, लेकिन कोविड–19 के कारण इसे स्थगित करना पड़ा।

अवस्थापना विकास

उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व राज्य में उद्योग विभाग/यूपीएसआईडीसी द्वारा 2116.62 एकड़ भूमि में 46 वृहत/मिनी औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये थे, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्र.सं.	**औद्योगिक आस्थान**	संख्या	**क्षेत्रफल** (एकड़ में)
1	उद्योग विभाग के औद्योगिक आस्थान	30	148.56
2	यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र	16	1968.06
योग		46	2116.62

राज्य सरकार द्वारा लागू नई एमएसएमई नीति–2015 में सूक्ष्म व लघु विनिर्माणक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये भूमि की उचित दरों पर व्यवस्था हेतु भूमि बैंक तथा नये औद्योगिक आस्थानों की स्थापना का प्राविधान किया गया है। इसके दृष्टिगत सूक्ष्म व लघु उद्योगों को अवस्थापना सुविधाओं युक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिये प्रथम चरण में विभाग के 10 मिनी औद्योगिक आस्थानों में से 5 मिनी औद्योगिक आस्थानों यथाः डुण्डा व गवाणा (उत्तरकाशी), भीमतल्ला व कालेश्वर (चमोली) तथा द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में एमएसएमई विभाग द्वारा एवं 5 मिनी औद्योगिक आस्थानों यथाः पुरोला (उत्तरकाशी), मुनस्यारी (पिथौरागढ़), सरोठ (टिहरी), बेतालघाट (नैनीताल) तथा भिकियासैंण (अल्मोड़ा) में सिडकुल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान राज्य सरकार के गठन के उपरान्त राज्य में औद्योगिक निवेश तथा इस हेतु विभिन्न उद्‌देश्यों से निवेशकों को आकर्षित करने हेतु सिडकुल के प्रयास/उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं –

1- वर्ष 2020–21 में सिडकुल के एकीकृत औद्योगिक आस्थानों में 44 औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हुई जिसमें 597 करोड़ रूपयों का निवेश हुआ और 4050 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।
2- सिडकुल की एक नीति मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंन्ट पॉलिसी–2015 के अंतर्गत 04 औद्योगिक इकाईयों द्वारा 882 करोड़ रूपयों का निवेश किया गया ।
3- सिडकुल द्वारा जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड में भारत सरकार प्लास्टिक पार्क योजना के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु आई0आई0ई0 सितारगंज फेज–2 में 40 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।

सिडकुल द्वारा रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, भारत सरकार में जमा की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गई है।

4- उत्तराखण्ड विभिन्न प्रकार की मिट्टी और कृषि जलवायु परिस्थिति से समृद्ध है, जो राज्य को जंगली और सुगंधित प्रजातियों की एक विशाल जैव विविधता वाला केन्द्र बनाता है। काशीपुर, उत्तराखण्ड में लगभग 41 एकड़ के क्षेत्र में राज्य एरोमा पॉलिसी के अंतर्गत एरोमा पार्क विकसित कर आवंटन प्रारंभ कर दिया गया है।

5- हरिद्वार में 101.30 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाईस पार्क विकसित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड में प्रस्तावित मेडिकल डिवाईस पार्क के लिये व्यवहार्यता अध्ययन आन्ध्र प्रदेश के कलॉम इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। यह पार्क भारत सरकार की योजना ''मेडिकल डिवाईस पार्कों को बढ़ावा'' के अंतर्गत विकसित किया जायेगा। सिडकुल द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति हेतु डिपार्टमेन्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, भारत सरकार को मूल्यांकन हेतु भेजा जा चुका है।

6- भारत सरकार की अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/सिडकुल हेतु खुरपिया फार्म में 1002 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य 07 राज्यों के अंतर्गत आने वाले 20 शहरों में एक औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना है, जिसमें एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करना सम्मिलित है।

7- भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा औद्योगिकीकरण और इलैक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाईन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिये इलैक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (संशोधित योजना अप्रैल, 2020) में लागू की गयी है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इसी क्रम में एकीकृत औद्योगिक आस्थान जिला ऊधमसिंहनगर में 102 एकड़ भूमि ई0एम0सी0 हेतु चिन्हित की गयी है। सिडकुल द्वारा इस विषय में हितधारकों से एक वेबिनार के माध्यम से गहन चर्चा की गयी। साथ ही, ई0एम0सी में एंकर यूनिट को आकर्षित करने हेतु एक ई0ओ0आई0 भी जारी किया गया है।

8- सिडकुल द्वारा मदन नेगी, टिहरी गढ़वाल में होटल/रिसोर्ट/वैलनेस रिसोर्ट स्थापित करने हेतु दो प्लॉट उपलब्ध है। मदन नेगी में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु इस विषय में प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आर0एफ0पी0) जारी किया जा चुका है।

9- प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन हेतु एरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी प्रख्यापित की गई है। मेक इन इण्डिया के अंतर्गत निहित उद्दश्यों की प्राप्ति तथा इस क्षेत्र में भी एमएसएमई इकाईयों की स्थापना के दृष्टिगत डिफेन्स क्षेत्र के ले0 कर्नल के स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जो रक्षा उत्पादन से जुडी इकाईयों से आवश्यक समन्वय व सहयोग प्रदान करेंगे।

फाईल किये गये उद्योग आधार मैमोरेण्डम/उद्यम रजिस्ट्रीकरण का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	उद्योग आधार मैमोरेण्डम (18 सितम्बर, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक)			उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रीकरण (वर्ष 2020–21)			अब तक फाईल किये गये कुल उद्योग आधार		
		स्थापित उद्यमों की संख्या	**रोजगार**	**पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)**	**स्थापित उद्यमों की संख्या**	**रोजगार**	**पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)**	**स्थापित उद्यमों की संख्या**	**रोजगार**	**पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)**
1	नैनीताल	1213	7275	524.24	291	887	138.50	1504	8162	662.740
2	उधमसिंहनगर	2432	14214	753.80	629	3950	95.47	3061	18164	849.268
3	अल्मोड़ा	941	3286	124.14	296	1002	25.04	1237	4288	149.179
4	पिथौरागढ़	812	2066	54.25	213	653	14.42	1025	2719	68.672
5	बागेश्वर	587	1596	30.80	154	514	11.62	741	2110	42.420
6	चम्पावत	585	1994	47.26	154	760	9.45	739	2754	56.706
7	देहरादून	1891	15170	549.29	489	4171	247.29	2380	19341	796.580
8	पौड़ी	1483	8881	299.68	403	1823	74.55	1886	10704	374.230
9	टिहरी	979	4355	160.79	363	1284	36.02	1342	5639	196.806
10	चमोली	670	2310	39.91	179	482	8.95	849	2792	48.860
11	उत्तरकाशी	694	2094	43.53	180	542	17.67	874	2636	61.200
12	रूद्रप्रयाग	596	1915	40.66	238	744	17.43	834	2659	58.090
13	हरिद्वार	2641	30693	1044.28	680	5345	149.93	3321	36038	1194.210
योग :-		**15524**	**95849**	**3712.63**	**4269**	**22157**	**846.34**	**19793**	**118006**	**4558.961**

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की स्थिति

उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व प्रदेश में 14,163 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयॉ स्थाई रूप से पंजीकृत थी, जिनमें रू0 700.29 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 38,509 लोगों को रोजगार उपलब्ध था। राज्य गठन के पश्चात् से माह 31 मार्च, 2021 तक 68888 लघु, सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों द्वारा लघु स्तरीय उद्योग के रूप में स्थाई पंजीकरण तथा उद्यमिता ज्ञापन भाग–2/ उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रीकरण फाइल किये गये हैं, जिनमें रू0 14463.06 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 3,46,441 लोगों को रोजगार दिया गया है। लघु स्तरीय उद्योग तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के रूप में जिला उद्योग केन्द्रों में पंजीकृत/उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 फाइल/उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रीकरण करने वाले उद्यमों का विवरण निम्नवत् है :–

जनपद	दिनांक 8–11–2000 तक (राज्य गठन के समय) स्थापित लघु स्तरीय उद्यम			राज्य गठन के पश्चात् दिनांक 9–11–2000 से माह 31 मार्च, 2021 तक स्थापित उद्यम			कुल स्थापित उद्यम		
	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू. में)	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू. में)	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू. में)
नैनीताल	816	3513	158.36	4025	18893	1070.308	**4841**	**22406**	**1228.668**
उद्यमसिंहनगर	804	4899	233.71	8179	65702	4323.097	**8983**	**70601**	**4556.807**
अल्मोड़ा	904	1846	17.78	3674	9357	232.081	**4578**	**11203**	**249.861**
पिथौरागढ़	534	1013	5.85	2970	7289	116.291	**3504**	**8302**	**122.141**
बागेश्वर	387	607	2.04	1686	4236	77.021	**2073**	**4843**	**79.061**
चम्पावत	147	322	4.95	1719	5067	93.382	**1866**	**5389**	**98.3322**
देहरादून	2321	7232	88.01	7127	52795	1615.524	**9448**	**60027**	**1703.534**
पौड़ी	1720	4196	28.39	5055	20461	586.671	**6775**	**24657**	**615.061**
टिहरी	1025	2413	14.44	3984	12699	337.589	**5009**	**15112**	**352.029**
चमोली	844	1154	5.45	2724	6876	112.467	**3568**	**8030**	**117.917**
उत्तरकाशी	1734	2364	10.6	2680	6602	124.986	**4414**	**8966**	**135.586**
रूद्रप्रयाग	394	737	7.2	1931	5582	124.635	**2325**	**6319**	**131.835**
हरिद्वार	2533	8213	123.51	8971	92373	4948.719	**11504**	**100586**	**5072.229**
योग :-	**14163**	**38509**	**700.29**	**54725**	**307932**	**13762.771**	**68888**	**346441**	**14463.061**

कार्यरत् वृहत उद्योगों की अद्यतन स्थिति

प्रदेश में मार्च, 2021 तक कार्यरत् वृहत उद्योगों की संख्या 329 है, जिनमें रू. 37,957.94 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 1,11, 451 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। जनपदवार कार्यरत् स्थापित वृहत उद्योगों की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र. सं.	जनपद	कार्यरत् इकाईयां		
		संख्या	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू. में)	रोजगार
1	देहरादून	23	604.06	4753
2	हरिद्वार	124	18047.33	58224
3	ऊधमसिंहनगर	174	15458.39	44106
4	नैनीताल	3	3669.01	3469
5	पौड़ी	3	116.86	784
6	उत्तरकाशी	1	8.10	19
7	चमोली	1	54.19	96
	योग :-	**329**	**37957.94**	**111451**

राज्य में कार्यरत वृहत उद्योगों की स्थिति

विवरण	संख्या	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू0 में)	रोजगार
उत्तराखण्ड राज्य बनने से पूर्व (प्रारम्भ से 8–11–2000 तक)	39	8369.78	29197
उत्तराखण्ड राज्य बनने से अब तक (9–11–2000 से मार्च, 2021 तक)	290	29588.16	82254
योग :-	**329**	**37957.94**	**111451**

माटी कला बोर्ड

प्रदेश सरकार द्वारा कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों के व्यवसाय में वृद्धि एवं आर्थिक उन्नति के लिए माटी कला व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य सम्बन्धी कुटीर उद्योग के समुचित महत्व को पारम्परिक शिल्पकला के संरक्षण के साथ ही शिल्पियों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता कौशल विकसित करने हेतु तथा कारीगरों को तकनीकी कौशल, आर्थिक सहायता एवं विपणन के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड माटी कला बोर्ड" का गठन किया गया।

बोर्ड के कार्य :

- माटी कला उद्योगों से सम्बन्धित अधोसंरचना की सुविधाएं यथा–बिजली पानी, सड़क आदि की व्यवस्था एवं औद्योगिक क्षेत्रों में शेड आवंटन हेतु सुझाव देना।
- टैक्स, खनिज रायल्टी आदि पर युक्तियुक्त नीति बनाना।
- संस्थागत वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना।
- तकनीकी सहायता हेतु मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराना।
- उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु मेला–प्रदर्शनियों में प्रतिभाग कराना।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में उत्तराखण्ड माटी कला बोर्ड में नियुक्त उपाध्यक्ष महोदय के मौथरावाला, देहरादून स्थित आवास कम कैम्प कार्यालय में दिनांक 4–10–2020 को मा0 मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में माटी कला से जुड़े शिल्पियों को 60 विद्युत चालित चाक वितरित की गई। माटी कला शिल्पियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा माटी कला शिल्पियों हेतु 200 मिट्टी गौंथने की मशीनें वितरित किये जाने की घोषणा की गई, जिसकी घोषणा सं0–15/2021 दिनांक 11–2–2021 को उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त हुई है। माटी कला शिल्पियों के उत्थान हेतु जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की में माटी कला प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–14/2021 तथा माटी कला शिल्पियों हेतु मिट्टी की व्यवस्था किये जाने हेतु घोषणा सं0–16/2021 दिनांक 11–2–2021 उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त हुई है।

हथकरघा योजनायें हथकरघा एवं हस्तशिल्प योजनायें (विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की योजनायें) :–

एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना **(Integrated Development and Promotion of Handicrafts)**

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के शिल्पियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 11 जनपदों के 15 विकासखण्डों के 24300 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिल्पियों को विभिन्न शिल्पों में प्रोत्साहित किये जाने हेतु वर्ष 2014–15 में परियोजना स्वीकृत की गई है।

योजनान्तर्गत 11 जनपदों के 15 विकासखण्डों में दो माह की 144 एवं पांच माह की 38 डिजाइन वर्कशॉप आयोजित की गई हैं जिनमें 5,840 शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिल्पियों द्वारा उत्पादित किये गये उत्कृष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचित कराने के उद्देश्य से बायर सेलर मीट, लोकल लेविल मार्केटिंग वर्कशॉप, राज्य स्तरीय विपणन कार्यशाला तथा राज्य स्तर पर 08 प्रदर्शनियां आयोजित की गयी। सभी 15 ब्लॉकों में शिल्पियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु

सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं जिनमें मशीन एवं उपकरण स्थापित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

औद्योगिक विकास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की रणनीति तथा कार्ययोजना के मुख्य बिन्दु

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

1- राज्य में औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये भारत सरकार से अपेक्षित सहायता तथा सुविधाओं के लिये निरन्तर प्रयास किया जायेगा।

2- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन, अवस्थापना सुविधा विकास, संस्थागत सहयोग तथा विपणन सहायता प्रदान कर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, हथकरघा–हस्तशिल्प तथा खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।

3- महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं में उद्यमिता तथा कौशल विकास का सृजन एवं हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के उत्पादों को प्रतिस्पर्धी विपणन सुविधा।

4- उत्तराखण्ड की लैण्ड लीजिंग पॉलिसी के अन्तर्गत ऑनलाईन व्यवस्था का क्रियान्वयन।

5- उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था के अंतर्गत उद्यम स्थापना हेतु वांछित स्वीकृतियों/ अनुमोदनों/ अनुज्ञापन आदि के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण। उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था उत्तराखण्ड की लैण्ड लीजिंग पॉलिसी का प्रचार–प्रसार/प्रभावी क्रियान्वयन।

6- केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये औद्योगिक विकास योजना–2017 के अंतर्गत राज्य की अधिकाधिक ईकाईयों को लाभान्वित किये जाने का प्रयास।

7- राज्य की सभी न्याय पंचायतों में ग्रोथ सेंटर योजना का क्रियान्वयन।

8- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत राज्य में स्थापित फार्मा एवं ऑटो क्लस्टर इकाईयों को योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने के तारतम्य में क्लस्टर विकास योजना का संचालन विभिन्न चरणों में किया जायेगा।

9- प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिये तथा पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जायेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित मिनी औद्योगिक आस्थानों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

10- उद्योग मित्र का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा इसके अधीन जनपदों में जिला उद्योग केन्द्रों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिये जिला उद्योग मित्र की बैठकों का आयोजन प्रभावी रूप से किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठकों का भी समय–समय पर आयोजन किया जायेगा, जिससे उद्यमियों की समस्याओं का निरन्तर निवारण किया जा सके।

11- प्रदेश में स्टार्टअप नीति के तहत तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन को प्रदेश में ही निवेश अनुकूल वातावरण तैयार कर नवोन्मेषी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

12- ''ईज आफ डूईंग बिजनेस'' के अन्तर्गत राज्य में निवेश प्रोत्साहन हेतु ''निवेश प्रोत्साहन सुविधा केन्द्र'' के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा उद्यमियों को परामर्श दिया जा रहा है।

13- राज्य में युवाओं को उद्यम के स्थापनार्थ मार्ग–निर्देशन एवं तकनीकी/प्रबन्धकीय सहायता प्रदान किए जाने

के उद्देश्य से उत्तराखण्ड मेंटरशिप कार्यक्रम की ऑनलाईन शुरूआत की गई है। पोर्टल के माध्यम से उद्यम स्थापना की इच्छा रखने वाले युवा बैंकिंग, प्रबन्धन, वित्त, तकनीक, विपणन आदि क्षेत्रों में विशेष सलाह ऑनलाईन निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

14- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अधिनियम–2006 के अध्याय–5 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में गठित लघु एवं सूक्ष्म उद्यम परिषद नियमावली–2018 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये आगामी वर्षों में इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर अधिक से अधिक लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लम्बित देयकों से सम्बन्धित वादों का निस्तारण कर उनके हितों की रक्षा किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

15- देहरादून में **Central Institute of Plastics and Engineering Technology (CIPET)** की स्थापना की गई है, जिसमें डिप्लोमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

16- प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता तथा प्रमाणित उत्पादों की पहचान स्थापित कर कृषि, बागवानी या गैर कृषि उत्पाद अथवा आर्थिक गतिविधियों वाले भौगोलिक क्षेत्र के रूप में पहचान करते हुये तेजी से आर्थिक विकास को गति प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत सभी तरह के खाद्य औद्योगिक विकास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड उत्पाद, बेमौसमी सब्जियां, मसाले, जड़ी–बूटी, औषधीय पौंध, शहद उत्पाद, पुष्प, प्राकृतिक रेशे, ऊन, रेशम, कण्डाली, भीमल आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा।

17- स्वरोजगार एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वय।

18- माटी कला बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के माटी शिल्पियों, कुम्हारों को विद्युत चालित चॉक वितरित किये जायेंगे व विभिन्न प्रकार के मेलों में अपने उत्पादों के विपणन हेतु प्रोत्साहन।

19- उत्तराखण्ड़ राज्य शिल्प रत्न पुरष्कार योजना के तहत 05 विशिष्ट शिल्पियों को पुरष्कार।

20- हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के प्रमुख यात्रा मार्गो, पर्यटन केन्द्रों में ''हिमाद्रि'' एम्पोरियम स्थापित किये गये हैं तथा अन्य पर्यटक स्थलों पर इनकी स्थापना का कार्य गतिमान है। इन्हें सुदृढ़ करते हुये स्थानीय उत्पादों से निर्मित वस्तुओं, हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन व्यापक स्तर पर किये जाने के उद्देश्य से ग्रामीण हाट स्थापित किये जा रहे है।

21- हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास हेतु भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ लिया जा रहा है एवं आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के माध्यम से सर्वांगीण विकास हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हथकरघा कलस्टर तथा स्वैच्छिक संस्थाओं विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं व राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग के माध्यम से सर्वांगीण सहायता प्रदान करने हेतु नियमित प्रयास किये जायेंगे।

22- महिला शिल्पियों की उत्पादकता एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उन्नत डिजाइन एवं गुणवत्ता सुधार का प्रशिक्षण प्रदान करते हुये उनकी जीविका एवं आय में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ महिला शिल्पियों को मास्टर क्राफ्टमैन के रूप में प्रशिक्षित कर शिल्पों के उन्नयन में रोजगार से जोड़ा जायेगा।

ग्रामोद्योग

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड परिचय

उत्तराखण्ड बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकार व जनता के मध्य सामंजस्य रखते हुए बोर्ड की योजनाओं को लागू करना है, खादी एवं ग्रामोद्योग सैक्टर के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगार युवक–युवतियों को उनकी अभिरूचि के अनुरूप स्वरोजगार स्थापनार्थ भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से प्राप्त योजनाओं से तकनीकी कौशल/विकास प्रशिक्षण उपरान्त बैंकों के माध्यम से वित्त की व्यवस्था की जाती है व उत्पादित माल के विपणन में समुचित सहयोग दिया जाता है।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग सैक्टर के अन्तर्गत मुख्यतः दो योजनाएं संचालित की जा रही थी। जिसमें से व्यक्तिगत व्याज उपादान योजना (राज्य सरकार) को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में बन्द कर दिया गया है। व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना अन्तर्गत विगत वर्षो में वित्तपोषित उद्यमियों को व्याज उपादान की धनराशि का भुगतान करने हेतु जिला योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा धनरशि उपलब्ध कराई जा रही है।

(अ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पी0एम0ई0जी0पी0)।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना – वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर के अन्तर्गत क्रमशः 41, 39, 39, 39, 39, 42 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 37, 53, 43, 55, 76, 29 पूर्ति व बैंकों द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 (लाख में) 304.07, 262.86, 391.77, 346.49, 315.57, 359.91 लाख के सापेक्ष क्रमशः रू0 (लाख में) 92.05, 80.33, 92.73, 102.68, 93.25, 100.86 लाख मार्जिन मनी वितरित कर क्रमशः 330, 178, 231, 297, 303, 361 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

ब्याज उपादान योजना – वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, जिला योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि क्रमशः 1.38, 1.10, 11.00, 1.75, 1.20, 1.50 लाख रूपये विगत पॉच वर्षों में वित्तपोषित उद्यमियों के पक्ष में ब्याज उपादान के रूप में व्यय की गई।

इस प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर में क्रमशः 330, 178, 231, 297, 303, 361 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

खादी वस्त्रों की बिक्री – वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर के अन्तर्गत क्रमशः 02, 01, 03, 00, 02, 21 संस्था/समितियों द्वारा क्रमशः

रू0 433.95, 5.80, 205.76, 0.00, 39.10, 1820.95 (लाख में) लाख की बिक्री कर क्रमशः रू0 (लाख में) 40.60, 0.58, 18.56, 0.00, 3.84, 182.71 लाख प्रान्तीय रिवेट उपलब्ध कराया गया है।

कौशल विकास प्रशिक्षण – वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद उधमसिंह नगर में 60 व्यक्तियों को खादी कताई का प्रशिक्षण क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) अल्मोड़ा एवं उधम सिंह नगर के मार्गदर्शन में दिया गया प्रशिक्षण में 06 कुन्तल रुई दी गयी जिसकी कीमत रु0 1.50 लाख है, प्रशिक्षण में सम्बन्धित अन्य सभी खर्च लगाकर कुल रू0 2,91,750.00 व्यय हुआ।

अध्याय – 13

विद्युत

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 कुमाऊँ क्षेत्र हल्द्वानी के अन्तर्गत जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं ऊधमसिंह नगर (आंशिक भाग) सम्मिलित है। कुमाऊँ क्षेत्र उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु दृढ़संकल्प है। इसके अतिरिक्त शत–प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करना, टी0 एण्ड डी0 एवं ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना तथा विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने हेतु सघन चैंकिग एवं एफ0आई0आर0 की कार्यवाही करना कुमाऊँ क्षेत्र के मुख्य कार्यो की प्राथमिक्ता में सम्मिलित है। कुमाऊँ क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 6,85,704 विद्युत उपभोक्ता है जिनमें घरेलू 6,00,606 वाणिज्यिक 67,107 कृषि 11,831 औद्योगिक 4,460, सरकारी (जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई व स्ट्रीट लाईट) एवं अन्य 1,700 उपभोक्ता सम्मिलित है।

1. मार्च 2022 कुल 87 नग 33/11 केवी विद्युत उपसंस्थान स्थापित है, जिनकी क्षमता 1029.50 एमवीए है।
2. मार्च 2022 स्थापित विद्युत लाईनें निम्न प्रकार हैं :

33 केवी लाईन	1477.999 किमी
11 केवी लाई	12116.565 किमी
एल0टी0 लाईन	17032.105 किमी

वित्तीय वर्ष 2021–22 में विद्युत मांग 3156.753 एम0यू0 के सापेक्ष आपूर्ति 3156.753 एम0यू0 रही जो कि 100 % है।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत एक विद्युत वितरण मण्डल कार्यालय हल्द्वानी में स्थापित है जिसके अधीन तीन विद्युत वितरण खण्ड क्रमशः विद्युत वितरण खण्ड नैनीताल, विद्युत वितरण खण्ड रामनगर, विद्युत वितरण खण्ड हल्द्वानी (नगर), विद्युत वितरण खण्ड हल्द्वानी (ग्रामीण) एवं एक विद्युत परीक्षण खण्ड कार्यरत है। विद्युत वितरण मण्डल, हल्द्वानी के अन्तर्गत कुल 2,78,633 विद्युत उपभोक्ता है जिनमें घरेलू 2,41,096 वाणिज्यिक 34,318 कृषि 703 औद्योगिक 1,377, सरकारी (जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई व स्ट्रीट लाईट) एवं अन्य 1,139 उपभोक्ता सम्मिलित है।

1. मार्च 2022 कुल 30 नग 33/11 केवी विद्युत उपसंस्थान स्थापित है, जिनकी क्षमता 409.00 एमवीए है।
2. मार्च 2022 स्थापित विद्युत लाईनें निम्न प्रकार हैं :

33 केवी लाईन	435.592 किमी
11 केवी लाई	3099.954 किमी
एल0टी0 लाईन	4979.611 किमी

वित्तीय वर्ष 2021–22 में विद्युत मांग 929.606 एम0यू0 के सापेक्ष आपूर्ति 929.606 एम0यू0 रही जो कि 100 % है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत एक विद्युत वितरण मण्डल कार्यालय काशीपुर में स्थापित है जिसके अधीन तीन विद्युत वितरण खण्ड क्रमशः विद्युत वितरण खण्ड काशीपुर, विद्युत वितरण खण्ड जसपुर, विद्युत वितरण खण्ड बाजपुर एवं एक विद्युत परीक्षण खण्ड कार्यरत है। विद्युत वितरण मण्डल, काशीपुर के अन्तर्गत कुल 1,72,486 नग विद्युत उपभोक्ता है जिनमें घरेलू 1,41,031 नग, वाणिज्यिक 17,767 नग, कृषि 11,121 नग, औद्योगिक 2,334 नग, सरकारी (जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई व स्ट्रीट लाईट) एवं अन्य 233 नग उपभोक्ता सम्मिलित है।

1 मार्च 2022 कुल 22 नग 33/11 केवी विद्युत उपसंस्थान स्थापित है, जिनकी क्षमता 409.50 एमवीए है।

2 मार्च 2022 स्थापित विद्युत लाईनें निम्न प्रकार हैं :

33 केवी लाईन	310.177 किमी
11 केवी लाई	2321.220 किमी
एल0टी0 लाईन	2145.260 किमी

वित्तीय वर्ष 2021–22 में विद्युत मांग 1957.831 एम0यू0 के सापेक्ष आपूर्ति 1957.831 एम0यू0 रही जो कि 100 % है।

जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत एक विद्युत वितरण मण्डल कार्यालय रानीखेत में स्थापित है जिसके अधीन चार विद्युत वितरण खण्ड क्रमशः विद्युत वितरण खण्ड रानीखेत, विद्युत वितरण खण्ड भिकियासैण, विद्युत वितरण खण्ड अल्मोड़ा, विद्युत वितरण खण्ड बागेश्वर एवं एक विद्युत परीक्षण खण्ड कार्यरत है। जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत (विद्युत वितरण खण्ड, रानीखेत, विद्युत वितरण खण्ड, भिकियासैण एवं विद्युत वितरण खण्ड, अल्मोड़ा) कुल 1,63,181 नग विद्युत उपभोक्ता है जिनमें घरेलू 1,51,765 नग, वाणिज्यिक 10,745 नग, कृषि 07

नग, औद्योगिक 404 नग, सरकारी (जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई व स्ट्रीट लाईट) एवं अन्य 260 नग उपभोक्ता सम्मिलित है।

1. मार्च 2022 तक कुल 26 नग 33/11 केवी विद्युत उपसंस्थान स्थापित है, जिनकी क्षमता 163.50 एमवीए है।
2. मार्च 2022 तक स्थापित विद्युत लाईनें निम्न प्रकार हैं :

33 केवी लाईन	545.650 किमी
11 केवी लाईन	4970.365 किमी
एल0टी0 लाईन	7581.500 किमी

वित्तीय वर्ष 2021–22 में विद्युत मांग 200.952 एम0यू0 के सापेक्ष आपूर्ति 200.952 एम0यू0 रही जो कि 100% है।

जनपद बागेश्वर विद्युत वितरण मण्डल कार्यालय रानीखेत के अधीन सम्मिलित है जिसके अन्तर्गत (विद्युत वितरण खण्ड बागेश्वर में) कुल 71,404 नग विद्युत उपभोक्ता है जिनमें घरेलू 66,714 नग, वाणिज्यिक 4,277 नग, कृषि 0 नग, औद्योगिक 345 नग, सरकारी (जल संस्थान, जल निगम, ऐरीगेशन व स्ट्रीट लाईट) एवं अन्य 68 नग उपभोक्ता सम्मिलित है।

1. मार्च 2022 कुल 9 नग 33/11 केवी विद्युत उपसंस्थान स्थापित है, जिनकी क्षमता 47.50 एमवीए है।
2. मार्च 2022 स्थापित विद्युत लाईनें निम्न प्रकार हैं :

33 केवी लाईन	186.580 किमी
11 केवी लाई	1725.026 किमी
एल0टी0 लाईन	2325.734 किमी

वित्तीय वर्ष 2021–22 में विद्युत मांग 69.364 एम0यू0 के सापेक्ष आपूर्ति 39.364 एम0यू0 रही जो कि 100 % है।

पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पी.टी.सी.यू.एल.)

"विद्युत" आधुनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गयी हैं। देश के आर्थिक विकास में विद्युत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संचार, परिवहन, मनोरंजन, कृषि, औद्योगिकरण के अतिरिक्त घरेलू उपयोग में विद्युत का उपभोग अनिवार्य होता जा रहा है। विद्युत व्यवस्था के निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता की आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल में पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पी.टी.सी.यू.एल.) का क्षेत्रीय कार्यालय 220 के0वी0 उपकेन्द्र परिसर कमलुवागांजा, हल्द्वानी में स्थित है जिसके अन्तर्गत 02 मण्डल स्तरीय कार्यालय हल्द्वानी एवं काशीपुर में स्थित है। हल्द्वानी मण्डल के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय कार्यालय

हल्द्वानी, पन्तनगर, सितारगंज एवं अल्मोड़ा तथा काशीपुर मण्डल के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय कार्यालय 400 के0वी0 काशीपुर, 132 के0वी0 काशीपुर एवं महुवाखेड़ागंज में स्थित हैं।

कुमाऊँ क्षेत्र में पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पी.टी.सी.यू.एल.) द्वारा वर्तमान में कुल 19 विद्युत उपकेन्द्रों का संचालन किया जा रहा हैं जो कि कुमाऊँ मण्डल के विभिन्न जनपदों – ऊधमसिंह नगर में (400 के0वी0 का एक, 220 के0वी0 के तीन एवं 132 के0वी0 के सात) कुल 11 उपकेन्द्र, नैनीताल में (220 के0वी0 का एक एवं 132 के0वी0 के तीन) कुल 4 उपकेन्द्र, अल्मोड़ा में 132 के0वी0 के 2 उपकेन्द्र, बागेश्वर में 132 के0वी0 का 1 नवनिर्मित नवीनतम तकनीक GIS पर आधारित उपकेन्द्र एवं पिथौरागढ़ मे 132 के0वी0 का 1 उपकेन्द्र में स्थित है जिनकी कुल क्षमता 3442 एम0वी0ए0 हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अन्तर्गत 1268.265 कि0मी0 (202.214 कि0मी0 –400 के0वी0, 281.310 कि0मी0–220 के0वी0 एवं 784.741 कि0मी0– 132 के0वी0) उच्च विभव की पारेषण लाईनों का अनुरक्षण एवं परिचालन भी पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पी.टी.सी.यू.एल.) की कुमाऊँ इकाई द्वारा किया जा रहा है।

विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार लाने एवं बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए जनपद चम्पावत के लोहाघाट में 2X20 एम0वी0ए0 क्षमता का एक 132 के0वी0 उपकेन्द्र एवं 41.347 कि0मी0 132 के0वी0 पिथौरागढ–लोहाघाट लाईन, जनपद पिथौरागढ़ के बरम (जौलजीवी) में 2X25 एम0वी0ए0 क्षमता का एक 220 के0वी0 उपकेन्द्र एवं 21.956 कि0मी0 220 के0वी0 धौलीगंगा–पिथौरागढ (पावरग्रिड) लाईन का बरम उपकेन्द्र में लिलो लाईन का निर्माण भी किया जा रहा हैं।

कुमाऊँ क्षेत्र में ओवरलोडिंग की समस्या को दूर करने के लिए 220 के0वी0 उपकेन्द्र हल्द्वानी, 132 के0वी0 उपकेन्द्र जसपुर एवं 132 के0वी0 उपकेन्द्र किच्छा प्रत्येक उपकेन्द्रों में 01 अतिरिक्त 40 एम0वी0ए0 132/33 के0वी0 परिवर्तकों को स्थापित कर क्रमशः दिनांक 31/12/2021, 28/10/2021 एवं 07/01/2022 को ऊर्जीकृत कर दिया गया है।

पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पी.टी.सी.यू.एल.) कुमाऊँ क्षेत्र के अन्तर्गत निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति हेतु कृत संकल्प हैं जिसे प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में पी.टी.सी.यू.एल. की विद्युत उपलब्धता लगभग 99.69 प्रतिशत हैं एवं पारेषण हानियां 0.76 प्रतिशत है।

जल विद्युत

विभाग का परिचय एवं विस्तार

पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन ऊर्जा सुधार एवं अन्तरण अधिनियमों के अन्तर्गत 2000 में हो गया था। फलस्वरूप जल विद्युत निगम, पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं पारेषण निगम का सृजन हुआ। उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद 09.11.2001 से उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड क्रियाशील हुआ। कालान्तर में, जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में कार्य करने के उद्देश्य से यूजेवीएन लिमिटेड की स्थापना की गयी। वर्तमान में यूजेवीएन

लिमिटेड दिनांक 04.04.2011 से प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं उत्पादन के अतिरिक्त सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं पर भी कार्यरत है एवं गैस चलित ताप विद्युत परियोजनाओं एवं कोल ब्लाक आवंटन क्षेत्र में भी प्रयासरत है। सम्पूर्ण कुमाऊॅ मण्डल क्षेत्र में लघु, मध्यम, बृहद परियोजनाओं के विकासार्थ पिथौरागढ़ में मण्डल कार्यालय क्रियाशील है एवं अधिशासी अभियन्ताओं के कार्यालय मुनस्यारी एवं धारचूला में स्थापित है।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का वित्तीय पोषण

उत्तराखण्ड सरकार के नीतियों के अनुरूप पूर्ववर्ती खण्ड धारचूला एवं थल के अन्तर्गत उत्पादनरत कुल 11.33 मे0वा0 क्षमता की 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को हस्तान्तरित कर दी गयी थी। जिसमें से 4 मे0वा0 की कंचोटी, 0.8 मे0वा0 की तपोवन एवं 1.2 मे0वा0 की कूलागाड परियोजना पुर्ननिर्माण हेतु वापिस ले ली गयी है। वर्तमान में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है :–

1. तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 2X2.5 मे0वा0 सुरिनगाड़ द्वितीय चरण लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य जून–2021 में पूर्ण कर लिया गया है। यूपीसीएल से कनेक्टिविटी प्रतीक्षित है।
2. 12 मे0वा0 तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला की डी0पी0आर0 पूर्ण एवं लैण्ड केस की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।
3. 15 मे0वा0 पैनागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील मुनस्यारी की डी0पी0आर0 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है एवं लैण्ड केस का कार्य गतिमान है।
4. 12 मे0वा0 जिम्बागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील मुनस्यारी की डी0पी0आर0 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है एवं लैण्ड केस का कार्य गतिमान है।
5. 4 मे0वा0 कंचोटी लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला की डी0पी0आर0 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है एवं लैण्ड केस का कार्य गतिमान है।
6. 1.2 मे0वा0 कूलागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला की डी0पी0आर0 निर्माण हेतु डिस्चार्ज मापन का कार्य गतिमान है।
7. 202 मे0वा0 की सेलाउथिंग जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला– अनुसंधान एवं नियोजन चरण में है।
8. 120 मे0वा0 सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना, तहसील मुनस्यारी– अनुसंधान एवं नियोजन तथा डी0पी0आर0 स्वीकृति के अंतिम चरण में है।

उपरोक्त सभी परियोजनाओं (सुरिंगाड–II के अतिरिक्त) का वित्तीय पोषण अभी तक निगम के आन्तरिक संसाधनों द्वारा किया जा रहा है।

विभागीय कार्यों पर गत वर्षों के सापेक्ष प्रगति एवं समीक्षात्मक आलेख

जून 2013 को आयी प्राकृतिक आपदा के चलते कुमाऊॅ मण्डल में उत्पादनरत परियोजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं को अभूतपूर्व क्षति पहुॅची। प्राकृतिक आपदा के उपरान्त यथा सम्भव प्रयास करते हुये सुरिनगाड़ द्वितीय चरण लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2019–20 की भौतिक प्रगति 90 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2020–21 की समाप्ति पर लगभग 99 प्रतिशत निर्माण कार्य कर लिए गये हैं। माह जून 2021 में परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये थे, यूपीसीएल से कनेक्टिविटी प्रतीक्षित है। तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना, की डी0पी0आर0

बोर्ड द्वारा अनुमोदित है एवं लैंड केस की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। सेलाउर्थिंग एवं सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजनाओं के अनुसंधान एवं नियोजन संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। 1.2 मे0वा0 की कूलागाड़ परियोजना का जीर्णोंधार हेतु डी0पी0आर0 निर्माण का कार्य गतिमान है। वर्ष 2019–20 में 15 मे0वा0 की पैनागाड़ परियोजना, 4 मे0वा0 की कंचोटी परियोजना एवं 12 मे0वा0 की जिम्बागाड़ परियोजनाओं की डी0पी0आर0 का अनुमोदन निदेशक मण्डल से प्राप्त कर लिया गया है, वर्तमान में लैण्ड केस का कार्य गतिमान है।

विभागीय समस्या

नवीन परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों पर विभिन्न स्तर पर औपचारिकता पूर्ण करने में समस्या आती है। निर्माण प्रारम्भ होने के बाद भी स्थानीय कारणों से कार्य बाधित होता है। परियोजना निर्माण की अवधि बढ़ने से लागत तो बढ़ती है तथा कार्य विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण उत्पादन राजस्व की भी हानि होती है। कार्ययोजना का लाभ जनता को देर से प्राप्त हो पाता है।

विभागीय समस्याओं हेतु सुझाव

प्रगति समीक्षा बैठकों के दौरान बहस किये गये मुद्दों के कार्यवृत्त पर निश्चित समयावधि के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग से कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाना आवश्यक है। कोई नई समस्या आती है तो विभागों को बैठकों के जरिये समयबद्ध तरीके से कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा। जनपद स्तर पर सीधे जिलाधिकारी के माध्यम से भी समन्वय कर समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर अपेक्षित विकासात्मक प्रगति प्राप्त की जा सकती है।

रोजगार सृजन

परियोजनाओं के निर्माण एवं कमीशिनिंग के उपरान्त उत्पादन हेतु परिचालकीय वर्ग के कार्मिकों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में आउट सोर्सिंग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) से कार्मिकों को अनुबन्धित कर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, एवं स्थानीय ठेकेदारों द्वारा भी बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। नियमानुसार मृतक आश्रितों को भी रोजगार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया सम्पादित करते हुये भी रोजगार प्रदान किये जाते हैं।

अध्याय – 14

मार्ग परिवहन तथा संचार

आर्थिक विकास तथा जनजीवन के स्तर को उन्नत करने में मार्ग परिवहन तथा संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा जनजीवन के समग्र विकास में सड़कें एवं परिवहन प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। इनके अतिरिक्त इसके द्वारा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। संचार साधनों द्वारा पारस्परिक सम्पर्क की सुविधा प्राप्त होने के अतिरिक्त जीवन अधिक सुविधापूर्ण एवं मनोरम बनता है।

वर्ष 2021–22 तक इस मण्डल में कुल सड़कों की लम्बाई निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	मद	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
i	राष्ट्रीय राजमार्ग	किमी0	229.45	128.4	117	204	76	125	879.85
ii	प्रादेशिक राजमार्ग	किमी0	684.48	661.54	356	238.57	111.84	258.92	2311.35
iii	मुख्य जिला सड़कें	किमी0	634.23	227.75	218	194.65	157.65	125.5	1557.78
iv	अन्य जिला सड़कें	किमी0	314.6	111.01	448.82	157.52	120.85	25.04	1177.84
v	ग्रामीण सड़कें	किमी0	3059.34	2740.37	384.18	1775.76	751.99	777	9488.64
vi	हल्का वाहन मार्ग	किमी0	27.72	87.16	--	--	5	42.42	162.30
vii	सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत मोटर सड़कें	किमी0	--	--	149.11	--	115.3	120	384.41
viii	जिला पंचायत	किमी0	--	292	--	529.25	--	--	821.25
ix	शहरी स्थानीय निकाय तथा अन्य	किमी0	16.45	156.78	47.46	994.64	--	55.04	1270.37
x	सिंचाई विभाग	किमी0	--	147.56	--	650.43	--	--	797.99
xi	गन्ना विभाग	किमी0	--	49.08	--	416.23	--	--	465.31
xii	वन विभाग	किमी0	119.59	677.84	11.3	0	1.2	252.31	1062.24

प्रतिलाख जनसंख्या पर कुमाऊँ मण्डल में पक्की सड़कों की लम्बाई 478.06 किमी0 है। कुमाऊँ मण्डल के जनपदों में प्रतिलाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई चम्पावत में 669.68 किमी0, नैनीताल में 543.92 किमी0, अल्मोड़ा में 812.54 किमी0, पिथौरागढ़ में 358.24 किमी0, बागेश्वर में 513.60 किमी0 तथा ऊधमसिंह नगर 313.00 किमी0 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कुमाऊँ मण्डल में प्रति हजार वर्ग किमी0 पर पक्की सड़कों की लम्बाई 961.16 किमी0 है। कुमाऊँ मण्डल के जनपदों में ऊधमसिंह नगर में 2030.31 किमी0, नैनीताल में 1221.44 किमी0,

अल्मोड़ा में 1611.39 किमी0, चम्पावत में 984.60 किमी0, बागेश्वर में 594.31 किमी0 तथा पिथौरागढ़ में मात्र 244.27 किमी0 है। क्षेत्रफल के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ में सड़कों की लम्बाई बहुत कम है।

जनपद पिथौरागढ, बागेश्वर में सड़कों की लम्बाई अपेक्षाकृत कम है। जिसका कारण यह है कि इन जनपदों का अधिकांश उत्तरी क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है जहॉ पर जनसंख्या नगण्य है। अतः वहॉ सड़क निर्माण की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती है।

रेल लाइनें :– मण्डल का अधिकांश भाग पर्वतीय है जिसमें रेल लाइनों का बिछाया जाना सम्भव नहीं है। जनपद चम्पावत, नैनीताल के मैदानी क्षेत्र में 3 रेलवे लाईनें उ0प्र0 के मैदानी क्षेत्र से आकर क्रमशः टनकपुर, काठगोदाम तथा रामनगर पर समाप्त हो जाती हैं, जिसमें सभी स्टेण्डर्ड व मीटर गेज की लाइनें हैं। मण्डल के भीतर पड़ने वाली रेल लाईनों की कुल लम्बाई 212 किमी0 है, इन रेल लाईनों द्वारा न केवल यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है अपितु इस मण्डल से कच्चा माल जैसे लकड़ी, पत्थर तथा अन्य वन उत्पाद आदि को मैदानी भागों को ढोने तथा मैदानी भागों से खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं को यहां तक पहुॅचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

संचार सेवायें :– वर्ष 2021–22 तक कुमाऊँ मण्डल में 1147 डाक घर स्थापित हैं। कुमाऊँ मण्डल के अल्मोड़ा में 320, पिथौरागढ़ में 323, नैनीताल में 159, बागेश्वर में 152, ऊधमसिंह नगर में 111 तथा चम्पावत में 82 डाकघर हैं। कुमाऊँ मण्डल में टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या 19378 है। 2047 जनपद अल्मोड़ा में, 10335 जनपद नैनीताल में, 594 जनपद चम्पावत में, 1349 जनपद पिथौरागढ़, 4409 जनपद ऊधमसिंह नगर तथा बागेश्वर में 644 टेलीफोन कनैक्शन हैं।

मण्डल में जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में संचार सुविधायें अधिक हैं तथा जनपद अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र हैं एवं जनपद चम्पावत का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र होने पर भी क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात में सुविधायें अपेक्षाकृत अधिक हैं।

अध्याय – 15

पर्यटन

कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र का सबसे सुन्दर एवं आकर्षक क्षेत्र है। जनपद ऊधमसिंह नगर के तराई क्षेत्र से आरम्भ होकर पिथौरागढ़ के अन्तिम छोर तक अनेक ऊँची–नीची पर्वतमालाएं एवं शस्यश्यामला वसुन्धरा के बीच यह मण्डल अपने में एक विशेष आकर्षण प्रस्तुत करता है। यहॉ से कैलाश एवं मानसरोवर के दुर्गमपथ, ऊँची–नीची पर्वत मालायें एवं ग्लेशियर के मनोरंजक स्थल देश–विदेश के पर्यटकों को बरबस आकर्षित करते हैं।

जनपद नैनीताल में नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, नेशनल कार्बेट पार्क रामनगर तथा मुक्तेश्वर मुख्य पर्यटन स्थल तथा कैंची धाम, हैड़ाखान मुख्य धार्मिक स्थल हैं। जहॉ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक/श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल नानकमत्ता, काशीपुर में द्रोण सागर तथा गिरिताल पर्यटकों का मुख्य आकर्षक स्थल है। रूद्रपुर में झील का निर्माण स्वीकृत हुआ है जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। काशीपुर में माँ दुर्गा का प्रति रूप चैती माई का मन्दिर है। जहां प्रतिवर्ष चैत्रमास में 15 दिन का धार्मिक तथा पर्यटक मेला आयोजित होता है।

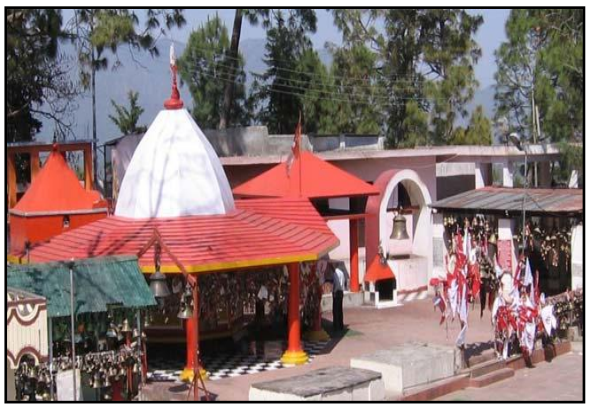

जनपद अल्मोड़ा में लोगों की आस्था का प्रतीक चितई स्थित गोलू मन्दिर प्रमुख धार्मिक स्थल है। अल्मोड़ा, शीतलाखेत, बिनसर तथा रानीखेत प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर में प्राचीन मन्दिर समूह, बिनसर महादेव में शिव मन्दिर तथा गणनाथ में प्राचीन शिव मन्दिर हैं। दूनागिरि में प्राचीन धार्मिक स्थल है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

जनपद बागेश्वर में कौसानी विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। बैजनाथ पुरातात्विक स्थल, पिण्डारी, कफनी पर्वतारोहण के प्रसिद्ध स्थल, विजयपुर, कांडा दर्शनीय स्थल तथा बागेश्वर जो सरयू व गोमती का संगम स्थल है, में बागनाथ का प्राचीन मन्दिर धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है।

जनपद पिथौरागढ में चौकोड़ी, बेरीनाग, पाताल भुवनेश्वर तथा गंगोलीहाट में मॉ कालिका देवी मन्दिर, ध्वज में देवी का प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। पिथौरागढ़, चण्डाक, थल केदार, नारायण आश्रम, मुनस्यारी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं।

जनपद चम्पावत में लोहाघाट मायावती आश्रम, बाणासुर का किला, श्यामलाताल, रीठासाहब में सिक्खों का प्रसिद्ध गुरूद्वारा तथा देवीधुरा में प्रसिद्ध बाराही मन्दिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरि में श्री पूर्णा देवी जी का मन्दिर स्थित है। चैत्र मास में एक माह का मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

मण्डल के प्रमुख पर्यटक स्थलो का वर्णन :– अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय कुमाऊँ की प्राचीन इतिहास की झलक पाने के लिए आदर्श संग्रहालय है। जहॉ कत्यूर व चंद शासन काल की ऐतिहासिक वस्तुऐं व स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित दस्तावेज आदि प्रदर्शित हैं।

चितई मन्दिर कुमाऊँ में ''गोल्लू'' का अति प्राचीन मन्दिर है। मान्यता हैं कि मन्नतें मांगने पर पूर्ण होती है तथा मन्नत पूर्ण होने पर मन्दिर में घंटी अर्पित की जाती है। इसलिए मन्दिर प्रांगण में असंख्य छोटी–बड़ी घंटियां टंगी हैं।

हिरन पार्क :– अल्मोड़ा से 3 किमी0 दूर नारायण तिवाड़ी देवाल नामक स्थान पर एक छोटा सा चिड़िया घर है, जहां हिरन, तेंदुआ, बाघ, भालू हैं।

अल्मोड़ा से 6 किमी0 दूर कलमटिया पहाड़ी की चोटी पर कसार देवी मन्दिर है। कई विदेशी पर्यटक यहॉ के शान्त वातावरण से वशीभूत होकर यहॉ रूकते हैं। अल्मोड़ा से 30 किमी0 दूर 2420 मी0 की ऊँचाई पर बिन्सर स्थित है, जहां से चौखम्भा, त्रिशूल, नन्दादेवी, शिवलिंग तथा पंचाचूली की हिमाच्छादित चोटियों का बहुत मनोरम दृश्य दिखता है। यहां काफी घना जंगल है जिसमें कई प्रकार के जानवर, पक्षी तथा फूल पाये जाते है इसके अतिरिक्त कोशी में कटारमल सूर्यमन्दिर स्थित है। कत्यूरी शासन द्वारा कटारमल में

सूर्य मन्दिर का निर्माण लगभग 800 वर्ष पूर्व किया गया है। इस मन्दिर की तुलना कोणार्क के सूर्य मन्दिर से की जाती है। स्थानीय जनता का मुख्य आस्था केन्द्र जागेश्वर मन्दिर के प्रांगण में चन्दवंश के विभिन्न शासकों द्वारा 164 मन्दिर निर्मित कराये गये। यह मन्दिर अल्मोड़ा से 34 किमी0 दूर स्थित है। इनमें भगवान जागेश्वर, मृत्युंजय व पुष्टि देवी आदि का मन्दिर चन्द्र कालीन स्थापत्य के नमूने हैं। चन्द राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर, जहॉ से हिमालय का विस्तृत श्रृंखलाओं का दृश्य दिखता है। जैसे केदारनाथ, चौखम्बा, त्रिशूल, नन्दादेवी, नन्दाकोट और पंचाचूली पर्वतों के अद्‌भुत दर्शन होते हैं। अल्मोड़ा का मनमोहक पर्यटक स्थल रानीखेत है। हिमालय दर्शन व सुहावनी जलवायु के कारण इसे हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। रानीखेत अपनी शौर्य गाथाओं के साथ छावनी क्षेत्र व कुमाऊँ का मुख्य पर्यटक स्थल है। रानीखेत से 10 किमी0 चौबटिया एशिया का सबसे बड़ा फल उद्यान है।

बागेश्वर में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव स्थल भी है। पिण्डारी, कफनी, सुन्दरढूँगा जैसे ग्लेशियरों को ट्रेकिंग टूर यहां से जाते हैं। अल्मोड़ा से 53 किमी0 व बागेश्वर से 39 किमी0 की दूरी पर कौसानी प्राकृतिक सौन्दर्य व हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का केन्द्र है। सन् 1929 में कुमाऊँ भ्रमण के दौरान महात्मा गॉधी जब कौसानी आये, तो उन्होंने इसे भारतवर्ष का स्विटजरलैण्ड कहा था। कौसानी से 17 किमी0 की दूरी पर स्थित बैजनाथ गोमती नदी के तट पर स्थित है।

नैनीताल एक विख्यात पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित है। प्राकृतिक झीलों का नैनीताल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में पाये जाने के कारण इसे झीलों का जनपद भी कहा जाता है। पूर्व में नैनीताल जनपद में लगभग 60 झीलें थी। मानवीय छेड़छाड़ व प्राकृतिक कारणों से 60 झीलों के स्थान पर अब गिनीचुनी ही झीलें शेष हैं। फिर भी नैनीताल देश में अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए ख्याति प्राप्त है तथा जिला एवं कुमाऊँ मण्डल का मुख्यालय भी है। पर्यटन सीजन मार्च से जून तथा सितम्बर से अक्टूबर के अन्त तक रहता है। यहॉ पहुॅचने के लिए निकटस्थ रेलवे स्टेशन काठगोदाम व निकटस्थ हवाई अड्डा पन्तनगर (फूलबाग) है।

नैनीताल से 22 किमी0 दूर भीमताल झील अपने सौन्दर्य व टापू के लिए प्रसिद्ध है तथा नैनीताल से 26 किमी0 की दूरी पर नौकुचियाताल, नैनीताल से 21 किमी0 की दूरी पर सातताल स्थित है जो प्रकृति की सौन्दर्यता को प्रसिद्ध करता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल पार्क में रंग बिरंगे पक्षी और शेर, हाथी, भालू, नील गाय, चीता, चीतल जैसे वन्य जीव स्वछन्द बिहार करते हैं। कालाढूँगी से 4 किमी0 आगे नया गॉव में कार्बेट फाल भी है, जो पर्यटकों के आकर्षण का स्थल है।

अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित कैंची मन्दिर जहॉ नीम करौली महाराज आश्रम, हनुमान व अन्य देवताओं के मन्दिर आस्थावान भक्तों के केन्द्र हैं। यहॉ रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी है। जून माह की 15 तारीख को कैची धाम में नीम करौली महाराज के जन्म दिन पर विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं।

ऊधमसिंह नगर में नानकमत्ता सिक्खों के लिए आदरपूर्ण स्थान है। यहॉ का गुरूद्वारा, कुआँ व पीपल वृक्ष प्रसिद्ध हैं। यह विश्वास है कि यहॉ गुरू नानकदेव ने विश्राम किया था।

पिथौरागढ़ शहर से 7 किमी0 दूरी पर चण्डाक नामक स्थान से पिथौरागढ़ का विहंगम दृश्य दर्शनीय है। यहॉ मोस्टमानो मन्दिर में अगस्त माह में

विशाल मेला आयोजित होता है। यहॉ मैग्नासाइड खनिज की खान व कारखाना है। पिथौरागढ़ से 18 किमी0 दूर ध्वज से हिमालय श्रृखलाओं के विस्तृत दर्शन होते हैं। शहर से 6 किमी0 की दूरी पर थल केदार में भगवान शिव का मन्दिर है। जहॉ शिव रात्रि मेला महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ से 77 किमी0 की दूरी पर गंगोलीहाट का महाकाली मन्दिर देश के मुख्य शक्तिपीठों में से एक है। गंगोलीहाट से 6 किमी0 पर गुपतड़ी तथा वहॉ से 8 किमी0 पर पाताल भुवनेश्वर में गुफाओं का रहस्य व दैवीय संसार है। यहॉ महादेव व शेष नाग का निवास स्थान माना जाता है। गुफा में विभिन्न दैवी आकृतियों का निर्माण धार्मिक आस्था का कारण है। पिथौरागढ़ से 112 किमी0 व बेरीनाग से 9 किमी0 दूर देवदार, बॉज, बुराश के पेड़ों के बीच स्थित चौकोड़ी हिमालय के सुन्दर स्थानों में से एक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्वामी नारायण द्वारा स्थापित नारायण आश्रम अपने प्राकृतिक व शान्त सौन्दर्य का प्रतीक है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा मुनस्यारी तहसील मुख्यालय भी है। यहॉ से पंचाचूली शिखर का नया रूप दिखता है। जनपद चम्पावत में स्थित श्री पूर्णागिरी का मन्दिर भी लाखों श्रद्वालुओं की आस्था का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरी मन्दिर में प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर–दूर से कई श्रद्वालु आते है।

उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मण्डल में जनपदवार उपलब्ध पर्यटन स्थल एवं पर्यटक आवास गृह तथा उनमें उपलब्ध शय्याओं का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पर्यटक स्थलों की संख्या	पर्यटक आवास गृहों की संख्या	पर्यटक आवास गृह उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1	अल्मोड़ा	**8**	**16**	**288**
2	बागेश्वर	**25**	**9**	**318**
3	नैनीताल	**16**	**14**	**585**
4	ऊधमसिंह नगर	**13**	**3**	**88**
5	पिथौरागढ़	**8**	**10**	**375**
6	चम्पावत	**30**	**7**	**192**
योग मण्डल		**100**	**59**	**1846**

जनपद में पर्यटकों को आकर्षित करने एवं उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं देने हेतु विभाग द्वारा धार्मिक एवं एतिहासिक मंदिरों, पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार देने हेतु वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना भी चलायी जा रही है।

पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाये–

1– **वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना** – उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विभाग में वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना वर्ष 2002 में लागू की गयी। जिसके अन्तर्गत 8–10 कक्षीय होटल, वाहन संचालन, फास्टफूड सेन्टर, रेस्टोरेन्ट की स्थापना, मोटर गैराज, योग ध्यान केन्द्र शिविर, साहसिक क्रिया कलाप, टैन्टेज, फोटाग्राफी उपकरण क्रय, हर्बल टुरिज्म, संग्रहालय निर्माण, एस्ट्रो टुरिज्म के उपकरण क्रय, आल टैरेन बाईक्स, बैकरी शॉप, लॉण्ड्री तथा बर्ड वाचिंग उपकरण आदि के लिए बैंकों के माध्यम से योजनाओं हेतु ऋण सुविधा एवं उद्यमी को अनुमोदित योजना पर मैदानी क्षेत्र में गैरवाहन मद में 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 10 लाख तक पर्वतीय क्षेत्र में गैर वाहन मद में 33 प्रतिशत अधिकतम रू0 33 लाख तक का अनुदान दिया जाता हैं। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आवेदको को वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, पिथौरागढ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 12, 13, 06, 18, 12, 04 वाहन मद में

व क्रमशः 10, 11, 05, 06, 11, 01 गैर वाहन मद में कुल 109 लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया।

2– **दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना** – उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण पर्यटन के विकास व रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना व नये पर्यटक स्थलों का विकास, राज्य की संस्कृति ऐतिहासिक धरोहरों तथा पारम्परिक/पहाड़ी शैली से परिचित कराना तथा स्थानीय सृजन के द्वारा प्रदेश से पलायन रोकना है। योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अथवा रू0 7. 50 लाख जो भी कम हो तथा कुल सालाना ब्याज राशि का 50 प्रतिशत या रू0 1.00 लाख जो भी कम हो प्रथम 5 वर्षो तक मान्य होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पूंजी सकर्म लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0 15.00 लाख जो भी कम हो तथा कुल सालाना ब्याज राशि का 50 प्रतिशत या रू0 1.50 लाख जो भी कम हो प्रथम 5 वर्षो तक मान्य होगा। वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल 12, अल्मोड़ा 16, चम्पावत़ 04, बागेश्वऱ 14, पिथौरागढ 12, ऊधमसिंह नगर 02 कुल 60 योजना का लाभ प्रदान किया गया है।

जिला योजना :– पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 तक कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल रू0 542.18 लाख, अल्मोड़ा रू0 250.00 लाख, चम्पावत रू0 133.69 लाख़, बागेश्वऱ रू0 168.36 लाख, ऊधमसिंह नगर रू0 261.26 लाख, पिथौरागढ़ रू0 222.70 लाख कुल रू0 1578.19 लाख से पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण एवं विकास किया गया है।

साहसिक पर्यटन को बढावा :– साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत युवाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु 10 दिवसीय एडवेंचर फाउण्डेशन प्रशिक्षण, ऐरो स्पोट्स सर्वे, माउण्टेन बाइकिंग, वाटर स्पोर्ट्स कयाकिंग प्रशिक्षण, पैराग्लाडिंग प्रशिक्षण, ट्रैकिंग कार्यक्रम आदि साहसिक गतिविधियों का संचालन किया जाना है। वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के अन्तर्गत 456 युवाओं को साहसिक गतिविधयों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

3.केन्द्र पोषित योजनाऐं :–

जनपद नैनीताल के रामनगर में आई0एच0एम0 की स्थापना एवं कन्सल्टेन्सी कार्य।
जनपद अल्मोड़ा के अल्मोड़ा का इको पर्यटन के रूप में विकास।
जनपद अल्मोड़ा में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूड का निर्माण।
जनपद चम्पावत के देवीधूरा में स्वदेश दर्शन (हेरिटेज सर्किट) का विकास।
जनपद चम्पावत के एबट माउण्ट में इको टुरिज्म योजना।

4. बाह्य सहायतित योजनाऐं –

ए0डी00बी0 सहायतित अवस्थापना सुधार एवं पुनर्निर्माण योजनान्तर्गत जनपद के मल्ला दानपुर क्षेत्र अन्तर्गत 09 स्थानों पर प्रत्येक स्थान पर प्रिफेब्रीकेटेड/हाईब्रिड हटों का निर्माण कु0 म0 वि0 नि0 लि0 द्वारा किया गया है जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

5. . अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास होम स्टे योजना –

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास होम स्टे योजना 2015 के अन्तर्गत योजना आरम्भ से आतिथि तक कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल 127, पिथौरागढ 70, अल्मोड़ा 347, चम्पावत़ 34, बागेश्वऱ 117, ऊधमसिंह नगर 11 उद्यमियों का पंजीकरण होम स्टे हेतु किया गया, वर्ष 2021–22 तक कुल 706 आवासीय इकाईयों का पंजीकरण किया गया है।

6. उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 –

उक्त नियमावली में फरवरी 2016 में संशोधन किया गया है, जिसके अन्तर्गत अनिवार्य पंजीकरण हेतु जनपद में अवस्थित आवास सम्बन्धी इकाई, खान–पान संबंधी इकाई, ट्रैवल ट्रैड संबंधी इकाई, साहसिक पर्यटन सम्बन्धी इकाई व अन्य पर्यटन सम्बन्धी इकाई सभी को पंजीकृत किये जाते है। कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में वर्ष 2021–22 में कुल 1292 पर्यटन सम्बन्धी इकाईयों का पंजीकरण किया गया है।

7. आपदाग्रस्त क्षेत्र पर्यटन आवासीय अनुदान योजना :–

इस योजना के तहद आपदाग्रस्त उद्यमियों को लाभान्वित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

8. पर्यटन सांख्यिकीय :–

वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर, में क्रमशः (नैनीताल 326256), (पिथौरागढ़ 53506), (अल्मोड़ा 92463), (चम्पावत 15711), (बागेश्वर 52106), (उधमसिंह नगर 182418) पर्यटक आये जिनमें विदेशी पर्यटक सम्मिलित है।

मण्डल के प्रमुख मेले व त्यौहार

(1) श्री नन्दा देवी मेला
(2) श्री कैंची धाम मेला
(3) उत्तरायणी मेला
(4) पूर्णागिरी मेला''
(5) देवीधूरा मेला बग्वाल
(6) उत्तराणी मेला, बागेश्वर
(7) बैशाखी मेला रीठा साहिब
(8) चमदेवल मेला
(9) हरेला मेला
(10) कैलाश मानसरोवर यात्रा

अध्याय – 16

शिक्षा

सामाजिक सेवाओं का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा अच्छे स्वास्थ्य एवं अच्छे संस्कारों पर निर्भर करती है। अतः चिकित्सा जनस्वास्थ्य एवं शिक्षा आर्थिक विकास के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के चहुमुखी विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजर्थिक विकास में शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से साक्षरता प्रतिशत में अभिवृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्यक्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा उत्तम जन स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।

प्राथमिक शिक्षा :– प्रारम्भिक शिक्षा के शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु विभिन्न प्रयास किये जाते रहे हैं जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को सम्वर्धनात्मक शिक्षण, सी0सी0ई0, कम्प्यूटर शिक्षा एवं नवाचारी कार्यक्रम द्वारा रूचिकर शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती रही है। वर्ष 2002 से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों की शिक्षा एवं शैक्षिक स्तर को सशक्त करने हेतु संचालित किया जा रहा है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम – शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किये गये। वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में 2735 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

क्रीड़ा क्षेत्र की उपलब्धियाँ – वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में 4590 छात्र–छात्राओं द्वारा वर्ष 2021–22 राज्य /राष्ट्रीय स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया गया।

राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता – राज्य स्तरीय ताइक्वाण्डों, मानचित्र, सुलेख, अंताक्षरी, खो–खो, क्रीडा प्रतियोगिता के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में 149 स्वर्ण पदक, 246 रजत पदक, 489 कांस्य पदक प्राप्त किए।

राष्ट्रीय स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता – राष्ट्रीय स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में 22 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक, 44 कांस्य पदक प्राप्त किए।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरणः– समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक एवं राजकीय व सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक/हाईस्कूल/इण्टर कालेजों के कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य सेक्टर के अन्तर्गत निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण किया गया। उक्त मद में वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में 261564 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

निःशुल्क गणवेश वितरण :– समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक की समस्त बालिकाओं, अनुसूचित जाति बालक, अनुसूचित जनजाति बालक एवं बी0पी0एल0 वर्ग के बालकों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क गणवेश का वितरण विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से किया गया। वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में 261564 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

समावेशित शिक्षा :– विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु बच्चों के उचित चिह्नांकन हेतु चिकित्सा विभाग के अभिकर्मियों, एल्मिको कानपुर के सहयोग से परीक्षण व उपकरण वितरण शिविर आयोजित किये गये। चयनित बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र एवं सहायता उपकरण वितरित किये गये।

अध्यापक प्रशिक्षण :– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के कौशल विकास हेतु सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके अन्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 4610 कक्षा 1–2, कक्षा 3–5 एवं कक्षा 6–8 के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मध्यान्ह भोजन :– कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में 13465 राजकीय व सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर /हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित है। इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों के पोषण हेतु भोजनमाता की सहायता से भोजन तैयार कर विद्यालयों के अध्ययनरत बच्चों को वितरित किया जाता है। मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में 1410 किचन कम स्टोर रूम स्थापित हैं। योजना के अन्तर्गत विद्यालयों को रू0 5035 की दर से बर्तन क्रय करने एवं भोजन माताओं के लिए एप्रन व बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन क्रय करने हेतु आकस्मिक व्यय के रूप में रू0 988 की दर से धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार क्रमशः 1365 विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार किये जा चुके हैं जिनमें पैदा की गई सब्जियां विद्यालयों में तैयार मध्याह्न भोजन में इस्तेमाल हो रही है। प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक माह के अन्तिम कार्यदिवस को समस्त विद्यालयों में सामूहिक जन्मोत्सव मनाया जाता है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षा किया जाता है

जिसमें विभिन्न बीमारियों से ग्रसित व संदर्भित बच्चों को बीमारियों के अनुरूप दवाएं बाँटी जाती है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय :– कक्षा 6 से 8 तक के अनुसूचित जाति /जनजाति/पिछड़ी जाति तथा बी0पी0एल0 परिवार की ऐसी छात्राएं जो विद्यालय जाने से वंचित रह गई हैं, को निःशुल्क शिक्षा, आवास, पठन सामग्री, वेशभूषा, भोजन आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत के.जी.बी.वी. हेतु वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में रू0 1111.861 लाख की धनराशि व्यय कर 358 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

एम.आई.एस.:– परियोजना के अन्तर्गत जनपद के विद्यालयों से सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने हेतु एक सूचना प्रणाली तंत्र विकसित किया गया है जिसमें विद्यालयों से न्यूपा नई दिल्ली द्वारा तैयार यू–डायस साफ्टवेयर से डी.सी. एफ. प्रपत्र प्रिंट कर उसमें सूचनाएं प्राप्त कर संकलन के उपरान्त डाटा फीड कर सम्पूर्ण सूचना भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून को प्रेषित की जाती है। विद्यालयों की समस्त सूचनाओं का संकलन उनके स्कूल रिपोर्ट कार्ड के रूप में विद्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। यू–डाइस के आधार पर ही आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का निर्माण किया जाता है।

उन्नति कार्यक्रम –

वर्तमान समय में राष्ट्रीय– अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का महत्व है, यह सर्व विदित है कि अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जो सभी व्यक्तियों, संस्कृतियों व देशों को आपस में जोडती है। इस कार्यक्रमों को जनपद में I.S & F.S देहरादून द्वारा संचालित किया गया। वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 96 विद्यालयों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें क्रमशः.945 विद्यार्थियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान :– संस्थान के अन्तर्गत 6 प्रशिक्षण संस्थान हैं जिसमें डी0ईएल0एड0 प्रशिक्षण दिया जाता हैं। वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में 300 स्वीकृत सीटों के सापेक्ष 248 की भर्ती हैं।

सर्व शिक्षा अभियान,

पहुंच एवं विशिष्ट प्रशिक्षण :– प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिककरण के लिए 06–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की विद्यालय तक पहुंच एवं विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया गया। इस हेतु बालगणना, शालात्यागी बच्चों का चिन्हांकन एवं स्कूल चलो अभियान आदि कार्यक्रम संचालित किये गये। कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 1710 बच्चों को चिन्हित कर क्रमशः 1415 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया।

1. नवाचारी शिक्षाः– नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित किए गए–

- राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रमः– माननीय प्रधानमन्त्री जी के द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय, संकुल, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर स्वच्छ विद्यालय अभियान आयोजित किया गया।

बालिका शिक्षा :– बालिका शिक्षा क्षेत्र में जागरूकता हेतु सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के अन्तर्गत कलैण्डर, पोस्टर, नुक्कड़–नाटकों, हस्ताक्षर अभियान, राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम (24 जनवरी) के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये इस वर्ष अनेक कार्यक्रम जैसे आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, माँ–बेटी मेला, सपनों की उड़ान, एवं किशोरी स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमश 14041 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

समावेशित शिक्षा :– समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में 30 शिविर आयोजित कर 1800 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर, चम्पावत, में उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु क्रमशः 08, 12, 10, 16, 03, 05 राजकीय / निजी पॉलीटेक्निक संस्थान है। अल्मोड़ा में महिला पॉलीटेक्निक संचालित है। महिला पॉलीटेक्निक में केवल महिला अभ्यर्थियों को ही विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। समस्त संस्थानों में प्रवेश हेतु वर्तमान में प्रादेशिक स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स (JEEP) आयोजित की जाती है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स (JEEP) के माध्यम से मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाईन काउंसिलिंग के उपरान्त संस्थान आवंटित किया जाता है।

उपरोक्त सभी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो रहा है। छात्र/छात्राओं के सेवायोजन हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों को आमन्त्रित कर परिसर साक्षात्कार आयोजित कराया जाता है। परिसर साक्षात्कार के माध्यम से इस वर्ष लगभग 30 प्रतिशत छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों यथा बजाज ऑटो सिडकुल रूद्रपुर, टाटा मोटर्स रूद्रपुर, सैमसंग नोइडा, स्पाइसर इंडिया, शिनाईजर इलैक्ट्रिक सिडकुल रूद्रपुर, माईक्रोमैक्स सिडकुल कम्पनी, भगवती परो लि0, टेक्सट्रोन टेक्नोलॉजी लि0 लखनऊ, जिन्दल स्टील एण्ड पावर हरियाणा, आनन्द ग्रुप ऑफ कम्पनी चेन्नई, कैवेन्डिस इडस्ट्रीज हरिद्वार, आदि में सेवायोजन का लाभ प्राप्त हो रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सामुदायिक विकास योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं/युवतियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ–साथ संस्थाओं में

राष्ट्रीय सेवायोजन इकाई के अन्तर्गत समय–समय पर विभिन्न जागरूकता अभियान चलाये जाते है।

कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर, में उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु पॉलीटेक्निक संस्थानों में वर्ष 2021–22 में विभिन्न ब्राचों में 13026 सीटों के विपरीत 6934 विद्यार्थी भर्ती/अध्ययनरत् है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र–छात्राएं विभिन्न प्रकार से इसको अपने व्यवसाय से जोडकर नवीन तकनीकी का लाभ उठा सकते हैं।

- विभिन्न विभागों की वेबसाइट से रोजगार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना।
- पत्र (समाचार पत्रों, पत्रिका, पम्पलेट, पोस्टर) के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी प्रसारण व जानकारी।
- इन्टरनेट के प्रयोग से जानकारी प्राप्त करके व्यवसाय में प्रवेश करना।
- प्रशिक्षण के उपरान्त व्यक्ति तकनीकी से सम्बन्धित लघु उद्योग, साइबर कैफे, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण एवं व्यवसाय के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं।
- दूरदर्शन तथा रेडियो के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी प्रसारण व जानकारी।
- नवीन तकनीकी द्वारा कुटीर उद्योगों को सफल एवं उच्च कोटि का व्यवसाय बनाने हेतु जानकारी इन्टरनेट से प्राप्त की जा सकती है।
- लघु एवं कुटीर उद्योग से सम्बन्धित पी0पी0टी0 तैयार करके वेबसाइट से अपलोड करके उद्योगों को उच्च कोटि का बनाया जा सकता है।

वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर, में व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु 83 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। जिसमें विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण ट्रेडों के अन्तर्गत 6943 स्वीकृत सीटों के सापेक्ष क्रमशः 3920 विद्यार्थी अध्ययनरत/भर्ती है।

तकनीकी शिक्षाः– प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के उपरान्त व्यक्ति को विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक के लिए वांछित रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण का होना वर्तमान समय में आवश्यकीय हो गया है। इस उद्देश्य से तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से जनपद अल्मोड़ा में भी व्यावसायिक शिक्षा हेतु आधुनिक एवं परम्परागत व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण संस्था स्थापित की गयी है, जो कि युवकों की शिक्षा के उपरान्त रोजगार प्राप्त करने हेतु सहायक हो सके या स्वयं कुटीर अथवा लघु उद्योगों को स्थापित कर सके।

जैसा कि सभी जानते है कि आज टैक्नोलाजी का युग है, जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं हैं, जहां पर तकनीकी का प्रयोग न किया जा रहा हो। व्यवहार जगत में देखा जाय तो बैंक, कार्यालय, पोस्ट ऑफिस से लेकर व्यक्तिगत जीवन भी नवीन तकनीकी से प्रभावित है।

शिक्षा जगत में तकनीकी सबसे अधिक प्रभावपूर्ण है। हम यहां तक भी कह सकते है कि जिस व्यक्ति को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान नही है उसको हम निरक्षर की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी कथन से हम तकनीकी शिक्षा के महत्व को समझ सकते हैं।

वर्तमान समय में व्यवहारिक जीवन पूर्ण रूप से टेक्नालाजी से प्रभावित है। अतः व्यवहारिक समायोजन हो पाए इस हेतु शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग होना अनिवार्य है। वर्तमान

समय में पूर्ण जीवन प्रकिया तकनीकी पर आधारित है। अतः हमें तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, तथा व्यवहारिक जीवन में उसका सदुपयोग भी अत्यन्त आवश्यक है।

हमारा उदेश्य केवल तकनीकी शिक्षा देना नहीं है, वरन शिक्षा में नवीनतम टैक्नोलॉजी का समावेश होना भी है अर्थात आज मुख्य आवश्यकता है। तकनीकी को शिक्षा का माध्यम बनाना, क्योंकि आज शिक्षा में निरन्तर नवीन विकास/परिवर्तन आ रहे हैं, का ही परिणाम है।

हमारी नवीन पीढी हमारा युवा वर्ग विकास की ओर अग्रसर हो तथा विकसित देशों के सापेक्ष जीवन में सफलता प्राप्त कर राष्ट्र की सेवा कर सकें, इसके लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार टेक्नोलाजी का प्रयोग किया जाय। सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा को तकनीकी विकास से प्रभावित करना है। इसके लिए इस बात पर विचार करना चाहेंगे कि किस प्रकार तकनीकी का प्रयोग शिक्षण कार्य में करके शिक्षण को रूचिकर आसान व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा में भी तकनीकी बहुत कारगर सिद्ध होगी। शोध, लेखन में तकनीकी का विशेष योगदान है, इन्टरनेट विश्वकोष द्वारा नवीन विषय साहित्य का संकलन किया जा सकता है। इन्टरनेट द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। दूरस्थ स्थानों में बैठकर भी शिक्षा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आज तकनीकी शिक्षा से आच्छादित है, और हमें चाहिए कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाय।

अध्याय – 17

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

पुनर्रक्षित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षयरोग से ग्रसित मरीजों को निःशुल्क बलगम की जांच व सम्पूर्ण अवधि की औषधियों की आपूर्ति की जाती है। इस कार्यक्रम में मरीजों को औषधियों डॉट्स निरीक्षकों द्वारा अपने सामने ही खिलाई जाती है। मरीजों को औषधियां खिलाने की इस पद्धति को Directly Observed Treatment Short Course (डॉट्स) कहते है।

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन0वी0बी0डी0पी0) एन0वी0बी0डी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया, डेंगू चिकनगुनिया, कालाजार, जापानीज इन्सफलाइटिस बीमारियों का नियंत्रण एवं इलाज किया जाता है। इससे सम्बन्धित जांच व उपचार निःशुल्क किया जाता है। मलेरिया तथा डेंगू की जांच के लिए निकटतम चिकित्सा इकाई व आशा तथा ए0एन0एम0 से सम्पर्क किया जा सकता है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम :– राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सकों की टीम द्वारा समस्त राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों व आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, किशोर व किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा आर0बी0एस0के0 स्तरीय चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। भ्रमण करने वाली चिकित्सकों की टीम द्वारा किसी रोग से ग्रसित बच्चों को आवश्यकतानुसार प्रा0स्वा0केन्द्र, सामु0स्वा0 केन्द्र, जिला चिकित्सालय में संदर्भित किया जाता है। गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा उच्चीकृत चिकित्सालयों में इलाज हेतु भेजा जाता है। गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को उच्चीकृत चिकित्सालयों में भेजने, चिकित्सा उपचार व वहॉ से वापस लाने की सुविधा निः शुल्क की जाती है।

राष्ट्रीय अंन्धता उन्मूलन कार्यक्रम (एन0बी0सी0पी0) :– राष्ट्रीय अन्धता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क मोतिया बिन्द के आपरेशन लैंस प्रत्यारोपण किया जाता है, तथा विद्यालयों में ऑखों की जॉच करने के पश्चात् बच्चों को निकटतम सामु0स्वा0 केन्द्र व जिला चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार निःशुल्क चश्मे का वितरण भी किया जाता है। 60 वर्ष के ऊपर आयु के बृद्धों को भी आवश्यकतानुसार निःशुल्क चश्मों का वितरण किया जाता है।

जननी सुरक्षा योजना(जे0एस0वाई.) :– जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं द्वारा संस्थागत प्रसव कराने व प्रसव के 48 घण्टे संस्थान में रूकने के बाद रू0 1400 (ग्रामीण) व 1000 (शहरी) का वित्तीय लाभ दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 श्रेणी की गर्भवती महिलाओं को रू0 500 पोषण हेतु गर्भावस्था के 7 वें महीने में सम्बन्धित क्षेत्र की ए0एन0एम0 के माध्यम से दिये जाते हैं ।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे0एस0एस0के0) :– इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिला के पंजीकरण से लेकर प्रसव के बाद 42 दिनों तक तथा नवजात शिशु के 1 वर्ष पूरा होने तक समस्त स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें व चिकित्सालय तक आवागमन की व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जाती है। खुशियों की सवारी के माध्यम से प्रसव के दौरान व प्रसवोपरान्त महिला को चिकित्सालय से घर छोडने की ब्यवस्था व 108 एम्बुलैंस द्वारा चिकित्सालय तक लाने की सुविधा उपलब्ध है। गर्भस्थ भ्रूण की सही स्थिति व वृद्धि की निगरानी हेतु 04 जॉचें ए0एन0एम0 द्वारा करायी जाती है। जॉच में ए0एन0एम0/चिकित्सक द्वारा हीमोग्लोबिन, ब्लडप्रेशर, पेशाब की जॉच व आवश्यकतानुसार अल्ट्रासाउण्ड भी कराया जाता है तथा इसी के अनुसार सलाह व ईलाज किया जाता है, प्रत्येक महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। नवजात शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करने के लिये आशाओं/ए0एन0एम0 द्वारा संस्थागत प्रसव के मामलों में 06 गृह भ्रमण व घर पर प्रसव होने पर 07 गृह भ्रमण किये जाते हैं। इस भ्रमण में मातृ शिशु स्वास्थ्य में कोई जटिलता पाये जाने पर निकटवर्ती चिकित्सा ईकाईयों में जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत निः शुल्क उपचार की व्यवस्था कराई जाती है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम :– किशोर एवं किशोरियों में प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य में जानकारियां शरीर से सम्बन्धित मुद्दों पोषण विकास व स्वच्छता की जानकारी एवं क्लिीनिकल तथा काउंसलिंग के रूप में परामर्श दिये जाने हेतु राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल–1500 एव ऊधमसिंह नगर 359 ग्रामों में किशोर एवं किशोरियों के समूह बनाकर आपस में बैठकों के माध्यम से किशोर/किशोरियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक समस्याओं की पहचान कर चिकित्साधिकारियों, ए0एन0एम0, आशा, आगनबाड़ी कार्यकत्री के सहयोग से परामर्श दिये जाने का कार्य किया गया। सामु0 स्वा0 केन्द्र में किशोर, किशोरियों में शारीरिक मानसिक समस्याओं के चिकित्सकीय निदान हेतु ए0एफ0सी0सी0 (एडोल्सेन्ट फैन्डली काउन्सिलिंग क्लीनिक) स्थापित किये गये हैं, जिसमें चिकित्सकों द्वारा किशोर, किशोरियों की समस्याओं का चिकित्सकीय निदान/परामर्श प्रदान किया जाता है।

फेमिली प्लानिंग इन्डोमिनिटी स्कीम :– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत असफल नसबन्दी, शारीरिक जटिलतायें अथवा मृत्यु होने की दशा में लाभार्थी/प्रार्थी को उक्त प्रकरण के 90 दिनों के अन्तर्गत दावा करने पर क्षति पूर्ति के रूप में रू0 30000 से रू0 2 लाख तक की धनराशि प्रदान की जाती है। क्षति पूर्ति हेतु आवेदन सामु0स्वा0 केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। नसबन्दी के कारण मृत्यु होने पर (अस्पताल में नसबन्दी आपरेशन के दौरान मृत्यु होने में भी देय) या अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 07 दिनों के अन्तर्गत मृत्यु होने पर रू0 2.00 लाख. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 08 से 30 दिनों के अन्तर्गत मृत्यु होने पर रू0 0.50 लाख, असफल नसबन्दी होने पर रू0 0.30 लाख प्रदान करने का प्रावधान है।

ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक समिति का गठन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक ग्राम हेतु एक वर्ष में अधिकतम रू0 10000 अथवा केन्द्र द्वारा निर्धारित धनराशि आशा तथा ग्राम की निर्वाचित महिला प्रधान अथवा महिला वार्ड सदस्य के संयुक्त खाते के द्वारा खर्च की जा सकती है, इस समिति में कम से कम 15 सदस्य होने चाहिये तथा समिति के अध्यक्ष ग्राम की निर्वाचित महिला प्रधान अथवा महिला वार्ड सदस्य होती है। वी0एच0एस0एन0सी0 की सदस्य सचिव और संयोजन ग्राम की आशा होती है, ग्राम हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग समिति के सहमति की दशा में ग्राम के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण हेतु किया जा सकता है।

ई0एम0आर0आई0 108 आकस्मिकता में : ई0एम0आर0आई0 108 द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जो कि आकस्मिक रोगियों को चिकित्सा सुविधा पहुॅचाने के साथ–साथ उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुॅचाने का कार्य कर रही है। 108 सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर गर्भवती महिलाओं को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव हेतु पहुॅचाने में विशेष सहायता मिली है।

आयुष्मान भारत – अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना – 23 सितम्बर 2018 से माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा आयुष्मान भारत –प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुमारम्भ (प्रत्येक परिवार को रू0 5 लाख) तक का स्वास्थ्य बीमा कवर होना है–

पात्र परिवार –सामाजिक आर्थिक व जाति सर्वे 2001 की श्रेणी के अनुसार।

दिनांक 25 दिसम्बर 2018 से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त परिवारो को रू0 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाना हैं।

पात्र परिवार– अ– सामाजिक आर्थिक व जाति सर्वे 2011 की श्रेणी।

ब– मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कार्डधारक।

स– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट राशन कार्डधारक।

(परिवार के किसी सदस्य का वोटर आई डी 2012 की सूची में नाम अनिवार्य)

समस्त परिवार अपने निकटतम राजकीय चिकित्सालय (सी0एच0सी0लेवल व ऊपर के) में मुफ्त में व कॉमन सर्विस सैन्टर में रू0 30/– में पंजीकरण कर अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं ।

आवश्यक दस्तावेज – पीएमलेटर (एस ई सी सी) /रासनकार्ड (एन0एफ एस ए) /आर एस बी वाईकार्ड/सी एम लेटर बोटर लिस्ट 2012 में नाम अनिवार्य

आई0पी0डी0 में 1350 बीमारियां कवर हैं (हृदय रोग/हड्डी रोग/कैंसर/सर्जरी/न्यूरोसर्जरी/व अन्य)

ओ0पी0डी0 में 105 प्रकार की बीमारियों हेतु डे केयर सुविधा उपलब्ध।

अर्बन स्वास्थ्य कार्यक्रम – मलिन बस्तियों हेतु एन.एच.एम. के अन्तर्गत अर्बन हैल्थ सेन्टरों की स्थापना की गयी है, जिसमे मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं एवं शिशुओं को

टीकाकरण/प्रतिरक्षण कार्यक्रम/परिवार कल्याण /ओ0पी0डी0/जांच आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 – कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का प्रत्येक 90 दिनों में निरीक्षण किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु लगातार शिविर आयोजित कर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जनता को जागरूक किया जाता है, वहीं अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों पर कमियां पाये जाने पर कार्यवाही की जा रही है, परिणामस्वरूप लिंगानुपात में वृद्धि है तथा कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगा है।

प्रतिरक्षण :– पैन्टावैलेन्ट वैक्सीन 05 जानलेवा बीमारियों से शिशु की सुरक्षा करती है तथा पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है जो कि निःशुल्क उपलब्ध है।

बच्चों को विभिन्न जानलेवा बीमारियों से प्रतिरक्षित करने हेतु नियमित प्रतिरक्षण के अलावा विशेष प्रतिरक्षण सप्ताह व आउटरीच सेसन का भी आयोजन किया जा रहा है। इस योजना में आशा के द्वारा किसी भी 0–5 वर्ष के बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षण कराने पर 150.00 रू0 दिया जाता है।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम – इस कार्यक्रम के तहत संचारी रोगों की रोकथाम करने हेतु जनपद स्तर पर निगरानी तन्त्र की स्थापना की गयी है, किसी भी प्रकार का आउटब्रेक होने पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

ब्लड बैंक – वर्तमान में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल में बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, चम्पावत रक्तकोष की स्थापना की गयी है, जिसमें लगभग क्रमशः 17742, 2462, 1174, 0, 7170, 76 यूनिट रक्त प्रतिवर्ष एकत्र किया गया है। रक्त अवयव (कम्पोनैन्ट) की सुविधा सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी एवं एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय काशीपुर उधमसिंहनगर में उपलब्ध है।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :– जनपदों में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत आई0सी0टी0सी0 एवं ए0आर0टी0 केन्द्रों की स्थापना की गयी है व काउन्सलरों के माध्यम से एड्स नियंत्रण सम्बन्धित परामर्श के साथ–साथ जनजागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं, जिसके अर्न्तगत मण्डल में कुल 140 रोगियों का ए0आर0टी0 केन्द्रो के माध्यम से निःशुल्क उपचार किया जा रहा हैं।

एस0एस0बी0 – राष्ट्र की सीमा पर तैनात हमारे जांबांज एस0एस0बी0 द्वारा टनकपुर क्षेत्र में स्वयं का अस्पताल चलाया जा रहा है।

एन0एच0पी0सी0– जनपद चम्पावत के मैदानी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले टनकपुर क्षेत्र में नेशनल हाइड्रो पॉवर कॉरपोरेशन का अस्पताल भी स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है।

जनपद में कार्यशील विभिन्न प्रथम संदर्भन इकाई(एफ0आर0यू0) – कुमाऊँ मण्डल के जनपद में कार्यशील विभिन्न प्रथम संदर्भन ईकाई (एफ0आर0यू0) में 16 इकाईयां कार्यरत हैं, जहां पर प्रसव की सुविधायें उपलब्ध हैं।

खुशियों की सवारी – राष्ट्रीय स्वास्स्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपदो में खुशियों की सवारी वाहनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर में क्रमश 13, 8, 4, 0, 0, 0 वाहन हैं।

अन्टाइड फण्ड – चिकित्सालयों के सुदृढीकरण हेतु प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत अन्टाइड फण्ड प्रदान किया जाता है जो कि जनहित को ध्यान में रखते हुये उपकरण आदि के लिये दिया जाता है जो चिकित्सालय की उपलब्धि के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

अध्याय – 18

बाल विकास

वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल में के जनपद पिथौरागढ, अल्मोडा, नैनीताल, उधमसिंहनगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः 1111, 1860, 1416, 2387, 834, 681 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है।

अनुपूरक पोषाहार – अनूपूरक पोषाहार अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों को कुक्ड फूड योजनान्तर्गत प्रतिदिन ताजा पका भोजन खिलाया जाता है। गर्भवती, धात्री महिलाओं एंव 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों हेतु अनुपूरक पोषाहार अन्तर्गत टेक होम राशन योजनान्तर्गत प्रत्येक आगंनबाडी केन्द्र पर प्रत्येक माह की 5 तारीख को वजन एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है साथ ही टी0एच0आर0 का वितरण भी किया जाता है।

टी0एच0आर0 सामग्री

लाभाथी वर्ग	सामग्री	मात्रा
6 माह से 03 वर्ष के बच्चे हेतु	दलिया अथवा सूजी	1.50 किलो
	स्थानीय दालें/मूंग दाल/काला भट्ट अथवा चौलाई	500 ग्राम
	मूंगफली दाना अथवा भुना चना	250 ग्राम 500 ग्राम
	गुड़ अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम
गर्भवती एवं धात्री महिलायें	सोयाबीन दाल अथवा मूंग दाल/स्थानीय दालें /काला भट्ट	1.50 किलो 900 ग्राम
	मडुआ का आटा	2.00 किलो
	नमक	1 पैकेट
	गुड़/चीनी अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम
अति कुपोषित बच्चों हेतु	दलिया अथवा सूजी	1.50 किलो
	स्थानीय दालें/मूंग दाल अथवा चौलाई	500 ग्राम
	मूंगफली दाना अथवा भुना चना	250 ग्राम 500 ग्राम
	गुड़ अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम
	अण्डे अथवा फल (सेब, खुमानी, सन्तरा आदि) बादाम अथवा अखरोट	10 अण्डे (सप्ताह में दो बार)

जनपद में कुक्डफूड योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 03 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जा रहा पोषक आहार (नाश्ता–भोजन)

मार्च से नवम्बर तक का समय

क्र0 सं0	दिन	नाश्ता	भोजन
1	सोमवार	भुना चना	दाल–चावल
2	मंगलवार	हलुआ (आटा अथवा सूजी)	न्यूट्रीला एवं चावल
3	बुधवार	भुनी मूंगफली	नमकीन पराठा
4	बृहस्पतिवार	पोहा	दलिया नमकीन अथवा मीठा
5	शुक्रवार	उबला चना	मिक्स दाल एवं चावल
6	शनिवार	भुना चना	खिचड़ी

दिसम्बर से फरवरी तक

क्र0सं0	दिन	नाश्ता	भोजन
1	सोमवार	भुना चना गुड़ के साथ	दाल–चावल
2	मंगलवार	हलुआ (आटा एवं बेसन मिक्स अथवा सूजी) मिठास में गुड़ का उपयोग	न्यूट्रीला एवं चावल
3	बुधवार	भुनी मूंगफली गुड़ के साथ	नमकीन पराठा
4	बृहस्पतिवार	पोहा	दलिया नमकीन अथवा मीठा
5	शुक्रवार	उबला चना	मिक्स दाल एवं चावल
6	शनिवार	भुना चना गुड़ के साथ	खिचड़ी

कुक्ड फूड/टेक होम राशन योजनान्तर्गत निम्न निर्धारित वित्तीय मानक अन्तर्गत माह में (25 दिन) हेतु। धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान है–

- 6 माह से 03 वर्ष के प्रत्येक बच्चे हेतु – **रु0 200.00**
- 3 से 6 वर्ष के प्रत्येक बच्चे हेतु – **रु0 200.00**
- गर्भवती एवं धात्री महिला हेतु – **रु0 237.00**
- अति कुपोषित बच्चों हेतु – **रु0 300.00**

नन्दा देवी योजना 'हमारी कन्या हमारा अभिमान'–

- बी0पी0एल0 परिवार की 02 कन्याओं हेतु संचालित।
- लाभार्थियों को अनुमन्य आर्थिक सहायता धनराशि – रू0 15000.00
- प्रथम किश्त – रू0 5000.00 (आवेदन पर स्वीकृति पश्चात लाभार्थी के खाते में सीधे भुगतान)।
- शेष रू0 10000.00 की लाभार्थी व माता के नाम 10 वर्ष हेतु संयुक्त एफ0डी0।
- द्वितीय किश्त – रू0 5000.00 का कन्या के 10 वर्ष के आयु पूर्ण होने पर खाते में भुगतान।

- तृतीय किश्त– कन्या के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ब्याज सहित शेष धनराशि का भुगतान। अन्तिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने व अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

'सबला योजना' –

योजना का आरंभ –भारत सरकार की यह योजना राज्य के 4 जनपद नैनीताल, हरिद्वार, चमोली एवं उत्तरकाशी में यह योजना वर्ष 2009–10 में लागू हुयी थी।

योजना उद्देश्य – आत्म विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य सफाई, पोषण प्रजनन एवं यौवन स्वास्थ्य और परिवार एवं बाल देखरेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों एवं व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करना, पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैंक पुलिस स्टेशन आदि जैसी मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना।

पात्रता – 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियाँ।

'किशोरी शक्ति योजना' –

योजना उद्देश्य – आत्म विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य सफाई, पोषण प्रजनन एवं यौवन स्वास्थ्य और परिवार एवं बाल देखरेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों एवं व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करना, किशोरियों को समाज की आर्थिक दृष्टि से उपादेय एवं उपयोगी सदस्य बनने के लिये प्रेरित करना।

पात्रता – 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियाँ।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना – भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो समस्त जनपदों में 01 जनवरी, 2017 से लागू की गई है, इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिला को पंजीकृत कर समस्त स्वास्थ्य जांच के लाभ प्रदान करना है, ताकि स्वस्थ्य माता स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।

नन्दा गौरा योजना – महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर '' नन्दा गौरा योजना '' आरम्भ की गयी है। जिसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में निम्न प्रकार से धनराशि का वितरण किया जायेगा :–

चरण	धनराशि (रू0 में)
प्रथम –जन्म के समय	5000.00
द्वितीय– एक वर्ष पूर्ण होने पर	5000.00
तृतीय–8 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर	5000.00
चतुर्थ– 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर	5000.00
पॉचवीं –12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर	5000.00
छठी–डिप्लोमा/स्नातक उत्तीर्ण करने पर	10000.00
सतवीं – विवाह के समय	16000.00

अध्याय–19

ग्राम्य विकास

केन्द्रपोषित योजना

महात्मागॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना– ग्रामीण क्षेत्रों के पंजीकृत प्रत्येक परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के श्रम रोजगार की गारन्टी प्रदान करती है। योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी पर होने वाला शत प्रतिशतव्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा कुशल श्रमिकों एवं सामग्री पर होने वाले व्यय में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान है। मांग आधारित रोजगार उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते के भुगतान पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से प्रति मानव दिवस मजदूरी दर ₹ 213 किया गया है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है।

योजना का उददेश्य

- पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी।
- निर्धनों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना।
- सामाजिक समावेशन को अतिसक्रियता से सुनिश्चित करना।
- पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।

योजना का क्रियान्वयन :

- ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार हेतु इच्छुक परिवारों का पंजीकरण।
- पंजीकृत परिवारों को निःशुल्क जॉब कार्ड का वितरण।
- पंजीकृत श्रमिकों द्वारा कार्य हेतु ग्राम पंचायत/विकासखण्ड स्तर पर आवेदन।
- योजनान्तर्गत ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग प्रतिबन्धित।
- पंजीकृत आवेदनकर्ता की मांग पर 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना।
- 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से।
- परियोजनाओं का चयन एवं अनुमोदन ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा।
- मजदूरी भुगतान खातों के माध्यम से NeFMS (National Electronic Fund Management System) के माध्यम से देय।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे–एन0आर0एल0एम0)– एस0जी0एस0वाई0 के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भारत सरकार द्वारा कराये गये मूल्यांकन के आधार पर एस0जी0एस0वाई0 के तहत ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने में काफी अधिक क्षेत्रीय विविधताएं, लाभार्थियों में अपर्याप्त क्षमता निर्माण, सामुदायिक संस्थानों के गठन में अपर्याप्त निवेश एवं बैंक ऋण की उपलब्धता, बारंबार वित्त पोषण न होना तथा समर्पित मानव संसाधनों एवं उपयुक्त सुपुर्दगी प्रणालियों की कमी के दृष्टिगत एस.जी.एस.वाई में गुणात्मक सुधार करते हुये उक्त योजना को परिवर्तित कर मिशन के रूप में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों तक पहुंच बनाना और उन्हें आजीविका के स्थाई

अवसर मुहैया करवाना एवं उस समय तक उनका पोषण और संरक्षण किया जायेगा जब तक वे गरीबी से ऊपर उठकर एक सम्मानजनक जीवन न जीने लगें।

- एन.आर.एल.एम. में विभिन्न स्तरों पर अपनी समर्पित संवेदनशील सहायक संरचनाओं और संगठनों के जरिये सभी ग्रामीण परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये उनकी क्षमताओं, आर्थिक स्थिति एवं स्वप्रबन्धित आत्मविश्वासी संगठनों का निर्माण करके नौकरियों में नियोजन के जरिये तथा उन्हें लाभप्रद स्वरोजगार तथा उद्यमियों में नियोजित करते हुये गरीबी से उबारने का प्रयास करता है। धीरे–धीरे निर्धनों की ये संस्थायें अपने सदस्यों के जीवन, आजीविका और भाग्य का जिम्मा स्वयं ही उठाने लगेंगे।

मिशन, सिद्धांत और नैतिक मूल्य

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मुख्य रूप से यह धारणा निहित है कि निर्धनों में गरीबी से उभरने की तीव्र इच्छा एवं क्षमता है और वे उद्यमी हैं। इस प्रक्रिया का पहला कदम उन्हें स्वयं को संगठित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इसके लिये एक संवेदनशील और समर्पित वाह्य समर्थन तंत्र जरूरी है, जो निरन्तर उन्हें सामाजिक गतिशीलता, आजीविका प्रबन्धन एवं संस्थान निर्माण में सहायता देता रहे।
- गरीबों के ये संगठन उन्हें और अधिक अधिकार संपन्न बनाने, अपने मानवीय, सामाजिक, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक संसाधनों से सम्पन्न बनाने में मददगार साबित होते हैं। इससे उन्हें सार्वजनिक एवं निजी तौर पर उपलब्ध सेवाओं, अधिकारों, हक–हकूकों, आजीविका के अवसरों तक पहुंच सम्भव हो पाती है, साथ ही उन्हें उपलब्ध संसाधनों और अपनी रूचि के अनुरूप ऐसे रोजगार के अवसरों को चुनने का मौका उपलब्ध कराते हैं जिससे वे सदा के लिये गरीबी से अवमुक्त हो सकें।
- गरीबी उन्मूलन हेतु नितान्त क्षेत्रीय आधार पर निर्धनों को सशक्त एवं स्थाई संस्थाओं के माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार एवं उच्च कौशलयुक्त रोजगार के अवसरों हेतु समर्थ बनाना जिससे उन्हें आजीविका के स्थायी अवसर प्राप्त हो सकें।

एन.आर.एल.एम. मार्गदर्शी सिद्धांत

- निर्धनों में गरीबी से निकलने की मजबूत इच्छा होती है और उनमें सहज क्षमताएं भी हैं।
- निर्धनों की सहज क्षमताओं को उबारने के लिए उनकी सामाजिक एकजुटता और सशक्त संस्थाओं का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक एकजुटता लाने, संस्थागत निर्माण तथा सशक्तिकरण प्रक्रिया के लिए एक बाह्य समर्पित और संवेदनशील सहायक संरचना की आवश्यकता है।
- जानकारी का प्रचार–प्रसार, कौशल विकास, ऋण की उपलब्धता तथा बाजार पहुंच एवं आजीविका संबंधी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने से वे स्थायी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं।

एन.आर.एल.एम. का नैतिक मूल्य

- अत्यंत निर्धनों को शामिल करना और सभी प्रक्रियाओं में अत्यंत निर्धनों के लिए सार्थक भूमिका।
- सभी प्रक्रियाओं और संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही।
- सभी स्तरों–नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में निर्धनों और उनकी संस्थाओं का स्वामित्व एवं प्रमुख भूमिका।

- सामुदायिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता।

दृष्टिकोण

- निर्धनों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एन.आर.एल.एम. में उनकी क्षमता विकास (ज्ञान, कौशल विकास, साख़ एवं संगठन निर्माण) की व्यवस्था की गई है। ताकि वे तेजी से बदलते विश्व के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। बदलते आजीविका क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुये एन.आर.एल.एम. तीन आधारों पर काम करता है– गरीबों की आजीविका के मौजूदा विकल्पों में वृद्धि एवं विस्तार, बाजार के बाहर रोजगार, बाजार के लिये कौशल विकास, स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहन।
- एन.आर.एल.एम. का कार्यान्वयन मिशन मोड में किया जा रहा है, इससे–
  (क) वर्तमान आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य अपनी आजीविका आधारित गरीबी उन्मूलन की योजनायें बना सके.।
  (ख) लक्ष्यों, परिणामों एवं समयबद्ध वितरण पर जोर।
  (ग) सत्त क्षमता निर्माण, कौशल विकास एवं निर्धनों तथा संगठित क्षेत्र के अन्य लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।
  (घ) निर्धनता उन्मूलन के परिणामों की निगरानी करना, चूंकि एन.आर.एल.एम. मांग आधारित कार्यनीति का अनुसरण करता है, इसलिये राज्यों को निर्धनता उन्मूलन के लिये अपने आजीविका आधारित संदर्श योजनायें एवं वार्षिक कार्य योजनायें बनाने की छूट दी गई है।
- इसका अन्तिम उद्देश्य यह भी है कि निचले स्तर पर यह सामुदायिक नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन और पुनर्नियोजन का कार्य निर्धनों द्वारा स्वयं किया जा सके. यह योजनायें केवल मांग आधारित नहीं होंगी बल्कि निरन्तर चलती रहेंगी।

प्रशिक्षण क्षमता निर्माण एवं कौशल निर्माण

- स्वयं सहायता समूह तथा उनके परिसंघों को संस्थागत प्रबन्धन, बाजार के साथ सम्पर्क स्थापित करने, मौजूदा आजीविका का प्रबन्धन करने, उनकी ऋण उपयोग क्षमता तथा ऋण साख बढ़ाने तथा उनके क्षमता निर्माण कर सामुदायिक पेशेवर एवं सामुदायिक संसाधन व्यक्ति बनाने हेतु पर्याप्त कौशल विकास करना। इस हेतु पंचसूत्र का पालन कराना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के आजीविका संवर्द्धन हेतु कौशल विकास करना।
- समूह गठन में पंचसूत्र (नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आपसी लेनदेन, नियमित ऋण वापसी तथा अभिलेखीकरण) सम्बन्धी प्रशिक्षण।
- महिला स्वयं सहायता समूह एवं उनके संगठनों (Federations) को सतत् मार्गदर्शन एंव क्षमतावर्धन करना।

चक्रीय कोष (आर0एफ0) तथा सी0आई0एफ0

- प्रत्येक स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि के रूप में बचत एवं आंतरिक ऋण की आदत बनाने हेतु परिक्रामी निधि/चक्रीय निधि उपलब्ध कराना।
- स्वयं सहायता समूहों के ग्राम संगठनों तथा उससे उच्च संगठनों को दीर्घकालिक ऋण, आवश्यकताओं तथा उपभोग सम्बन्धी अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सी0आई0एफ0 उपलब्ध कराना।

सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन

- मिशन के तहत गठित सभी स्वयं सहायता समूहों को ब्याज उपादान के रूप में 07 प्रतिशत से अधिक ब्याज पर ब्याजगत अनुदान उपलब्ध कराते हुये वित्तीय समावेशन की व्यवस्था।

आजीविका

- मौजूदा आजीविका के मुख्य साधनों (कृषि, गैर कृषि एवं स्वरोजगार इत्यादि) का विस्तार तथा संगठन आधारित आजीविका का सृजन करना।
- कौशल एवं उद्यमिता आधारित रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण एंव क्षमता विकास करना।
- कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता तथा महिलाओं की कृषि आधारित आजीविका को बढ़ाने हेतु महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का क्रियान्वयन करना।

अवसंरचना सृजन एवं विपणन

- स्वयं सहायता समूहों के आजीविका सम्बन्धी मुख्य क्रियाकलापों के लिये मूलभूत अवसंरचनात्मक आवश्कताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- विपणन सहायता हेतु अनेक क्रियाकलापों में बाजार अनुसंधान, बाजार ज्ञान प्रौद्योगिकी तथा हर सम्भव सहायता उपलबध कराना।
- ग्रामीण हाटों को प्रोत्साहित करना एवं समूहों के सतत् प्रतिभाग तथा अनुक्रम हेतु सुविकसित तंत्र तैयार करना।

संवेदी एवं समर्पित संगठनात्मक संरचना

- राज्य, जिला तथा विकासखण्ड स्तरों पर गरीबों के सामुदायिक संगठनों को प्रक्रियान्मुख प्रयास हेतु संवेदी एवं समर्पित मानव संसाधन संरचना उपलब्ध कराना।

चरणबद्ध क्रियान्वयन

- उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के 13 जनपदों के 95 विकासखण्डों में चरणवद्ध तरीके से संचालित की जा रही है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना– योजना अन्तर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों के 5000 युवक–युवतियो को वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण देते हुए कम से कम 3500 प्रशिक्षुओं को आश्वस्त रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल स्वीकृत धनराशि रु0 54.60 करोड की कार्ययोजना स्वीकृत की गई **है, जिसका** विवरण निम्न है–

- प्रशिक्षण लागत – 36.85 करोड़
- क्रियान्यवन लागत – 18.28 करोड़
- समस्त प्रशिक्षण आवासीय होंगे।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन–

विजनः

अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौते किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुये ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गावों के क्लस्टर को रर्बन गांवों के रूप में विकसित करना है।

मिशन का उदेश्यः–

स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्वि करना और सुव्यवस्थित रूर्बन क्लस्टरों का सृजन।

क्लस्टर का चयन मानकः–

1. ग्रामीण जनसंख्या मे दशक के दौरान वृद्वि।
2. भूमि के मूल्य में वृद्वि।
3. गैर कृषि कार्य भागीदारी में दशक के दौरान वृद्वि।
4. माध्यमिक विधालयों में बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत।
5. प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता रखने वाले परिवारों का प्रतिशत।
6. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण में निष्पादन)।
7. ग्राम पंचायतों द्वारा सुशासन पहल।

मिशन के अपेक्षित परिणाम

1. ग्रामीण शहरी अंतर अर्थात आर्थिक, प्रौधोगिकीय सुविधायें तथा सेवाओं से जुडे अंतर को समाप्त करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी उपशमन पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
3. क्षेत्र में विकास का प्रसार करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रो मे निवेश को आकर्शित करना।

वांछनीय घटक तथा अभिसरण

1. आर्थिक कार्यकलापों से सम्बद्व कौशल विकास प्रशिक्षण
2. कृषि प्रसंस्करण कृषि सेवा, भंडारण और वेयर हाउसिंग
3. साजो–सामान से पूरी तरह लैस
4. मोबाइल हेल्थ यूनिट
5. विद्यालय/उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन
6. स्वच्छता
7. पाइप के जरिये जलापूर्ति का प्रावधान
8. ठोस और तरल
9. अपशिष्ट प्रबंधन
10. ग्रामीण गलियां तथा नालियां
11. स्ट्रील लाइट
12. गांवो के बीच सडक संपर्क
13. सार्वजनिक परिवहन
14. एलपीजी गैस कनेक्शन
15. डिजिटल साक्षरता
16. इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिक केन्द्रित सेवाएं उपलब्ध कराने/ई–ग्राम कनेक्टिविटी के लिए सिटिजन सर्विस सेंटर

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उदेश्य अनिवार्य रुप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओ से समझौता किये विना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुये गांवो के कलस्टर को "रुर्बन गांवो" के रूप मे विकसित करना है। इस मिशन का उदेश्य स्थानीय आर्थिक विकास को वनाये रखना, आधारभूत सुविधाओं मे वृद्धि करना और योजनावद्ध तरीके से रुर्बन कलस्टरो का सृजन करना है।

मिशन के अन्तर्गत राज्य को तीन चरणों में कुल 06 कलस्टर चयनित किये गये है तथा 01 नवीन जनजातीय कलस्टर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य को आवंटित किया गया है जिसकी आई0सी0ए0पी0 तैयार की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – वर्ष 2022 तक ''**सभी को आवास**'' उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्दिरा आवास योजना(आई.ए.वाई.) को 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) को प्रारम्भ किया गया है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

पीएमएवाई–जी के अन्तर्गत पात्र सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

मुख्य विशेषताएँ

- आवास हेतु ''**सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना–2011**'' (SECC-2011) की चयनित सूची से पात्र परिवारों का चयन किया जाता है।
- योजनान्तर्गत पर्वतीय राज्य हेतु नये मकानों के निर्माण हेतु प्रति इकाई लागत रू. 1.30 लाख केन्द्रीय एवं राज्यांश (90:10) के अनुपात में अनुमन्य है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना–(ग्रा0) के अर्न्तगत निर्धारित मानकों के आधार पर पात्रता सूची में आवासविहीन, 0 शून्य कमरों वाला आवास, 01 कच्चे कमरे वाला आवास, 02 कच्चे कमरों के आवास वाले पात्र परिवारों को प्राथमिकता/वरीयता प्रदान की जाती है।

लाभार्थियों का निर्धारण

- योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त लक्ष्य में से 60 प्रतिशत आवास अनुसूचित जाति/जनजाति, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक श्रेणी तथा 5 प्रतिशत आवास दिव्यांगों लिए आरक्षित।

किश्तों का आंवटन

- निर्धारित धनराशि रू0 1,30,000/– का भुगतान FTO के माध्यम से सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में निम्नानुसार तीन किश्तों में हस्तान्तरित किया जायेगाः–

स्टेज	धनराशि	विवरण
I	रू0 60,000.00	आवास स्वीकृत होने पर तथा निर्माण स्थल के फोटो ग्राफ अपलोड होने पर
II	रू0 40,000.00	निरीक्षण लेन्टल लेवल /फोटो ग्राफ अपलोड होने के उपरान्त
III	रू0 30,000.00	आवास पूर्ण (शौचालय सहित) होने तथा निरीक्षण/फोटो ग्राफ अपलोड होने के उपरान्त

केन्द्राभिसरण

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु रू0 1.30 लाख के अतिरिक्त शौचालय निर्माण हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अथवा महात्मा गांधी नरेगा से प्रति इकाई लागत रू. 12000/– की सहायता अनुमन्य।
- स्वयं के आवास निर्माण में कार्य हेतु 95 दिवस का श्रमांश मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवार को महात्मा गांधी नरेगा से प्रदान किये जाने का प्राविधान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसे लाभार्थी महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत निर्धारित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त कर सकता है।

- उक्त के अतिरिक्त अन्य मूलभूत सुविधाओं यथा विद्युत, पेयजल, गैस कनेक्शन आदि हेतु संबंधित रेखीय विभागों के साथ कन्वर्जेन्स।

आवास का डिजाईन/नक्शा–

- योजनान्तर्गत आवास निर्माण में सहायता हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा ''लाभार्थी पुस्तिका'' का प्रकाशन किया गया है, जिसमें भूकम्परोधी तथा उच्च गुणवत्तायुक्त आवास निर्माण किये जाने हेतु मार्ग–दर्शन/सुझावों के साथ–साथ 04 माडॅल डिजाईन/नक्शे भी दिये गये है, जो निम्नानुासर है–
- ईंट की दीवार के साथ आर.सी.सी. छत वाला आवास का माडॅल डिजाईन/नक्शा
- ईंट की दीवार के साथ नालीदार छत वाला आवास का माडॅल डिजाईन/नक्शा
- पत्थर की दीवार के साथ आर.सी.सी. छत वाला आवास का माडॅल डिजाईन/नक्शा
- पत्थर की दीवार के साथ आर.सी.सी. छत वाला आवास का माडॅल डिजाईन/नक्शा
- लाभार्थी अपनी आवश्यकतानुसार सुविधानुसार आवास निर्माण कर सकता है।

कार्यनीति

- आवास का निर्माण लाभार्थी परिवार द्वारा स्वयं किया जायेगा।
- विकास खण्ड में निर्माण कार्य की देख–रेख करने के लिए खण्ड विकास अधिकारी, सहायक खण्ड विकास अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता मनरेगा, तथा रोजगार सहायक।
- ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदाई होगें।

लाभार्थी की भागेदारी

- आवास का निर्माण लाभार्थी परिवार स्वंय करेगा। इसके लिए जरूरी निर्माण सामग्री की व्यवस्था भी स्वंय करेगें, अपने आप ही कुशल कारीगरों को लगा सकता हैं तथा पारिवारिक श्रम का भी योगदान कर सकते है।

मकानों का आंवटन

- मकानों का आवंटन यथासंभव लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होना चाहिए, विकल्पतः इसे पति व पत्नी दोनों के नाम आंवटित किया जा सकता है। तथापि यदि परिवार में कोई पात्र महिला सदस्य उपलब्ध न हो तो आवास पात्र परिवार के पुरूष सदस्य के नाम भी आंवटित किया जा सकता है।

आवास निर्माण के महत्वपूर्ण अवयव

- योजनान्तर्गत प्रत्येक आवास का निर्माण कम से कम 25 वर्ग मीटर भूमि में आवास निर्माण करते समय एक कक्ष, किचन तथा शौचालय बनाना अनिवार्य होगा।

पारदर्शिता एवं जबाबदेही

- पीएमएवाई–जी के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों का नाम व वरीयता को ग्राम पंचायत घर के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाना।
- आवास निर्माण के निर्धारित चरणों का जियो टैगिंग के माध्यम से फोटोग्राफ एवं निरीक्षण आख्या आवास सॉफ्ट में अपलोड किया जाना।

- प्रत्येक पंचायत पर सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था जिसमें ग्राम सभा की खुली बैठक में आवास आवंटन किश्तों की अवमुक्ति तथा समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराना।
- प्रत्येक आवास पर पीएमएवाई–जी का लोगो, जिसमें निर्माण वर्ष, लाभार्थी का नाम अंकित कराया जाना।

कार्य की प्रगति एवं एम.आई.एस. सिस्टम

- आवास की स्वीकृति के साथ ही लाभार्थी का पूर्ण विवरण केन्द्रीकृत डेटाबेस आवास सॉफ्ट में अपलोड किया जायेगा।
- आवास सॉफ्ट डेटाबेस में निर्माण स्थल जहाँ आवास का निर्माण किया जाना है तथा जहाँ अभी लाभार्थी निवास कर रहा है, का जियो टैगिंग से फोटो अपलोड होने के बाद प्रथम किश्त का भुगतान, लिंटल लेबल तक की आवास एप्प के द्वारा आवास की फोटो अपलोड होने के बाद द्वितीय किश्त का भुगतान तथा इसी प्रकार जब आवास शौचालय सहित पूर्ण हो जाए तो उसकी आवास एप्प से फोटो उक्त डाटाबेस में अपलोड करने के बाद अन्तिम किश्त का भुगतान किया जायेगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना– –योजना का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी के सभी असंयोजित बसावटों को सर्वऋतु मार्गों से संयोजित किया जाना है। नये फण्डिंग पैटर्न के अनुसार पी0एम0जी0एस0वाई0 में निर्माण कार्यों हेतु 90:10 के अनुपात में बजट व्यवस्था निर्धारित है। इसके अतिरिक्त मार्गों के निर्माण हेतु नियोजन चरण में समरेखण में आने वाली निजी भूमि प्रतिकर, निजी सम्पत्ति प्रतिकर, वन भूमि प्रतिकर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 एवं 75मी0 से अधिक स्पान के सेतुओं के निर्माण हेतु आनुपातिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्मित/निर्माणधीन मार्गो में अत्यधिक वर्षा एवं हिमपात के कारण मार्गो के अवरूद्ध होने पर उनके यातायात के सुचारु संचालन हेतु तुरन्त Emergency/Restoration के कार्य कराने हेतु व्यय का वहन भी राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है।

सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (बी.ए.डी.पी.)– उत्तराखण्ड राज्य में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) वर्ष 2001 से लागू है, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के पांच जनपद यथा चमोली, चम्पावत, उत्तरकाशी, ऊधमसिह नगर तथा पिथौरागढ़ के 9 विकासखण्ड (क्रमशः जोशीमठ, लोहाघाट, चम्पावत, भटवाड़ी, खटीमा, मुनस्यारी, धारचूला, कनालीछिना, मूनाकोट) में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) संचालित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत नेपाल एवं चीन की अन्तराष्ट्रीय सीमा की लम्बाई 424.50 कि0मी0 (क्रमशः नेपाल–80.50 कि0मी0 तथा चीन–344 कि0मी0) से लगे हुए राज्य के पांच सीमान्त जनपद के उपरोक्त वर्णित विकासखण्डों में आवासीत आम–जनमानस के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न अवस्थापना सृजन के क्रियान्वयन के कार्यक्रम संचालित हैं।

बायोगैस कार्यक्रम (शतप्रतिशत केन्द्र पोषित)– बायोगैस योजना शतप्रतिशत केन्द्रपोषित योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनके पास 5 से 10 तक बडे पशु हों योजना के अर्न्तगत लाभान्वित हेतु पात्र है। राज्य के सभी क्षेत्रों हेतु 1 घनमीटर आकार तक के संयत्रों पर ₹ 10,000/–, 2 से 6 घन मीटर तक के संयत्रों पर ₹ 13,000/–, 8 से 10 घन मीटर तक के संयत्रों पर ₹ 18,000/–, 15 घन मीटर तक के संयत्रों पर ₹ 21,000/–, 20 से 25 घन मीटर तक के संयत्रों पर ₹ 28,000/–प्रति संयंत्र अनुदान देय है तथा टर्न की एजेण्ट को बायोगैस निर्माण व तीन वर्ष तक देखरेख के लिये 01 से 10 घन मीटर प्रति संयत्र ₹ 2500/– एवं 15 से 25 घन मीटर के संयत्रों के लिय प्रति संयत्र ₹ 4500/– देय है।

राज्य पोषित योजना

विधायक निधि – वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा ₹ 3.75 करोड प्रति माननीय विधायक धनराशि प्रति वर्ष देय है जिससे प्रत्येक विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा क्षेत्र में अनुभव की जा रही आवश्यकताओं के अनुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं तथा स्थानीय जनता की मांग आधारित कार्यो की पूर्ति हेतु संबधित मुख्य विकास अधिकारियों को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। कार्यो का क्रियान्वयन सरकारी विभाग, पंचायतीराज संस्थायें तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा सम्पादित किया जाता है।

मेरा गांव मेरी सड़क योजना– उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय राज्य होने तथा भौगोलिक, आर्थिक एवं संसाधनिक परिस्थितियों के कारण राज्य की मूल आवश्यकताएं, प्राथामिकताएं, आधार तथा मानक मैदानी राज्यों से भिन्न हैं. राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य सड़कों से जोड़ने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि ये अन्य लोगों के सम्पर्क में आसानी से आ सकें साथ ही गांव की पैदावार को बाजार उपलब्ध कराते हुए अपनी आजीविका में सुधार कर सकें तथा गांवों से हो रहे पलायन को रोका जा सके। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु ''**मेरा गांव मेरी सड़क**'' योजना प्रारम्भ की गयी है।

इन्दिरा अम्मा भोजनालय– समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त, 2015 को देहरादून नगर में प्रयोग के तौर उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की गई है जिसका नाम **''इन्दिरा अम्मा भोजनालय''** है। इन्दिरा अम्मा भोजनालय की स्थापना प्रत्येक जनपद के मुख्यालय में की गयी है। कैंटीन मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण/ नियत्रंणाधीन है। कैंटीन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित हो रही हैं। शहरी निकायों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी मिशन (NULM) के अर्न्तगत आने वाले स्वयं सहायता समूह भी इन्दिरा अम्मा कैंटीन के संचालन हेतु पात्र हो सकते हैं, इन्हें ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अनुदान दिया जाना है।

योजनार्न्तगत प्रति थाली पर्वतीय क्षेत्रो में ₹ 25.00 एवं जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, एवं नैनीताल में प्रति थाली दर ₹ 20.00 उपभोक्ता से लिया जा रहा है तथा ₹ 10.00 राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप प्रति थाली वहन किया जाता है।

रूरल विजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना– योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गठित सामुदायिक संगठनों/ सामुदायिक कॉडर/कृषक समूहों/ ग्रामीण परिवारों के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने तथा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में इन्टरप्राईज स्थापना में तकनीकी एवं ज्ञान आधारित सहयोग, Entrepreneur को वित्तीय समावेशन में सहायोग तथा Entrepreneur के समस्या निदान एवं Scalable Business Model चिन्हित करने, जागरूकता एवं क्षमता विकास, स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन, विपणन आदि सहगामी क्रिया कलापों में सहयोग हेतु Hub and Spoke Model ij Rural Business incubator(RBI) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका संचालन नियमानुसार तकनीकी एवं अनुभवी एजेन्सी के माध्यम से किया जायेगा।

प्रथम चरण में दो Hub की स्थापना क्रमशः जनपद पौडी के दुगड्डा विकास खंड के कोटद्वार तथा जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में की जा रही है। रूरल विजनेस इन्क्यूबेटर्स के क्रियान्वयन हेतु ऐजेन्सी का चयन कर भवनों के पुर्नोद्वार के लिये जनपद पौडी को 60.00 लाख एवं अल्मोडा को रू. 49.00 लाख अवमुक्त किया गया।

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एमबीएडीपी)– उत्तराखण्ड राज्य के अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से सटे पॉच जनपदों के नौ विकास खण्डों क्रमशः जनपद चमोली के जोशीमठ, उत्तरकाशी के भटवाड़ी, उधमसिंह नगर के खटीमा, चम्पावत के लोहाघाट तथा चम्पावत एवं जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला, मूनस्यारी, कनालीछीना तथा मूनाकोट जो कि सामरिक दृष्टि से अतिसंवेदनशील एवं महत्वपूर्ण हैं, में पलायन रोकने के उद्देश्य से इन विकास खण्डों में आवासित जनमानस को सामुदायिक विकास आधारित आजीविका सृजन, स्वरोजगार हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा समग्र आजीविका विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन, मूल्य संर्वधन, विपणन आदि आवश्यक सतत् आजीविका के संसाधन एवं सुविधायें ससमय उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से राज्य के पॉच जनपदों के 9 विकास खण्डों क्रमशः जनपद चमोली के जोशीमठ, उत्तरकाशी के भटवाड़ी, उधमसिंह नगर के खटीमा, चम्पावत के लोहाघाट तथा चम्पावत एवं जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला, मूनस्यारी, कनालीछीना तथा मूनाकोट में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम बी0ए0डी0पी0 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 0–10 कि0मी0 (अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से सटा प्रथम गॉव को 0 कि0मी0 मानते हुए) मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से युक्त करना है, साथ ही वहां आवासित जनमानस को स्वरोजगार हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण तथा आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है। विशिष्ट परिस्थितियों में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अधिकतम् 50 कि0मी0 तक के गॉव को कुछ महत्वपूर्ण घटकों हेतु आच्छादित किये जाने की व्यवस्था भी की गयी है, किन्तु सर्वप्रथम 0–10 कि0मी0 तक के गॉव को विकास कार्यों के संतृप्तीकरण उपरान्त ही 0–20, 0–30 तथा 0–50 कि0मी0 को योजना के तहत लिए जाने के प्राविधान है।

इस योजना के तहत इन 9 सीमांत विकास खण्डों के गॉवों में कृषि/बागवानी, पशुपालन आधारित सेक्टरों में आजीविका विकास, ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना, स्वरोजगार स्थापना सबंधी कौशल विकास, विशेष आजीविका विकास परियोजनायें/नवाचार योजनायें, आजीविका मॉडल गॉवों का विकास आदि घटकों में इस योजना के तहत प्राप्त निधि का उपयोग किया जायेगा। समस्त योजनायें सामुदायिक विकास की होंगी कोई भी व्यक्तिगत लाभ की योजनायें अनुमन्य नहीं होगी।

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना– योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत तक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों /बेरोजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्ट्स आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में क्रियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा गैप फिलिंग के रूप में इस योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम पलायन रोकना तथा रिर्वस पलायन को बढावा देना है। इस योजना के तहत कृषि, उद्यान तथा पशुपालन से संबंधित स्वरोजगार परक/कौशल विकास की योजनाओं प्राथमिकता दी जायेगी।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना का मूल उददेश्य, उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना व उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना व उनकी निर्धनता को न्यूनतम स्तर पर लाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। परियोजना की रणनीति आजीविका संवर्धन हेतु निम्नांकित द्विआयामी दृष्टिकोण अपनाने की है :

1. अधिकांश परिवारों की खाद्य उत्पादन प्रणाली को विकसित करने हेतु उन्हें सहयोग करना।
2. परियोजना का दूसरा व महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र समुदाय को गैर कृषि गतिविधियों में सहयोग करके उनकी नगद आय अर्जन में वृद्धि करना है। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण पर्यटन, हस्तशिल्प, कारीगरी व अन्य व्यवसायों आदि के क्षेत्र में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना व युवाओं के रोजगार अर्जित करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है।

परियोजना क्षेत्रः

परियोजना वर्ष 2012–13 से वर्ष 2020–21 तक कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत है। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी एवं देहरादून जनपदों के चयनित 44 विकासखण्डों में किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य राज्य के 11 पर्वतीय जनपदों के 44 विकासखण्ड़ों के ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना व उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना व उनकी निर्धनता को न्यूनतम स्तर पर लाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

योजना का लक्ष्य

- परियोजना क्षेत्र के समुदाय को गैर कृषि गतिविधियों में सहयोग करके उनकी नगद आय अर्जन में वृद्धि करना है। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण पर्यटन, हस्तशिल्प, कारीगरी व अन्य व्यवसायों आदि के क्षेत्र में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना व युवाओं के रोजगार अर्जित करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है।
- उत्पादक समूह व आजीविका संगठनों द्वारा स्थापित उद्यमों में वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण का कार्य करना।
- भूमिहीन अथवा कम कृषि जोत भूमि वाले निर्धन परिवार विशेष रूप से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को निर्बल उत्पादक समूह में सम्मिलित किया जायेगा।
- बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ लिंकेज बनाना।
- परियोजना द्वारा संचालित क्षमता विकास के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना।
- उत्पादों का संग्रहण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एवं मूल्य संवर्द्धन करना।
- आजीविका संगठन का सदस्य बन कर गतिविधियों में भागीदारी निभाना।
- फैडरेशन/आजीविका संगठनों द्वारा संग्रहित विपणन।
- राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी व बाजार प्रोत्साहन कार्यक्रम, टेक–होम राशन व मिड–डे–मील योजनाओं के साथ लिंकेज, राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय मंडियों व अंतरराष्ट्रीय विपणन कम्पनियों के लिंकेज।
- 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्धि व कृषि का संवर्द्धन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित करना।

अध्याय–20
प्रादेशिक विकास दल

विभाग का संक्षिप्त परिचय– प्रान्तीय रक्षक दल विभाग का गठन दिनांक 20 अक्टूबर 1947 के अधीन तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। तदुपरान्त वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम–1948 के माध्यम से प्रान्तीय रक्षक दल को वैधानिक दर्जा देते हुये इसकी भूमिका और उद्देश्यों का पुष्टिकरण भी कर दिया गया। उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग पुनर्गठित करते हुये एक स्वतन्त्र विभाग के रुप में स्थापित किया गया है। विभाग का मुख्य कार्य जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक–एक युवक एंव महिला मंगल दल का गठन करते हुए उनका सम्बद्धीकरण/पंजीकरण कर उनके माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार तथा विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुये ग्रामीण जनों को उससे लाभान्वित किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय रक्षक दल में पी0आर0डी0 स्वयं सेवको का चयन कर उनको 22 दिवसीय अर्द्धसैन्य प्रशिक्षण दिलाकर विभिन्न कार्यालयों, मेला, परीक्षा तथा आपदा, शान्ति सुरक्षा ड्यूटियों पर तैनात करते हुये अल्पकालीन रोजगार उपलबध कराया जाना है।

व्यायामशाला – वर्ष 2021–22 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर, में क्रमशः 13, 01, 06, 01, 03, 04 व्यायामशालाएं है।

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता – ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के अर्न्तगत प्रत्येक विकास खण्ड स्तर एंव जनपद स्तर पर बालक/बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता के अन्तर्गत जनपद/राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में यात्रा भत्ता, भोजन भत्ता व खेलकिट आदि पर व्यय की गयी।

युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन – युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रति दल रुपये चार हजार की धनराशि समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी तथा प्रत्येक विकास खण्ड में रु0 2500 प्रतिमाह मानदेय पर महिला संगठकों की तैनाती की गयी।

विवेकानन्द यूथ एवार्ड – जनपद के सर्वश्रेष्ठ युवक/महिला मंगल दलों को पृथक–पृथक रूपये 5000.00 (1 शील्ड), 3000.00 व 2000.00 की धनराशि प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरूस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। इसी प्रकार खण्ड स्तर पर रू0 1500.00, 1000.00 व 500.00 की धनराशि युवक/महिला मंगल दलों को प्रदान की जाती है।

स्वयं सेवकों का सुदृढ़ीकरण – के अर्न्तगत जनपद की प्रत्येक न्याय पंचायत एंव खण्ड स्तर पर अवैतनिक रुप से तैनात हल्का सरदार तथा ब्लाक कमाण्डरो को क्रमशः रुपये 300.00 व 600.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया गया।

समाज सेवा/शान्ति सुरक्षा – स्वयं सेवकों को अल्पकालीन रोजगार उपलब्ध कराते हुये विभिन्न कार्यालयों तथा थाने मे तैनात किया गया। उक्त के अतिरिक्त गैर विभागीय ड्यूटियों में भी स्वयं सेवकों को विभिन्न कार्यालयों में ड्यूटी पर तैनात किया गया, जिनके ड्यूटी भत्ते का भुगतान सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा किया गया।

युवा महोत्सव – जनपद स्तर पर युवक/महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन करते हुये विजयी टीमों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग कराया गया।

खेल महाकुम्भ – खेल महाकुम्भ योजना के अन्तर्गत अण्डर–14, 17 व 19 आयुवर्ग के बालक/बालिकाओं एवं 19–35 आयुवर्ग की महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

अध्याय–21

दुग्ध विकास

जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण दुग्ध सहकारिताओं के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत प्रति समिति प्रस्तावित वित्तीय सहायता के मानक की मार्ग–निर्देशिका का अनुलग्नकः–

1. नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु सहायताः–

क्र0 सं0	विवरण	प्रथमवर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	धनराशि (रू0)
1.	दुग्ध जांच संयंत्र एवं रसायन आदि (गरवर मशीन के स्थान पर मिल्क ऐनेलाइजर)	42500	1000	500	44000
2.	फर्नीचर एवं कन्टीजैंसी	5000	–	–	5000
3.	दुग्ध कैन	7000	–	–	7000
4.	प्रबन्धकीय अनुदान	7200	6000	4800	18000
5.	प्राथमिक पशुचिकित्सा पेटिका एव दवाएं	2000	–		2000
6.	कार्यशील पूंजी	5000	5000	–	10000
7.	सचिव प्रशिक्षण	7500	–	–	7500
कुल योगः–		**76200**	**12000**	**5300**	**93500**

(2.) तकनीकी निवेश कार्यक्रमः–

(2.1) पशुऔषधि– रू0150 प्रतिपशु।

(2.2) डिवार्मिंग– रू0 60 प्रति।

(2.3) टीकाकरण रू0 20 प्रति।

(2.4) आपातकालीन पशुचिकित्सा एव पर्यवेक्षण इकाई–(अधिकतम 02 यूनिट)

(i) पशुचिकित्सक हेतु–

(क.) मानदेय (समस्त भत्तों सहित) रू030 हजार प्रतिमाह की दर से 12 माहहेतु– रू0 3.60 लाख।

(ख.) इन्सेन्टिव रू0 50 प्रतिकेस, 80 केस प्रतिमाह की दर से 12 माहहेतु– रू0 0.48 लाख।

(ii) वाहन–

(क.) पशुचिकित्सक हेतु 100 किमी0/दिन/20दिन/12माह @ रू09/किमी0– रू0 2.16 लाख

(ख.) जनपदीय सहायक निदेशक के फील्ड पर्यवेक्षण हेतु 100 किमी0/दिन/10दिन/12माह @रू0 9/किमी0– रू0 1.08 लाख।

योगः–प्रति इकाई– रू0 7.32 लाख।

(2.5) विविध व्ययः–(अधिकतम 01 यूनिट) रू0 30,000 प्रतिवर्ष।

(2.6) संतुलित पशुआहार अनुदान–

(क) मैदानी क्षेत्र रू0 4.00प्रति किग्रा0

(ख) पर्वतीय क्षेत्र रू0 6.00प्रति किग्रा0

(2.7) कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक– 50 प्रतिशत अनुदान

(2.8) हैडलोड अनुदान–

(1) मैदानी क्षेत्र 25 पैसा/लीटर/कि0मी0

(2) पर्वतीय क्षेत्र — 75 पैसा/लीटर/कि0मी0

(3.) दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास–

(3.1) दुग्ध कक्ष निर्माण–

(1) मैदानी क्षेत्र– रू0 4.65 लाख।

(2) पर्वतीय क्षेत्र– रू0 5.15 लाख।

(3.2) भूसा गोदाम निर्माण–

(1) मैदानी क्षेत्र– रू0 5.15 लाख।

(2) पर्वतीय क्षेत्र– रू0 5.65 लाख।

(3.3) डी.पी.एम.यू. व वेईंग मशीन सहित मिल्क एनालॉइजर स्थापना– रू0 90,000 प्रति।

(3.4) मैनुअल फैट टैस्टिंग मशीन– रू0 3,000 प्रतिमशीन।

(3.5) इलेक्ट्रिकल फैट टैस्टिंग मशीन– रू0 5,000 प्रतिमशीन।

(3.6) मैनुअल चैपकटर– रू0 6,000 प्रतिनग।

(3.7) इलेक्ट्रिकल चैपकटर (मोटर सहित)– रू010,000 प्रतिनग।

(3.8) मिल्किंग मशीन–

(1) सिंगल बकेट– रू0 88,000/ नग।

(2) डबल बकेट– रू0 1,16,000/ नग।

(4.) प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रम–

(4.1) समिति भवन वॉलपेंटिंग– रू0 10,000/प्रति समिति।

(4.2) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन–

क्र0सं0	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	प्रति व्यक्ति दर/दिन	कुल सहायता
1.	समिति सचिव रिफ्रेसर प्रशिक्षण	7 दिन	750.00	5,250.00
2.	फारमर्स इण्डक्शन कार्यक्रम	2 दिन	1900.00	3,800.00
3.	प्रबन्ध समिति सदस्य प्रशिक्षण	3 दिन	1350.00	4,050.00
4.	स्टाफ प्रशिक्षण (प्रशिक्षक मानदेय सहित)	5 दिन	2000.00	10,000.00

(4.3) पशुचिकित्सा एवं पशुप्रर्दशनी कैम्प– रू0 5,000 प्रति कैम्प।

(5.) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायताः–

क्र0सं0	विवरण	दर
5.1	पशुशाला (01 पशु व 01बछडा हेतु 60 वर्ग फुट)	रू0 12,000 प्रतिपशुशाला
	पशुनाद एवं पशुचरी व्यवस्था– पशु नाद– पशु चरी व्यवस्था–	 रू0 4,000 प्रति। रू0 2,500 प्रति।

क्र0सं0	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	प्रति व्यक्ति दर/दिन	कुल सहायता
5.3	5.3.1 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी	1 दिन	रू0 2,000 प्रतिगोष्ठी	
	5.3.2 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण		रू0 400 प्रतिकिट।	
5.4	5.4 दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन		रू0 4500 प्रतिदुग्ध मार्ग।	

(6.) दुग्ध गुणवत्ता नियंत्रण एवं जागरूकता कार्यक्रमः–

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम– रू0 7,000/–प्रति कैम्प।

(7) 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापना हेतु अनुदान–

(7.1) 03 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापना हेतु अनुदान– रू0 61,625.00

(7.2) 05 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापना हेतु अनुदान– रू0 1,01,813.00

(8) दुग्ध उपार्जन परिवहन हेतु अनुदान– दुग्ध उपार्जन परिवहन व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान

(9) बछिया पालन हेतु अनुदान –

(9.1)बछिया के क्रयार्थ अनुदान – रू0 10,000.00 प्रति बछिया

(9.2)बछिया के 01 वर्ष के चारे दाने हेतु अनुदान– रू0 20,000.00 प्रति बछिया

प्रति बछिया पालन हेतु कुल अनुदान– रू0 30,000.00 (रू0 तीसहजार मात्र)

राज्य सेक्टर योजनाः–

2.1. डेरी विकास योजनाः–

➢ **यातायात योजना** :–इसके अन्तर्गत दुग्ध समितियों से दुग्ध संग्रह कर दुग्धशाला तक लाने हेतु दुग्ध परिवहन में आने वाले व्यय में से राजकीय अंश के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध के ढूलान पर होने वाले यातायात व्यय के अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु यातयात अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

➢ **सचिव मानदेय** :– इसके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध समितियों के सचिवों को रू0 0.50 प्रति ली0 की दर से मानदेय के रूप में आर्थिक सहायता प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध कराया जाता है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक दुग्ध समिति के दुग्ध संघ को ''कि0ग्रा0'' में प्राप्त हो रहे दुग्ध मात्रा को ''ली0'' में गणना कर सचिव मानदेय की राशि का भुगतान किया जाता है।

➢ **प्रशिक्षण कार्यक्रम** :– प्रदेश में गठित दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों, प्रबंध कमेटी सदस्यों तथा विभागीय व संस्थाओं के कर्मचारियों को डेरी विकास के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों के संबंध में आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डेरी विकास योजनान्तर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों, यथा–जालन्धर, पंजाब, आणन्द, गुजरात तथा विभिन्न डेरी प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। इसके अन्तर्गत डेरी के तकनीकी/गैर तकनीकी आदि विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों के कौशल में अभिवृद्धि किया जाता है।

➢ **प्लान्ट मशीनरीज एवं सिविल कार्य** :– इसके अन्तर्गत दुग्ध संघों तथा पशुआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सिविल कार्य एवं प्लान्ट मशीनरीज स्थापना मद में दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से अवस्थापना विकास के अन्तर्गत संघ स्तर पर विभिन्न निर्माण कार्यों तथा मशीनरीज क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

➢ **सैन्ट्रल डेरी लैब** :– डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन सेन्ट्रल डेरी लैब, लालकुआं, जनपद–नैनीताल, जिसमें दुग्ध उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता का तरल दूध एवं दुग्ध उत्पाद की उपलब्धता के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के विभिन्न दुग्ध संघों में प्रसंस्करित किये जा रहे तरल दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण का कार्य किया जाता है। डेरी विकास योजनान्तर्गत दुग्धशाला हेतु उपकरणों एवं आवश्यक रसायनों तथा अन्य विविध कार्यों हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

➢ योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में 10.76 लाख बजट प्रावधन के सापेक्ष 10.76 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई।

2.2 महिला डेरी विकास योजनाः–

➢ प्रदेश में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु महिला डेरी विकास परियोजना के माध्यम से महिला दुग्ध समितियों का गठन कर ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने, ग्रामीण महिलाओं को जीविकोपार्जन हेतु आय–व्यय जागरुकता, सामाजिक उत्थान, स्वावलम्बी बनाने हेतु तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वेतन, प्रोपल्शन आदि के अतिरिक्त महिला दुग्ध समितियों का गठन, अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजन/सेमिनार तथा महिला दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत सचिव प्रशिक्षण, प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण, स्टाफ प्रशिक्षण तथा स्वच्छ दुग्ध उपार्जन गोष्ठी हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। उत्तराखण्ड में दुग्ध उपार्जन का कार्य परम्परागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जनपद में महिला दुग्ध समितियों के गठन का कार्य एवं दुग्ध उपार्जन कार्य सफलता पूर्वक किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद–नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 4, 2, 2, 2, 2, 2 कुल 14 समितियों का गठन किया गया, जिनसे प्रतिमाह औसतन क्रमशः 420 ली0, 36 ली0, 30 ली0, 52 ली0, 22 ली0 तथा 75 ली0, कुल 635 ली0 औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन किया गया।

➢ राज्य सेक्टर में डेरी विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 364.91 लाख के बजट प्रावधान के सापेक्ष रू0 364.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई।

2.3. <u>दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण</u> :–

➢ योजनान्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 79.99 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 79.99 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

2.4. <u>दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना</u> :–

➢ प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को 8.00 प्रतिशत एस0एन0एफ0 अथवा इससे अधिक की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को रू0 4.00 प्रति लीटर तथा 7.50 से 7.99 प्रतिशत एस0एन0एफ0 की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को रू0 3.00 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जाती है।

➢ दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 2185.89 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 2185.89 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई।

2.5. <u>गंगा गाय महिला डेरी योजना</u> :–

➢ गंगा गाय महिला डेरी योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध समितियों की महिला सदस्यों को एक दुधारू गाय क्रय हेतु बैंक ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 600.00 लाख को बजट प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हई। योजनान्तर्गत क्रय की गयी दुधारू गाय का तीन वर्ष का पशुबीमा करवाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

➢ **योजना की प्रति यूनिट लागत निम्नवत् है–** **(धनराशि ₹ में)**

क्र0 सं0	विवरण	दुधारू पशु की इकाई	इकाई की लागत	अनुदान की धनराशि	बैंक ऋण की राशि	लाभार्थी अंशदान
1.	क्रास ब्रीड गाय	1	40,000	20,000	20,000	0
2.	परिवहन लागत	1	2800	1400	0	1400
3.	दुधारू पशु का तीन वर्ष का बीमा	1	1920	960	0	960
4.	पशु नांद/चरी क्रय हेतु अनुदान	1	2000	2000	0	0
5.	दुधारू पशु हेतु चारे दाने की व्यवस्था	1	5280	2640	0	2640
	योग–	**1**	**52000**	**27000**	**20000**	**5000**

2.6 <u>पशुचारा परिवहन अनुदान योजना</u> –

➢ **दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादक सदस्यों के दुधारू पशुओं को आवष्यकतानुसार पशुचारा यथा संतुलित पशुआहार वैक्यूम पैक्ड साईलेज उपलब्ध कराया जा रहा है। दूरस्थ ग्रामीणक्षेत्रों तक पहुचते हुए साईलेज एवं संतुलित पशुआहार की दरें परिवहन व्यय बढ़ने के कारण अधिक हो जाती है। दूरस्थ क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को भी उक्त अव्यय निर्माण स्थल की दरों पर उक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वष 2021–22 में रू0 149.45 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 142.32 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई।**

2.7 <u>साईलेज एवं दुधारू पशपोषण योजना</u> –

➢ इस योजनान्र्तगत दुग्ध सहकारी समितियों से जुडे दुग्ध उत्पादक सदस्यों में उनके दुधारू पशुओं के उपयोग हेतु गुणवत्ता युक्त हरे चारे एवं मिनिरल मिक्चर के उपयोग के चलन की कमी एवं प्रोबाईटिक्स जो

कि दुधारू पशुओ में माईक्रोन्यटेशन की कमी को दूर करता है दुग्ध उत्पादन को बढाये जाने के उद्देश्य से साईलेज एवं दुघारू पशु पोषण योजना तैयार की गयी। योजनान्तर्गत उक्त अवयव उनके मुल्य के 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 511.53 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 506.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई।

3. कुमाऊॅ मण्डल, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड की उपलब्धियाँ एक दृष्टि में:–

(सहकारी वर्ष–2021–22, माह/दिनांकः मार्च 2022 तक)।

- मिल्क फोर्टीफिकेशन के अन्तर्गत तरल दुग्ध मे विटामिन ए और डी मिलाया जाता है। इससे दूध की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
- 05 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गठित एवं कार्यरत।
- 05 दुग्धशालाऐं, जिनकी दैनिक क्षमता 1,85,00 लीटर प्रतिदिन।
- 42 दुग्ध अवशीतन केन्द्र, जिनकी क्षमता 1.30 लाख लीटर प्रतिदिन।
- 100 मै0 टन क्षमता की पशुआहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) में स्थापित।
- 88 दुग्ध मार्गों पर 2362 दुग्ध सहकारी समितियां गठित एवं कुल 1755 कार्यरत, जिसमें 95703 सदस्यों तथा 44247 पोरर दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी।
- माह मार्च, 2021 में औसत दैनिक दुग्धोपार्जन 204628 कि0ग्रा0
- माह मार्च, 2021 में कुल 889 मै0 टन आँचल पशुआहार की बिक्री।

4. स्वाट (swot)विश्लेषणः–

(i) ताकत (strength)

- सहकारी संस्था होने के कारण समय–समय पर शासकीय संरक्षण एवं सहायता।
- पर्यटक स्थल होने के कारण दूध की बिक्री के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध है।
- पशुपालन एवं डेरी व्यवसाय हेतु विभिन्न श्रोतों से व्यापक निवेश हो रहा है।
- सहकारी संस्था होने के कारण व्यापक जनसहयोग है।

(ii) कमजोरियॉ (weakness)

- सहकारी संस्था होने के कारण व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप व्यवसाय में बाधक।
- त्वरित निर्णय प्रक्रिया का आभाव।
- अत्यधिक कच्चा व्यवसाय होने के कारण अस्थिरता की स्थिति बनी रहना।
- पुरानी मशीनरी एवं छोटा संयत्र।
- कार्मिकों का मूल्यॉकन योग्यता एवं उपयोगिता पर आधारित न होकर वरियता के आधार पर किया जाना।

(iii) सम्भावनाऍ (opportunities):–

- दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के उपयोग के प्रति स्वास्थ जागरूकता बढ़ रही है।
- व्यवसाय का विविधीकरण।
- ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जनसंख्या वृद्वि तथा कृषि जोते छोटी होने से स्वरोजगार के लिए पशुपालन पर निर्भरता बढ़ रही है।

(iv) भय (threat):–

- इधन में (कोयला, तेल बिजली) तथा पैकिंग मैटेरियल की दरों में उत्तरोत्तर वृद्वि।
- उपभोक्ताओं में फैट (घी) उपयोग कम करने की ओर रूझान का बढ़ना।
- विश्व व्यापार और वैश्वीकरण की बढ़ती चुनौतियॉ तथा नये कारखानों का बोझ।
- शहरों का तेजी से गॉव की तरफ बढ़ने से कृषि एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में कमी होना।
- औद्योगीकरण का तीव्र विकास, डेरी व्यवसाय को प्रतिस्थापित कर सकता है।

5. प्रमुख आवश्यकतायें/कार्यक्रम/विचारः–

1. दक्ष, प्रशिक्षित एवं उच्च शिक्षा प्राप्त प्रबंधकीय श्रम शक्ति।
2. वर्तमान शक्ति का प्रशिक्षण, भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कर क्षमता का विकास।
3. दुग्धशाला में प्लांट मशीनरी का आधुनिकीकरण।

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण।

1. **पशु औषधि एवं डिवार्मिंग –** पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशुचिकित्सा, पशु कृमि नाशकों की औषधियों की जानकारी एवं उपलब्धता न होने के कारण दुग्ध उत्पादक सदस्यों के पशुओं का दुग्ध उत्पादन गिर जाता है, जिससे प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन में गिरावट आती है और दुग्ध उत्पादन दुग्ध व्यवसाय को अलाभप्रद मानकर इससे विमुख होने लगता है। पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध समिति सदस्यों के पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्राम स्तर पर पशु औषधि एवं डिवार्मिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद– पिथौरागढ, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, एवं ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 6000, 5334, 6520, 1400, 6667 कुल 25941 पशु औषधि हेतु रू0 150 प्रति पशु की दर से वितरित किया गया एवं डिवार्मिंग हेतु रू0 60 की दर से क्रमशः 5000, 6667, 8233, 1500, 10000, कुल 31450 डिवार्मर वितरित किया गया।

2. **आपातकालीन पशुचिकित्सा एवं पर्यवेक्षण ईकाई –** समिति सदस्यों को आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा हेतु आपातकालीन पशुचिकित्सा एवं फील्ड पर्यवेक्षक इकाई हेतु रू0 6.72 लाख प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है।

3. **संतुलित पशुआहार अनुदान –** दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल उन्हें नियमित रूप से संतुलित पशुआहार खिलाना अति आवश्यक है। अतः दुग्ध उत्पादकों को इस हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, कि वे अपने पशुओं को आवश्यकतानुसार संतुलित पशुआहार खिला सकें, वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद–नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के में क्रमशः 20.29, 13.79, 18.70, 2.70, कुल रू0 55.48 लाख का व्यय किया गया।

4. **हैडलोड अनुदान –** पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन अत्यधिक कम है तथा अधिकांश ग्राम छितरे हुए व सड़क से दूर स्थित है। अतः दुग्ध समितियों में संग्रहित दुग्ध प्रतिदिन रोड हैड तक पहुंचाने में व्यवहारिक कठिनाई आती है। दुग्धशालाए अपने संसाधनों से इतना व्यय करने की स्थिति में नहीं है कि हैडलोडर को पर्याप्त भुगतान कर सके। ऐसी स्थिति में दुग्ध विकास कार्यक्रमों को सुदूर स्थित ग्रामों तक पहुंचाने में कठिनाई आ रही है। अतः हैडलोड अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 75 पैसा प्रति ली0 प्रति किमी0 की दर से वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद– पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत एवं बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः 46.0, 34.57, 40.0, 3.08, कुल रू0 123.65 लाख व्यय किया गया।

5. **कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक अनुदान –** जनपद में चारे की अत्यन्त कमी है। अधिकांश दुधारू पशु कुपोषण के शिकार है, जिसके कारण दुग्ध उत्पादन कम है। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को दुग्ध विकास योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु उन्हें रियासती दर पर/अनुदान में कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक उपलब्ध कराया जा रहा है।

6. **उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम** :–दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो में हो रहे विभिन्न प्रकार के अपमिश्रणों की जानकारी, उनकी जांच तथा होने वाले दुष्परिणामों के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, इस हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर अस्थाई स्टाल अथवा कैम्प लगाकर उपभोक्ताओं को उक्त जानकारियां उपलब्ध करायी जा रही है। इन कैम्पों के माध्यम से दुग्ध उपभोक्ताओं को दूध की गुणवत्ता के साथ–साथ उसमें हो रहे अपमिश्रण की जानकारी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जा रही है।

7. **दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास**–दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास के अन्तर्गत डी.पी0एम.सी.यू0 सहित मिल्क एनालाइजर की स्थापना किया जा रहा है। डी0पी0एम0सी0यू0 सहित मिल्क एनालाइजर की स्थापना से दुग्ध गुणवत्ता में सुधार के साथ दुग्ध समिति के कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार हुआ है।

अध्याय – 22

मत्स्य विकास

मत्स्य पालन स्वरोजगार का सशक्त साधन है। वर्तमान में उॅचाई वाले क्षेत्रों में ठंडे पानी की मत्स्य प्रजातियॉ कामन मिरर, सिल्वर एवं ग्रास कार्प पाली जा रही है। प्रमुख जल संसाधन के अर्न्तगत कोसी, रामगंगा, विनोद, गगास ,सुयाल, एवं सरयू प्रमुख नदियॉ है। जनपद में प्राकृतिक झीलों एवं तालाबों का पूर्ण आभाव है। मत्स्य पालन हेतु शुद्व जल की अनुपलब्धता दूर करने हेतु शासन द्वारा कच्चे तालाब निर्माण हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान जनपद में ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वृहद जलाशय क्रमशः नानकसागर, बैगुल, धौरा, तुमरिया, उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा मत्स्य पालन की संभावना वाले इन तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा राजस्व विभाग से जनपद के मत्स्य पालकों को दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन प्रधानमन्त्री मत्स्य संम्पदा योजना को बढ़ावा देने के उददेश्य से बहुआयामी प्रयास किये जा रहे है। प्राकृतिक जलसम्पदा के रूप में नैनीताल, खुर्पाताल, सातताल, भीमताल एवं नौकुचियाताल प्रमुख झीलें हैं। नदियों के रूप में गौला, कोसी, प्रमुख नदियां है।

मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन हेतु विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत ग्रामीण स्तर पर तैयार कराये गये कच्चे तालाबों में मत्स्य बीज वितरण किया जाता रहा है। अंगुलिकाओं का वितरण निर्धारित मूल्य व यातायात व्यय वसूल कर किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ वर्ष भर जलश्रोतों की उपलब्धता रहती है।

मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विशिष्ट स्थान है, जहॉ सागरों, नदियों, झीलों, जलाशयों तथा प्राकृतिक तालाबों के साथ–साथ मानव निर्मित तालाबों के रूप में अन्तः स्थलीय जल संसाधन उपलब्ध है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों के आर्थिकी का स्रोत मुख्यतः कृषि पर आधारित है। पर्वतीय क्षेत्र में मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र के अर्न्तगत आर्थिक लाभ अर्जन के साथ–साथ क्षेत्र वासियों को प्रोटीन युक्त पौष्टिक सुपाच्य आहार उपलब्ध कराने का साधन हैं। जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं जल संसाधनों के अनुरूप जनपद में शीत जल मत्स्य प्रजातियों कामन कार्य, मिरर कार्य, सिल्वर कार्य व ग्रास कार्य आदि का पालन किया जा रहा है। जनपद के अर्न्तगत प्राकृतिक जल संसाधन सरयू, गोमती व पिण्डर नदी, गरूड गंगा, लाहुर नदी एवं विभिन्न गधेरे है।

कृषकों को निजी भूमि में ऐसे स्थान जहॉ नदियों गधेरों नहरों व प्राकृतिक श्रोतों द्वारा वर्ष भर पानी की उपलब्धता हो छोटे–छोटे तालाब निर्माण/सुधार कर मत्स्य पालन

कार्य–व्यवसाय करने हेतु विभाग द्वारा शासकीय सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। तकनीकी सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

जलाशय विकास योजना

मत्स्य संरक्षण एवं संर्वधन हेतु जनचेतना एवं गोष्ठी – पर्वतीय क्षेत्र मे उपलब्ध जलस्रोतों में उपलब्ध मत्स्य सम्पदा के संरक्षण एवं संर्वधन हेतु जन चेतना व गोष्ठियों का आयोजन कर प्रति गोष्ठी रू 10,000/की दर सें व्यय किया गया। वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत 51 गोष्ठियों का आयोजन कर रू. 5.10 लाख .की राशि व्यय की गयी।

मत्स्य बीज संचय :– मत्स्य बीज संचय हेतु विभिन्न स्रोत्रो जैसे प्रदेश में स्थित मत्स्य प्रक्षेत्रों/नदियों आदि से मत्स्य बीज संग्रहित कर जनपद के भीतर ही दूसरे ऐसे स्थानों पर जहॉ पर मत्स्य सम्पदा का निरन्तर ह्रास हो रहा है तथा मछलियों की कुछ प्रजातिया लुप्त होने के कगार पर है। वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत नदियों मे रू. 14.02 लाख मत्स्य बीज जनपद ऊधम सिंह नगर हेमपुर हैचरी, काशीपुर से ला कर संचित किया गया है।

मत्स्य उत्पादकता वृद्धि योजना– इस योजना के अर्न्तगत पुराने तालाबों का सुधार कर उन्हें रेयरिंग यूनिट के रुप में विकसित करना है। 100 वर्ग मी0 के तालाब के सुधार हेतु कुल मानक धनराशि रू0 40000 के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान धनराशि रू0 20000 अनुदान देय होगा। वर्ष 2021–22 में प्रत्येक जनपद में प्रति यूनिट रू0 20000 की दर से 13 यूनिट मत्स्य उत्पादकता वृद्धि योजना में तालाबों का सुधार किया गया है।

मत्स्य पालक सशक्तिकरण योजना – मात्स्यिकी एवं मत्स्य पालन में लगे व्यक्तियों हेतु निवेश सामाग्री उपलब्ध कराने को द्रष्टिगत रखते हुए इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निवेश/इनपुट समाग्री के क्रय मूल्य पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। परन्तु जलक्षेत्र/तालाब का क्षेत्रफल 0.20 हेक्टेयर या 2000 वर्ग मी0 से अधिक होना चाहिये।

समन्वित मत्स्य पालन योजना–समन्वित मत्स्य पालन में मछली पालन के साथ–साथ अन्य पद्धति को समन्वित किया जाता हैं। योजनान्तर्गत पूर्व से निर्मित 0.20 है0 क्षेत्रफल के तालाब पर बत्तख पालन हेतु बाड़ा निर्माण एवं बन्धों पर पेड़ लगाये जाने एवं प्रथम वर्षीय निवेश पर होने वाले व्यय धनराशि रु0 0.91 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान रु0 0.455 लाख का अनुदान देय होगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वंय वहन की जायेगी। विभागीय

योजनाओ के माध्यम से जिन लाभार्थियों द्वारा पूर्व में 0.20 है0 से अधिक क्षेत्रफल के तालाब निर्मित कराये गये हैं।

मत्स्य बीज वितरण :– वर्ष 2021–22 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत 184.334 लाख मत्स्य बीज मत्स्य पालकों के तालाबों में संचय हेतु उन्नत प्रजााति का मत्स्य बीज विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों/अभिकरण की हैचरी से लाकर वितरित किया गया।

राज्य सैक्टर अर्न्तगत योजना (तालाब निर्माण)– पर्वतीय क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के 100 वर्ग मी0 तालाब निर्माण हेतु 1,20,000.00 लागत पर 60 प्रतिशत अनुदान देय है जिस पर तालाब निर्माण हेतु अनुदान 60000.00 एंव निवेश हेतु अनुदान रू 12000.00 देय है। इस प्रकार कुल अनुदान रू 72000.00 देय हैं। निवेश के रूप में मत्स्य आहार एंव मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाता है।

मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के तालाब निर्माण हेतु 1.0 हैक्टअर तालाब निर्माण हेतु कुल लागत रू0 7.00 लाख व्यय किया जायेगा तालाब निर्माण कार्य के अर्न्तगत लाभार्थी द्वारा तालाब निर्माण के साथ– साथ स्लूयिस गेट निर्माण ,फीड स्टोरेज हेतु सेड निर्माण कार्य सम्मिलित है। तालाब निमाण की कुल लागत रू0 7.00 लाख पर 60 प्रतिशत का अनुदान रू0 4.20 लाख देय है एंव 1.00 है0 क्षेत्रफल कुल लागत रू0 1.50 लाख का व्यय किया जायेगा। निवेश के रूप में मत्स्य आहार एंव मत्स्य बीज सम्मिलित है। निवेश की कुल लागत रू0 1.50 लाख पर 60 प्रतिशत अनुदान धनराशि रू0 0.90 लाख अनुदान देय होगा। योजना अर्न्तगत 0.05 है0 क्षेत्रफल से 0.5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के तालाब निर्माण कार्य किये जायेगे।

राज्य योजना अन्तर्गत मत्स्य पालन विविधीकरण योजना अनुसूचित जाति /अनु0 जनजातियों के व्यक्तियों के लिए है। मैदानी क्षेत्रों में विगत 05 वर्ष पुराने तालाब जो मरम्मत योग्य दशा में है का सुधार कार्य किया जायेगा सुधार कार्य अन्तर्गत डिसिल्टिंग डीवार्टिंग विद्युत पानी की समुचित व्यवस्था सम्मिलित है। जिस पर 1.00 है0 क्षे0 के तालाब पर सुधार लागत रू0 3.50 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू0 2.10 लाख अनुदान देय है। मैदानी तालाब सुधार निवेश हेतु 1.00 है0 क्षे0 के तालाब पर सुधार लागत पर रू0 1.50 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू0 0.90 लाख देय है। निवेश अर्न्तगत मत्स्य आहार, खाद, बिमारी, दवाइयॉ आदि

कार्य सम्मिलित है। इस प्रकार कुल रू0 3.00 लाख अनुदान देय है। योजना अर्न्तगत 0.05 है0 क्षेत्रफल से 0.5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के तालाब का सुधार कार्य किये जायेगे।

पर्वतीय क्षेत्रों ऐसे तालाब जो में विगत 05 वर्ष पुराने जो मरम्मत योग्य दशा में है का सुधार कार्य किया जायेगा सुधार कार्य अन्तर्गत डिसिल्टिंग डीवार्टिंग विद्युत पानी की समुचित व्यवस्था सम्मिलित है। जिस पर 0.01 है0 क्षे0 के तालाब पर सुधार लागत रू0 0.50 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू0 0.30 लाख अनुदान देय है। पर्वतीय क्षेत्रों के तालाब सुधार निवेश हेतु 0. 01 है0 क्षे0 के तालाब पर सुधार लागत रू0 0.20 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू0 0. 12 लाख देय है। निवेश अर्न्तगत मत्स्य आहार, खाद, बिमारी, दवाइयॉ मत्सय बीज यातायात आदि कार्य सम्मिलित है। इस प्रकार कुल 0.42 लाख अनुदान देय है।

समन्वित मत्स्य पालन नयी योजना– इस अर्न्तगत पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित तालाब पर 20 वर्गमीटर क्षे.का सेड निर्माण, 20 फलदार पेड़, दवइयॉ, आहार, 50 बत्तख के चूजे सम्मिलित है एवं प्रथम वर्षीय निवेशसहित कुल लागत रू0 1.39 लाख पर 60 प्रतिशत अनुदान पर रू0 0.83 लाख देय होगा।

मैदानी क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित तालाब पर 50 वर्गमीटर क्षे. का सेड निर्माण एक यूनिट, 50 फलदार पेड़, दवइयॉ, आहार, 300 बत्तख के चूजे सम्मिलित है एवं प्रथम वर्षीय निवेश सहित कुल लागत रू0 6.60 लाख पर 60 प्रतिशत अनुदान पर रू0 3.96 लाख देय होगा।

उत्पाद प्रशसकरण हेतु मोबाइल फिश शॉप की स्थापना–इसके दृष्टिगत जन सामान्य को मछलियों से तैयार विभिन्न प्रकार के व्यंजन को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उदेश्य से अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु मोबाईल स्टाल (मोटर युक्त वाहन) की व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत खाद्य व्यजंन तैयार किये जाने हेतु समस्त सामाग्रीयां जैसे– कुकिंग गैस, चौपर, रेफ्रीजेशन, इन्सुलेटेट बाक्स आदि सम्मिलित होगें। मोबाईल फिश आउटलेट की स्थापना हेतु लागत रू0 2.50 लाख पर 60 प्रतिशत अनुदान रू0 1.50 लाख अनुदान देय है।

पर्वतीय क्षेत्रों में तालाब निर्माण योजना अन्तर्गत 50 वर्ग मी0 तालाब निर्माण एंव निवेश पर कुल धनराशि रू0 50,000.00 तालाब निर्माण पर व्यय किया जाता है जिस पर निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान रू0 20,000.00 अनुदान एवं निवेश पर अनुदान धनराशि रू 5000.00 देय है। इस प्रकार कुल अनुदान रू0 25000.00 देय है। निवेश के सापेक्ष मत्स्य पालक को मत्स्य आहार, मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाता है।

पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श तालाब निर्माण योजना – अन्तर्गत 200 वर्ग मी0 तालाब निर्माण एंव निवेश पर कुल धनराशि रू0 3,00,000.00 का व्यय किया जाता हैं जिस पर निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान रू0 1,35,000.00 अनुदान एवं निवेश हेतु अनुदान रू0 15000.00 देय है। इस प्रकार कुल अनुदान रू0 150000.00 देय है। निवेश धनराशि के सापेक्ष मत्स्य पालक को मत्स्य आहार, मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना – इस योजनान्र्तगत मत्स्य आहार 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना)– रनिंग फिश कल्चर हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 100 वर्ग मी0 के तालाब निर्माण हेतु रू0 1,00,000.00 के सापेक्ष अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 60 प्रतिशत एंव सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देय है।

मिशन फिंगरलिग योजना अर्न्तगत–मैदानी क्षेत्रों रियरिंग यूनिट का तालाब निर्माण किया जाता है। जिस पर भारत सरकार के मानकानुसार 01 हैक्टअर तालाब की कुल तालाब निर्माण हेतु लागत 600000.00 एवं निवेश हेतु रू 150000.00 कुल धनराशि रू 750000.00 का व्यय होता है। जिस पर सामान्य जाति के व्यक्तियों के लिए 40 प्रतिशत एवं अनु0 जाति के व्यक्तियों के लिए 60 प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2021–22 में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, 8.60 हैक्टे0 रियरिंग यूनिट का तालाब निर्माण किया गया है।

ट्राउट रेसवेज निर्माण–इस योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रेां के समुद्रतल से 4000 फीट वाले जनपदों को ट्राउट रेसवेज निर्माण हेतु 50 क्यूबिक मी0 आयतन के पक्के फार्मिग यूनिट का निर्माण लागत रू0 2,00,000.00 के सापेक्ष 40 प्रतिशत रू0 80000.00 सामान्य जाति के व्यक्तियों हेतु अनुदान धनराशि देय है एवं 60प्रतिशत अनुदान रू0 1.20 लाख अनु0जाति एव जनजाति के लिए देय है। इस प्रकार प्रथम वर्षिय निवेश पर धनराशि 2.50 लाख पर 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य जाति के व्यक्तियों हेतु रू0 1.00 लाख देय है एवं 60 प्रतिशत अनुदान रू0 1.50 लाख अनु0जाति एवं जनजाति के लिए देय है। इस प्रकार निर्माण एंव निवेश की कुल धनराशि रू0 4.50 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान रू0 2.00 लाख देय है एवं अनु0जाति एवं जनजाति के लिए कुल अनुदान रू0 2.50 लाख देय है। वर्ष 2021–22 में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, 54 रेसवेज का निर्माण हुआ है।

अध्याय – 23

बैंकिंग सेवा

कुमाऊँ मण्डल के अर्न्तगत वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें 509, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखायें 138 तथा अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखायें 228 कार्यरत हैं। वर्ष 2021–22 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 5503662 लाख रूपया है। बैंकों द्वारा वर्ष 2021–22 में 2954037 लाख रूपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2021–22 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत 53.67 रहा है। वर्ष 2021–22 में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य में 609808.53 लाख रूपया, लघु उद्योग तथा अन्य में 415978.92 लाख रूपया ऋण वितरित किया गया है।

वर्ष 2021–22 में जनपदवार बैंक सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है –

क्र. सं.	मद	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
(क) बैंक शाखाओं की संख्या									
1	राष्ट्रीयकृत बैंक	संख्या	82	122	53	190	28	34	509
2	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	संख्या	29	37	30	20	14	8	138
3	अन्य निजी व्यावसायिक बैंक	संख्या	18	84	7	91	6	22	228
4	जिला सहकारी बैंक	संख्या	1	1	1	1	0	0	4
5	सहकारी बैंक की शाखायें	संख्या	21	36	18	32	9	9	125
(ख) व्यावसायिक बैंको में ऋण जमा अनुपात									
1	जमा	लाख रू0	708383	2051313	514075	1755600	217428	256863	5503662.00
2	वितरित ऋण	लाख रू0	185763	841297	175709	1609200	57526	84542	2954037.00
3	ऋण–जमा अनुपात	प्रतिशत	26.22	41.01	34.18	91.66	26.46	32.91	53.67
4	प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण	लाख रू0	53648.00	384670.75	38250.00	736300.00	17252.00	14565.70	1244686.45
i	कृषि तथा तत्सम्बन्धी सेवायें	लाख रू0	18150	92824.53	14600	468600	5921	9713	609808.53
ii	लघु उद्योग एवं अन्य	लाख रू0	29953	171245.2	4801	201100	7804	1075.7	415978.92
5	दुर्बल वर्ग को अग्रिम	लाख रू0	5545	120601	18849	66600	3527	3777	218899.00

अध्याय – 24

समाज कल्याण

1:–**अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति :–** इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021–22 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 218.37, 213.54, 145.68, 194.10, 126.56 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 17016, 12772, 11774, 4831, 10506, 4331 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

2:–पिछडी जाति छात्रवृत्ति :– इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 20.03, 61.66, 41.02, 111.67, 13.69, 14.14 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 826, 1293, 968, 1467, 717, 432 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

3:– आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो (EBC) हेतु छात्रवृत्ति – दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो (EBC) के छात्र एवं छात्राओं को जिनके अभिभावको की वार्षिक आय रू0 1.00 लाख से अधिक नहीं है को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में विभिन्न कोर्सो हेतु निर्धारित छात्रवृत्ति की दरों के समान ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (सामान्य जाति) के छात्र–छात्राओं को भी छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 32.69, 46.39, 10.30, 14.22, 14.59, 17.23 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 185, 438, 68, 53, 138, 158 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

4:–विधवा पेंशन :– योजनान्तर्गत 18 से अधिक वर्ष की आयु की विधवा महिला जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, अथवा जिनकी मासिक आय रू. 4000/– तक हो को रू0 1500 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 2229.55, 2209.31, 1562.76, 3908.29, 892.13, 902.11 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 16060, 17139, 11296, 32758, 6643, 6709, विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

5:–वृद्धावस्था पेंशन :– योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते है, अथवा जिनकी मासिक आय रू. 4000/– तक हो को रू0 1500 प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में

क्रमशः रू0 5747.05, 4252.24, 2670.38, 9479.19, 1965.60,1749.07 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 46107, 33417, 21502, 71165, 16448, 14258 वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया।

6:–दिव्यांग भरण पोषण अनुदान :– योजनान्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक है। जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते है, अथवा जिनकी मासिक आय रू. 4000/– तक हो, को रू0 1500/–प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 870. 23, 704.45, 476.34, 1410.86, 368.36, 302.62 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 6168, 5555, 3306, 10347, 2711, 2284 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

7:–तीलू रौतेली पेंशन – कृषि व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के कृषि कार्य करने में 20 से 40 प्रतिशत दिव्यांगता होने के फलस्वरूप रू0 1200/–प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। योजना हेतु बजट आवंटन दिव्यांग पेंशन के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 13.46, 4.77, 7.36, 0.36, 12.86, 77.48 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 102, 53, 62, 4, 96, 525 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

8:–बौना समाज को पेंशन – प्रदेश में 21 वर्ष से अधिक उम्र एवं 4 फुट से कम ऊॅचाई के व्यक्तियों को रू0 1200/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। योजना हेतु बजट आवंटन दिव्यांग पेंशन के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 1.46, 0.99, 2.37, 0.00 0.79, 0.52 लाख धनराशि व्यय कर क्रमश 11, 11, 13, 0, 6, 4 बौने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

9:–जन्म से दिव्यांग बच्चों को भत्ता – योजनान्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के भरण–पोषण हेतु भी रू0 700/–प्रतिमाह की दर से दिव्यांग भत्ता दिये जाने का प्राविधान है। योजना हेतु बजट आवंटन दिव्यांग पेंशन के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 40.32, 34.03, 36.88, 52.77, 16.17, 23.56 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 427, 605, 426, 1084, 216, 257 दिव्यांग बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

10:–दिव्यांग दम्पत्ति को विवाह प्रोत्साहन :– योजनान्तर्गत सामान्य द्वारा दिव्यांग महिला/पुरूष से विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 25000/–का प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 0.50, 1.00, 1.00, 2.25, 0.25, 0.25 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 2, 4, 4, 9, 1, 1 दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया।

11:–शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र का क्रय हेतु अनुदान :– इस योजनान्तर्गत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्याग हो को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र का क्रय किये जाने हेतु रू 3500.00 तक आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 0.00, 3.07, 0.48, 8.30, 0.70, 1.44 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 0, 88, 15, 130, 20, 41 दिव्यांगो को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र देकर लाभान्वित किया गया।

12–परित्यक्ता पेंशन – योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्त विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाऐं जो बी0पी0एल0 हो अथवा जिनकी मासिक आय रू. 4000/– तक हो, को लाभान्वित किया जाता है। परित्यक्ता विवाहित महिला, निराश्रित अविवाहित महिलाओं को रू0 1200/–प्रतिमाह की दर से तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी को रू0 1,400/–प्रतिमाह की दर से भरण–पोषण अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 97. 12, 79.91, 43.28, 40.57, 51.30, 40.57 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 917, 780, 370, 420, 493, 403 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

13. किसान पेंशन – 60 वर्ष से ऊपर के स्वंय की भूमि पर खेती करने वाले किसान जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि में कृषि कार्य करते हैं, तथा उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे पट्टेदार किसान जिनके पास विधि सम्मत कृषि पट्टा है एंव वह स्वंय कृषि कार्य कर रहे हैं, को रू0 1200 प्रतिमाह की दर से किसान पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 144.40, 291.80, 365.76, 246.29, 103.61, 163.27 लाख धनराशि व्यय कर क्रमश 1147, 2378, 2710, 2035, 852, 1325 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

14:–अनुसूचित जाति की पुत्रियों हेतु शादी अनुदान :– अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रू0 15,000 तक है। अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिये रू0 50,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 85.00, 146.00, 56.50, 107.00, 63.50, 50.00 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 170, 292, 113, 214, 127, 100 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

15:–निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान – इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी पुत्री की शादी हेतु रू0 50,000/– की धनराशि अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः

रू0 13.00, 36.00, 7.50, 33.00, 5.50, 6.00 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 26, 72, 15, 66, 11, 12 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

16ः—राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना — इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के मुख्य कमाऊॅ व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष तक हो, की मृत्यु होने पर, शोक संतृप्त परिवार को रू0 20,000/— एक मुश्त अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2021—22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 6.80, 14.20, 5.80, 16.20, 7.20, 2.20 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 34, 71, 29, 81, 36, 11 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

17ः—अटल आवास योजना :— अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी रू0 32,000 वार्षिक आय है तथा आवासहीन है, को रू0 38,500/—की आर्थिक सहायता आवास एवं शौचालय निर्माण हेतु दी जाती है। वर्ष 2021—22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू 2.70, 0.00, 2.31, 0.35, 1.54, 0.77 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 7, 0, 6, 1, 4, 2 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

18ः—अनाथ एवं अकिंचनों का दाह—दफन संस्कार :— अनाथ एवं अंकिचन मृतकों के दाह संस्कार एवं दफन हेतु देय अनुदान की दर रू0 2500/— से बढ़ाकर रू0 3500/— कर दी गयी है। वर्ष 2021—22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः रू0 0.00, 0.74, 0.21, 0.00, 0.21, 0.21 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 0, 21, 6, 0, 6, 6 अनाथ एवं अकिंचनों का दाह—दफन संस्कार किया गया।

19ः—अनुसूचित जाति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान :— अनु0जाति के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु जनपद नैनीताल के पाइन्स में हिन्दी आशुलिपि, कटिंग टेलरिंग, विधुत फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड एवं मालधचौड़ रामनगर में कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फिटर, इलैक्ट्रिशियन ट्रेड तथा जनपद बागेश्वर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में फिटर, इलैक्ट्रिशियन, कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड संचालित है। वर्ष 2021—22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, बागेश्वर, में क्रमशः रू0 64.58, 23.14 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 213, 78 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

20ः—राजकीय बृद्ध एवं अशक्त आवास गृह :— जनपद बागेश्वर में एक राजकीय बृद्ध एवं अशक्त आवास गृह की स्थापना की गई है। जहां निराश्रित वृद्धों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र एवं आवास की सुविधा उपलब्ध है। जिसकी स्वीकृत क्षमता 50 है। वर्तमान में 11 बृद्ध निवास करते है। वर्ष 2021—22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद बागेश्वर, में रू0 10.99 लाख धनराशि व्यय कर 10 निराश्रित वृद्धों को लाभान्वित किया गया।

21ः—अनुसूचित जाति छात्रावास :— जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास संचालन किया जा रहा है। जहां अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2021—22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, में क्रमशः रू0 9.27, 15.90, 23.65, 4.27 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 48, 72, 98, 48 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

22:–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय – प्रदेश में अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार, जो अपने बच्चों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नही कर पाते हैं तथा अत्यन्त निर्धन हैं, के बच्चो को प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र एवं भोजन आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। कुमाऊॅ मण्डल के रूद्रपुर, (ऊधम सिंह नगर) एवं बेतालघाट (नैनीताल) में आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है। उपरोक्त विद्यालयों में रूद्रपुर, (ऊधम सिंह नगर) में कक्षा 1 से 5 तक तथा बेतालघाट (नैनीताल) हाई स्कूल, स्तर तक के हैं। इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की भोजन व्यवस्था हेतु प्रति छात्र प्रति दिन रू.150/– की धनराशि नियत है। विद्यार्थियों के वस्त्र, दवाईयों आदि की भी निःशुल्क सुविधा पृथक से उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, में क्रमशः रू0 32.00, 5.41 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 124, 60 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

उद्देश्य :–

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु रोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- रोजगार के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर में वित्तीय संसाधन प्राप्त कर टर्मलोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न कौशल व्यवसायों में दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण प्रदान करना।
- मौलाना आजाद एजुकेशन फाउडेन्शन फाइनेन्स स्कीम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण प्राप्त करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देना।
- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से टर्मलोन, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।

अध्याय – 25

महिला कल्याण विभाग

विभाग का उद्देश्य 18 वर्ष तक के अनाथ/निरश्रित/ज़रूरतमंद बालकों एवं महिलाओं का सर्वांगीण **विकास, मदद और सशक्तीकरण** करना है। इसके साथ **ज़रूरतमंद तथा देखरेख वाले** बालकों हेतु सुरक्षित व सकारात्मक वातावरण प्रदान करना जिससे बच्चों को विकास के लिए उनकी क्षमता के अनुकूल अवसर मिल सकें।

- सभ्य समाज, विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करना और उसे सुदृढ़ बनाना।
- 18 वर्ष तक के अनाथ/निरश्रित/ज़रूरतमंद बालकों हेतु संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना '**बाल अधिकारों की सुरक्षा' और 'बच्चों का सर्वाधिक हित**' के सिद्धान्तों पर आधारित है और इसका लक्ष्य **आपातकाल में पहुंच सेवाओं**, परिवार एवं समुदाय आधारित देखभाल और परामर्श एवं सहारा देने वाली सेवाओं को संस्थागत रूप देना है।
- निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों को संस्थागत एवं असंस्थागत सुविधा प्रदान करना।

कुमाऊँ मण्डल में महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय संस्थाऐं

- राजकीय शिशु सदन/बाल गृह, अल्मोड़ा।
- राजकीय बालिका निकेतन/बाल गृह (किशोरी), अल्मोड़ा।
- राजकीय संप्रेक्षण गृह (बालक), हल्द्वानी–नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर।
- राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोरी), हल्द्वानी–नैनीताल।
- राजकीय विशेष गृह (किशोरी), अल्मोड़ा।
- जिला शरणालय एवं प्रवेशालय– हल्द्वानी–नैनीताल।
- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) बागेश्वर।
- राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र पिथौरागढ़।
- राजकीय संरक्षण गृह (महिला) अल्मोड़ा।

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं का विवरण

1. राजकीय शिशु सदन/बाल गृहः– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम– 2015 की **धारा– 50** के अंतर्गत संचालित राजकीय शिशु सदन/बाल गृह **में 0 से लेकर 10 वर्ष के** ऐसे बालक/बालिकाओं जो अनाथ/निराश्रित/परित्यक्त है, जिनके माता–पिता/संरक्षक उनके पालन–पोषण करने में असमर्थ हो, माता–पिता कैंसर रोग तथा गंभीर रोग से ग्रस्त है या कारावास में सजायाफ्ता हो, ऐसे शिशुओं को बाल कल्याण समिति के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है, प्रवेशरत् बालक/बालिकाओं को संस्था में भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा निःशुल्क विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। विद्यालय योग्य बच्चे शिक्षण संस्थानों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे है। संस्था से कारा के माध्यम से **18 बच्चों** को गोद दिया गया इनमें से **3 बच्चे** विदेशों में गोद दिये गये।

2. राजकीय बालिका निकेतन/बाल गृह (किशोरी) :– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सरक्षण) अधिनियम–2015 की **धारा– 50** के अंतर्गत **11 से 18 वर्ष** तक के अनाथ एवं निराश्रित बालिकाऐं जिनके माता–पिता कैंसर/गंभीर रोग से ग्रस्त हैं तथा आय का कोई साधन नहीं है व जिनके माता–पिता घोर अपराधी प्रकृति के एवं नशा करते हैं। बाल कल्याण समिति के माध्यम से राजकीय बाल गृह (किशोरी) में संरक्षण प्रदान कर शिक्षा एवं सिलाई, कढ़ाई तथा शिल्प में प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाना है। संस्था में बालिकाओं के लिए निःशुल्क भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। विद्यालय की समस्त बालिकाऐं विभिन्न विद्यालयों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रही है।

3. राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर) :– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम– 2015 की धारा– **47** के अंतर्गत **18 वर्ष तक के** विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार राजकीय संप्रेक्षण गृह में प्रवेश दिया जाता है जिसका उद्देश्य विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों में सुधार लाकर उनका पुर्नवास तथा उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है जिन्हें वाद के निस्तारण तक निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन की सुविधा के साथ–साथ सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता हैं। वर्तमान में संप्रेक्षण गृहों में किशोरों को रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे– मोबाइल, सिलाई, मोमबत्ती आदि प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे है ताकि किशोर मुक्त होने के पश्चात रोजगारपरक बनकर पुर्नवासित हो सके।

4. राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोरी) :– किशोर न्याय अधिनियम– 2015 की **धारा– 47** के अंतर्गत 18 वर्ष तक के विधि का उल्लंघन करने वाली किशोरी को किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोरी) में प्रवेश दिया जाता है जिसका उद्देश्य विधि का उल्लंघन करने वाली किशोरी में सुधार लाकर उनका पुर्नवास तथा उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है जिन्हें वाद के निस्तारण तक निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन की सुविधा के साथ–साथ सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता हैं। वर्तमान में संप्रेक्षण गृहों में किशोरियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे– सिलाई, क्राफ्ट, मैक्रम आदि प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे है ताकि किशोरी मुक्त होने के पश्चात रोजगारपरक बनकर पुर्नवासित हो सके।

5. राजकीय विशेष गृह (किशोरी) :– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम– 2015 की **धारा– 48** के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार विधि का उल्लंघन करने वाली सजायाफ्ती किशोरी को प्रवेश दिया जाता है। विशेष गृह (किशोरी) में प्रवेशरत किशोरियो को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र एवं प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हैं।

6. जिला शरणालय एवं प्रवेशालय :– 18 वर्ष से अधिक की निराश्रित, लावारिश, घर से भागी हुई, महिलाओं/किशोरियों को **तत्कालिक सुरक्षा** व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से जिला शरणालय एवं प्रवेशालय स्थापित किए गये है। संस्था में मा0 न्यायालय के आदेश से महिलाओं को निरूद्ध किया जाता है। निरूद्ध संवासिनियों को आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा व मनोरंजन आदि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। जिला शरणालय एवं प्रवेशालय **हल्द्वानी** में संचालित है। वर्तमान में महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण सिलाई, जूट बैग, मैक्रम आदि प्रदान किये जा रहे है ताकि मुक्त होने के पश्चात आत्मनिर्भर बनकर जीवन यापन कर सके।

7. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) बागेश्वर (जनजाति)– 6 से 11 वर्ष तक की जरूतमंद सूदूर जनजाति क्षेत्र की बालिकाओं को (जहां विद्यालय आदि का अभाव है) शिक्षा हेतु प्रवेश दिया जाता है। संस्था एक आवासीय विद्यालय के रूप में संचालित हैं जहां कक्षा–1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। निवासरत बालिकाओं को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि सुविधा प्रदान की जाती है।

8. राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र पिथौरागढ़ :– इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक की **असहाय एवं निराश्रित महिलाओं** को स्वावलम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से जनपद पिथौरागढ़ में संस्था की स्थापना की गयी है। संस्था की स्वीकृति क्षमता 50 महिलाओं की है जिसमें आवासीय एवं अनावासीय दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध है। अनावासीय महिलाओं को वर्क आर्डर के आधार पर कार्य दिया जाता है तथा किये गये कार्यों के आधार पर उन्हें पारिश्रमिक दिये जाने की व्यवस्था है। संस्था में निवासरत् महिलाओं को निःशुल्क भोजन, सामान्य शिक्षा, वस्त्र, कपड़े आदि सुविधाऐं प्राप्त है।

9. राजकीय संरक्षण गृह अल्मोड़ा :– अनैतिक व्यापार अधिनियम–1956 की **धारा– 21** के अंतर्गत संरक्षण गृह की स्थापना की गयी है। संस्था में निवारत संवासिनियों को सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त ऐसे उपयोगी व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाता है जिसमें वह भविष्य में स्वतंत्र रूप से स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सके। संस्था में संवासिनियों को शिक्षा, वस्त्र, भोजन, चिकित्सा, मनोजरंजन तथा प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम–2015 के अंतर्गत संचालित संप्रेक्षण गृह

क्र.सं.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	वर्तमान संख्या
1	ऊधमसिंह नगर	राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर (7–18 वर्ष) किच्छा रोड भदेईपुरा ऊधमसिंह नगर	**30**	**21**
2	नैनीताल	राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर (7–18 वर्ष) कालाढूंगी रोड हल्द्वानी	**30**	**7**
3		राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोरी (7–18 वर्ष) कालाढूंगी रोड हल्द्वानी	**25**	**0**
4	अल्मोड़ा	राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर (7–18 वर्ष) कर्नाटका खोला अल्मोड़ा	**30**	**7**

विशेष गृह

क्र.सं.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	वर्तमान संख्या
1	अल्मोड़ा	राजकीय विशेष गृह किशोरी (8–18 वर्ष) कर्नाटका खोला अल्मोड़ा	**75**	**0**

राजकीय बालगृह

क्र.सं.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	वर्तमान संख्या	
				बालक	बालिका
1	अल्मोड़ा	राजकीय शिशु सदन/बाल गृह बक्ख अल्मोड़ा (0–10 वर्ष)	**100**	**5**	**7**
2		राजकीय बाल गृह किशोरी बक्ख अल्मोड़ा (11–18 वर्ष)	**100**	**–**	**43**

राजकीय महिला गृह

क्र.सं.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	वर्तमान संख्या
1	नैनीताल	जिला शरणालय एवं प्रवेशालय कालाढूंगी रोड हल्द्वानी	**25**	**9**
2	अल्मोड़ा	राजकीय संरक्षण गृह कर्नाटका खोला अल्मोड़ा	**75**	**15**
3	पिथौरागढ़	राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला खढ़कोट पिथौरागढ़	**50**	**8**

राजकीय आश्रम पद्धति

क्र.सं.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	वर्तमान संख्या
1	बागेश्वर	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) बागेश्वर	100	**22**

विशेष दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण

क्र. सं.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	वर्तमान संख्या	दत्तक ग्रहण में दिये गये बच्चों की संख्या
1	अल्मोड़ा	राजकीय शिशु सदन/बाल गृह बक्ख अल्मोड़ा (0–10 वर्ष)	**100**	**12**	**18**
2		राजकीय बाल गृह किशोरी बक्ख अल्मोड़ा (11 से 18 वर्ष)	**100**	**43**	**0**

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाऐं–

किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम– 2015 के अंर्तगत सशक्त संरक्षणात्मक परिवेश पालन–पोषण करने, परिवार की देखरेख पाने, प्रतिष्ठा के साथ रहने, हिंसा, दुर्व्यवहार से बचने और संरक्षण पाने के उद्देश्य से समेकित बाल संरक्षण योजना लागू की गयी है। इसका उद्देश्य 18 वर्ष तक के ज़रूरतमंद तथा देखरेख वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराते हुए उनकी क्षमता बढ़ाना है। 18 वर्ष तक के **अनाथ, निराश्रित, गंभीर बीमारी से ग्रसित, बेघर, कूड़ा बीनने/भीख माँगने वाले, नशा करने वाले, बाल श्रमिक, हिंसा से ग्रसित बच्चों** को संरक्षण व देखरेख की व्यवस्था की जाती है।

- जिला बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 18 वर्ष तक के उपरोक्त श्रेणी के बच्चों को उनकी आवश्यकतानुसार विभिन्न संस्थाओं में भेजा जाता है। वर्तमान में कुमाऊँ मण्डल में निम्न स्वैच्छिक संस्थाऐं संचालित हैं–

नैनीताल

1– एस.ओ.एस. बालग्राम भीमताल– जोकि 11–18 वर्ष तक के अनाथ, निराश्रित बालकों हेतु संचालित है।

2– नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाईण्ड (नैब) गौलापार– 6 से 18 वर्ष तक के दृष्टिबाधित बच्चों हेतु।

3– यू.एस.आर.इन्दु समिति रामनगर– 6 से 18 वर्ष तक के शारीरिक एवं मानसिक रूप से निशक्त एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु।

ऊधमसिंह नगर

1– प्रयाग बाल समिति नौगावांठग्गू खटीमा– (11–18 वर्ष) तक के अनाथ/निरश्रित बालकों हेतु संचालित है।

क्र.सं.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	वर्तमान संख्या
1	**नैनीताल**	एस.ओ.एस. बालग्राम भीमताल (11–18 वर्ष) बालक	**36**	**36**
2		नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाईण्ड (नैब) (0–18 वर्ष) गौलापार नैनीताल (0–18) बालक/बालिका	**110**	**88**
3		यू.एस.आर. इन्दू समिति ग्राम बसई पो0 पीरूमदारा रामनगर नैनीताल (0–18) बालक/बालिका	**100**	**53**
4	**ऊधमसिंह नगर**	प्रयाग बाल समिति नौगावांठग्गू खटीमा ऊधमसिंह नगर (11–18) बालक	**16**	**15**

खुला आश्रय गृह (Open Shelter)

खुला आश्रय गृह (Open Shelter):– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम– 2015 की धारा– **43** के अंतर्गत प्रदेश में **निराश्रित, भीख मांगने तथा कूड़ा बीनने वाले बच्चो** की शिक्षा, भरण–पोषण हेतु समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जनपद **नैनीताल** में **धरोहर बाल आश्रय गृह हल्द्वानी** डे–केयर के रूप में संचालित है जिनमें वर्तमान में 24 बच्चे पंजीकृत हैं।

क्र.सं.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	वर्तमान संख्या
1	नैनीताल	धरोहर बाल आश्रय गृह हल्द्वानी	**25**	**24**

किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2015 के अंतर्गत प्रदेश में संचालित उपयुक्त स्थान (Fit Facility) का विवरण

क्र.सं.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	वर्तमान में पंजीकृत बच्चे
1	नैनीताल	एस.ओ.एस. बालग्राम भीमताल (6–18 वर्ष)	**96**	**87**

निराश्रित महिलाओं हेतु संचालित स्वैच्छिक संस्थान उज्जवला गृहों का विवरण

क्र.सं.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	वर्तमान संख्या
1	चम्पावत	रूरल इन्वायरमेन्ट एण्ड एजुकेशनल डैवल्पमेंट सोसायटी टनकपुर चम्पावत	**25**	**2**
2	पिथौरागढ	कृयेटिव अटैम्ट इन रूरल डैवलैपमेंट सोयासटी झूलाघाट पिथौरागढ़	**20**	**0**

निराश्रित महिलाओं हेतु संचालित स्वैच्छिक संस्था स्वधार गृह

क्र.सं.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	वर्तमान संख्या
1	पिथौरागढ़	डा0 भीमराव अम्बेडकर संस्थान, नया बाजार बेरीनाग पिथौरागढ़	**30**	**4**

पालन–पोषण देखरेख योजना

- 18 वर्ष तक के निराश्रित, बेसहारा, परित्यक्त बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुर्नवास हेतु गैर संस्थागत पालन–पोषण एवं देखरेख हेतु फॉस्टर केयर (Foster Care) में बच्चों को अस्थायी रूप से पालन–पोषण हेतु जब तक उनकी पारिवारिक परिस्थितियां सुदृढ़ न हो जाए अथवा 18 वर्ष तक रखे जाने का प्रावधान हैं।
- पोषण देखभाल करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को बच्चे के संरक्षण, भरण–पोषण, शिक्षण–प्रशिक्षण, चिकित्सीय देखभाल हेतु राशि रू0 2000 प्रति माह, प्रति बच्चा दिए जाने का प्रावधान है।

पोषण देखभाल करने वाले संस्थाओं का विवरण

क्र.स.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	वर्तमान संख्या
1	नैनीताल	एस.ओ.एस. बालग्राम भीमताल (6–18 वर्ष)	**96**	**87**
2		गिलेड चिल्ड्रेन होम हल्द्वानी	**8**	**6**

प्रवर्तकता योजना (Sponsorship Scheme):-

- ऐसे 18 वर्ष तक के बच्चे जिनके माता–पिता जीवित न हो, गंभीर बीमारी से ग्रसित माता–पिता की संतान, कारागार में निरूद्ध माता–पिता की संतान, ऐसी विधवा महिलाएं जो अपने बच्चों का पालन–पोषण करने में असमर्थ हो, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में **24000** रूपये तथा शहरी क्षेत्र में **30000** रूपये से कम हो इस योजना का लाभ शिक्षा एवं चिकित्सा हेतु दिया जाता है ताकि वह अपना भरण–पोषण शिक्षा एवं चिकित्सीय व्यवस्था परिवार में रहकर कर सकें। ऐसे बच्चों की शिक्षा व चिकित्सा हेतु **2000** रुपये तक प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाती है।

जनपदवार दिये जाने वाली प्रवर्तकता सहायता का विवरण

क्र.स.	जनपद का नाम	लाभान्वित बच्चों की संख्या
1	नैनीताल	**30**
2	पिथौरागढ़	**26**
3	अल्मोड़ा	**36**
4	ऊधमसिंह नगर	**24**
5	चम्पावत	**0**
6	बागेश्वर	**23**

समेकित बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme) के अंतर्गत जनपद स्तर पर गठित समितियों का विवरण

1– जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)– शासनादेश संख्याः 1205/xvii/ 2012 दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रत्येक जनपद में जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन किया गया हैं। इकाई में एक जिला बाल संरक्षण अधिकारी तथा पांच कार्मिक हैं। इकाई का मुख्य उद्देश्य जनपद स्तर पर योजना का क्रियान्वयन करना तथा सभी बाल संरक्षण क्रियाकलापों का समन्वय तथा पर्यवेक्षण करना है।

2– किशोर न्याय बोर्ड (JJB)– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम– 2015 की **धारा–4** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गयी है। बोर्ड में एक अध्यक्ष (न्यायिक मजिस्ट्रेट) तथा 2 सदस्य नामित किये गये है। बोर्ड में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। किशोर न्याय बोर्ड 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के किशोर/किशोरियों के विधि का उल्लंघन करने पर वादो के निस्तारण हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। मण्डल के सभी जनपदों में किशोर न्याय बोर्ड गठित है।

3– बाल कल्याण समिति (CWC)– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम– 2015 की धारा–**27** के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले **0 से 18** आयु वर्ग के किशोर/किशोरियों को संरक्षण देने के संबंध में प्रत्येक जनपद में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। समिति में **1 अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य** नामित है। समिति में **दो महिला सदस्य होना अनिवार्य** है। समिति द्वारा अनाथ, छोड़े गये, अवांछित, मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं में भेजा जाना व गुमशुदा बच्चों को उनके घर तक भेजा जाता हैं। मण्डल के समस्त जनपदों में बाल कल्याण समिति गठित है।

4– विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (SAA)– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार **अनाथ, परित्यक्त** बच्चों को गोद दिये जाने हेतु कारा के माध्यम से दत्तक ग्रहण की व्यवस्था की गयी है। कुमाऊँ मण्डल में **राजकीय शिशु सदन/बाल गृह, अल्मोड़ा** को विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (SAA) नामित किया गया है।

महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं में नवाचार का विवरण

- राजकीय बाल गृह (किशोरी) अल्मोड़ा में निवासरत 41 बालिकाओं को सिलाई तथा संगीत का प्रशिक्षण तथा 35 बालिकाओं को कम्प्यूटर तथा 34 बालिकाओं को ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण दिया गया।
- जिला शरणालय एवं प्रवेशालय हल्द्वानी में निवासरत संवासिनियों को जूट व कपड़े के बैग, पेंटिग, मैक्रम, सिलाई तथा ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया गया। सरस मेले हल्द्वानी में संस्था का स्टॉल सामग्री विक्रय करने हेतु लगाया गया।
- जिला शरणालय एवं प्रवेशालय हल्द्वानी में विगत 1 वर्ष में 8 संवासिनियों को विशेष प्रयासों तथा आधार के माध्यम से जो मूक बाधिर, मानसिक रूप से अक्षम तथा अपना पता बताने में असमर्थ थी उनके घर का पताकर उनके परिवारजनों के पास भेजा गया।
- राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर हल्द्वानी में निरुद्ध बालकों को वर्तमान में सिलाई का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसमें 7 किशोर लाभान्वित हो रहे हैं।
- राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर हल्द्वानी में पूर्व में मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। किशोरों द्वारा निर्मित सामग्री को सरस मेले तथा दीपावली में बिक्री की गयी जिसके माध्यम से किशोरों को पुनर्वासित किया जा सके।
- राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर/किशोरी हल्द्वानी में आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स भी कराये गये हैं।
- धरोहर बाल आश्रय गृह, हल्द्वानी द्वारा विगत 2 वर्ष में 77 भीख माँगने/कूड़ा बीनने वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
- राजकीय बालिका निकेतन अल्मोड़ा में बालिकाओं हेतु मॉडन पुस्तकालय बनाया गया तथा जिला योजना के तहत् अंग्रेजी तथा गणित के अध्यापक की व्यवस्था की गयी।

अध्याय – 26

अक्षय ऊर्जा

सोलर स्ट्रीट लाइट :– इस योजना के अन्तर्गत रात्रि में पथ प्रकाश हेतु ग्रामों, सार्वजनिक स्थलों, ग्रामीण बाजार आदि में सुलभ कराये जाने के दृष्टिगत यह सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना करायी जाती है। वर्तमान में इस संयंत्र पर अनुदान देय नही है तथा पाँच वर्षीय रख–रखाव सहित संयत्र का मूल्य लगभग रूपये 14000 मात्र है। जिला योजना, विधायक निधि, सांसद निधि तथा अन्य स्रोतों से संयत्र मूल्य की पूर्ण धनराशि उपलब्ध होने पर यह संयंत्र निर्देशित स्थलों पर स्थापित कराये जाते हैं। यह स्वचालित संयत्र है जो कि अन्धेरा प्रारम्भ होते ही स्वतः ऑन हो जाता है तथा सूर्योदय होते ही ऑफ हो जाता है। वर्ष 2021–22 में जिला–योजना के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा 1104, नैनीताल 405, पिथौरागढ़ 855, बागेश्वर 1333, चम्पावत 654, उधमसिंह नगर 224, इस प्रकार **कुल 4575 संख्या** सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य कराया गया है।

पारिवारिक बायोगैस :– पारिवारिक बायोगैस से जनित गैस पारंपरिक एल0पी0जी0 गैस का उत्तम विकल्प है। इसके उपयोग से जीवाश्म ईधनों पर दबाव तो कम होता ही है, साथ ही स्वास्थ्य एवं पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त संयन्त्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में मिलती है जो कि खेतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इस योजना में 2–4 घन मी0 के संयन्त्र की स्थापना हेतु सरकार द्वारा रू0 13000.00 प्रति संयन्त्र अनुदान दिया जा रहा है।

सोलर पावर प्लाण्ट (ऑफ ग्रिड) :– इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी /संस्थान अपने भवन में विद्युत की सुचारू निरन्तर व्यवस्था हेतु अपनी आवश्यकतानुसार क्षमता अनुरूप ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना करवा सकता है प्लाण्ट से दिन में धूप द्वारा उत्पादित विद्युत को प्लाण्ट के साथ जोडे गये बैट्री बैंक में दिन के समय एकत्र कर लिया जाता है यथा आवश्यकता अनुसार / ग्रिड की उपलब्धता न होने पर यह संयंत्र के द्वारा विद्युत उपकरणों का संचालन कर उपयोग में लाया जाता है। योजना पर वर्तमान में कोई अनुदान देय नहीं है जिसकी स्थापना हेतु लगभग 15 वर्ग मीटर प्रति किलोवाट छाया रहित स्थल की आवश्यकता होती है तथा प्लाण्ट की स्थापना पर लगभग रू0 1,10,000.00 प्रति किलोवाट की दर से व्यय आता है। वर्ष 2021–22 में विभिन्न स्रोतों से उरेडा के जनपदीय कार्यालयों को धनराशि की उपलब्धतानुसार मण्डल के जनपद अल्मोड़ा 13, चम्पावत़ 137, बागेश्वऱ 2, इस प्रकार **कुल 152 संख्या** सोलर पावर प्लाण्टों की स्थापना करायी गयी है।

सोलर पावर प्लांट ग्रिड कनेक्टेड :– इस योजना के अन्तर्गत 100 किलोवाट से 5000 किलोवाट तक क्षमता के सोलर पावर प्लाण्टों की स्थापना राज्य के अन्तर्गत इच्छुक विकासकर्ताओं से समय–समय पर कराये जाने हेतु ऑन लाइन आवेदन मांगे जाते हैं। प्लाण्ट की व्यवसायिक दृष्टि से स्थापना कर

विकासकर्ता द्वारा उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 की ग्रिड में प्रवाहित कर निर्धारित दर अनुरूप नियमित 25 वर्षों तक धनोपार्जन कर सकता है ।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना :– राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" संचालित की जा रही है। प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहाँ के निवासियों एवं कृषकों को रोजगार/व्यवस्था के समुचित साधन उपलब्ध न होने से कृषकों द्वारा अपनी भूमि का समुचित उपयोग नहीं किया जा पा रहा है, जिससे कृषि खेती बंजर हो रही है। ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा राज्य के बेरोज़गार निवासियों को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान किये जाने तथा ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, पर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 को नियत दर पर विक्रय करने से आय के साधन विकसित कराने हेतु प्रोत्साहित करना है।

पिरूल (चीड़ की पत्तियां) एवं अन्य प्रकार के ईधनों से विद्युत उत्पादन :– उत्तराखण्ड राज्य में पिरूल से हो रहे वनहानि को रोकने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पिरूल के उपयोग से विद्युत उत्पादन बिक्रेट बनाने तथा बायो ऑयल आधारित औद्योगिक इकाइयां लगाये जाने के लिये उत्पादन नीति–2018 तैयार की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत राज्य में जैव ईधन से प्रतिवर्ष लगभग 150 मेगावाट से अधिक विद्युत के उत्पादन की संभावना है। ऊर्जा उत्पादन के इस अप्रयुक्त स्रोत के दोहन से 250 किलोवाट की क्षमता तक की विद्युत उत्पादन इकाईयां तथा 2000 मैट्रिक टन की बिक्रेटिंग एवं बायोऑयल इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। इन इकाइयों के स्थापित होने से न केवल स्थानीय ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति बल्कि इनसे रोजगार एवं राजस्व सृजन में सहायता मिल सकेगी। इस नीति के अन्तर्गत न्यूनतम 10 कि0वा0 से अधिकतम 250 किलोवाट की पिरूल आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना एवं 2000 मैट्रिक टन क्षमता तक बिक्रेटिंग एवं बायो ऑयल इकाइयां लगाई जा सकेगी। इस नीति का क्रियान्वयन वन विभाग एवं उरेड़ा द्वारा किया जा रहा है।